दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

फरवरी भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 7
- डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट 8
- सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 10
- भू-स्थानिक क्षेत्र का उदारीकरण 12
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 14
- ब्लू इकॉनमी नीति का मसौदा 15
- OTT सेवा प्रदाता बनाम दूरसंचार सेवा प्रदाता 18
- प्रतिष्ठा का अधिकार बनाम गरिमा का अधिकार 19
- नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज: स्मार्ट सिटीज़ मिशन 21
- अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम राज्य स्थापना दिवस 22
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 24
- भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH की स्थिति 26
- गो इलेक्ट्रिक अभियान 27
- IIT परिषद की सिफारिशें 29
- उजाला और SLNP के 6 वर्ष 30
- पगड़ी संभाल आंदोलन 31
- राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा 33
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 35
- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन 36
- पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन 37
- मन्नथू पद्मनाभन 39
- नए IT नियम 2021 40

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम 43

- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 43
- कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य 44
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि 47
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण 48
- प्रमाणित जूट बीज 50
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा HFCs को निर्देश 52
- इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 54
- मीडिया प्लेटफॉर्म बिल: ऑस्ट्रेलिया 56
- निर्णायक भूमि स्वामित्व 57
- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना (SFURTI) 60
- पशुपालन 61
- चीन से स्टील के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क 63
- चीन: भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार 64
- ब्लैंक-चेक कंपनी 65
- मान्यता प्राप्त निवेशक 66
- फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर के लिये PLI योजना 67

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 69

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) 69
- दक्षिण एशिया के साथ सहयोग में बढ़ोतरी 71
- NAVDEX 21 और IDEX 21 73
- क्वाड बैठक 74
- परमाणु निरीक्षण पर IAEA - ईरान समझौता 75
- भारत-मालदीव 76
- भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौता 79
- सेनकाकू द्वीप विवाद 81
- श्रीलंका के खिलाफ UNHRC का नया प्रस्ताव 82
- FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा 83

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **85**

- डिकिनसोनिया: प्राचीनतम ज्ञात प्राणी 85
- भुवन पोर्टल 86
- बीमा बाँस क्रैश बैरियर 88
- नासा का मंगल 2020 मिशन 89
- हेलिना और ध्रुवास्त्र: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 92
- समुद्र तल की एयरलाइन मैपिंग 93

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **95**

- कोयला दहन से प्रदूषण: IEACCC 95
- गंगा डॉल्फिन 97
- वायु प्रदूषण के कारण आर्थिक क्षति विश्लेषण 2021 99
- सांभर झील: राजस्थान 101
- मेकिंग पीस विद नेचर: UNEP रिपोर्ट 102
- कार्बन वॉच एप: चंडीगढ़ 104
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 105
- शीतकालीन प्रदूषण पर रिपोर्ट: CSE 107
- सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व 108
- स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट 2021 109

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **111**

- चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा में गिरावट 111

सामाजिक न्याय **113**

- IITs में SC और ST छात्रों की संख्या में कमी 113
- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार 114
- नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ 115
- सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 116
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 118

नोट :

कला एवं संस्कृति **120**

- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 120

आंतरिक सुरक्षा **122**

- अर्जुन मेन बैटल टैंक 'MK-1A' 122
- अरुणाचल सीमा पर अवसंरचना विकास 123

चर्चा में **125**

- थार मरुस्थल 125
- करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा 126
- संदेश:गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम 127
- महाराजा सुहेलदेव 128
- सीउलैकैंथ 128
- न्यूयॉर्क कन्वेंशन 129
- मंदारिन बतख 130
- विश्व का सबसे छोटा सरीसृप 131
- हैदराबाद: '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' 131
- नाथूला 132
- सिल्वर एंटिमनी टेल्युराइड: अपशिष्ट ऊष्मा के दोहन हेतु एक पदार्थ 134
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 135
- ओलिव रिडले कछुआ 135
- झारखंड में एक प्राचीन बौद्ध मठ की खोज 137
- राजा कृष्णदेव राय 138

विविध **140**

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा ने "फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर" (fly-By-Night Operator) द्वारा धोखाधड़ी से कानून का दुरुपयोग किये जाने की जाँच के लिये मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill], 2021 पारित किया है।

- यह विधेयक नवंबर 2020 में जारी मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश [Arbitration and Conciliation (Amendment) ordinance] की जगह लेगा।

प्रमुख बिंदु

विधेयक की विशेषताएँ:

- मध्यस्थों की योग्यता:
- इस विधेयक में मध्यस्थों की योग्यता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की 8वीं अनुसूची से परे रखा गया है। इस अधिनियम में एक मध्यस्थ का प्रावधान है:
  - उसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक वकील होना चाहिये, जिसके पास 10 साल का अनुभव हो, या
  - भारतीय विधिक सेवा का एक अधिकारी होना चाहिये।
- इस विधेयक के अनुसार, मध्यस्थों की योग्यता का निर्धारण एक मध्यस्थता परिषद द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा किया जाएगा।
- पुरस्कार पर बिना शर्त रोक:
  - यदि पुरस्कार भ्रष्टाचार के आधार पर दिया जा रहा है तो अदालत मध्यस्थता कानून की धारा 34 के तहत की गई अपील पर अंतिम फैसला आने तक इस पुरस्कार पर बिना शर्त रोक लगा सकती है।

लाभ:

- यह विधेयक मध्यस्थता प्रक्रिया में सभी हितधारकों के बीच समानता लाएगा।
  - इससे सभी हितधारकों को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन को बिना शर्त रोकने का अवसर मिलता है।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का दुरुपयोग करदाताओं से पैसे वसूलने के लिये किया जा रहा था जिसे इस विधेयक द्वारा रोका जाएगा।

कमियाँ:

- भारत पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और समझौतों के प्रवर्तन के मामले में पीछे है। यह विधेयक मेक इन इंडिया (Make in India) अभियान की भावना को बाधित और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स (Ease of Doing Business Index) की रैंकिंग में गिरावट कर सकता है।
- भारत का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनना है। इन विधायी परिवर्तनों के कार्यान्वयन के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान में अब अधिक समय लग सकता है।

नोट :

भारतीय मध्यस्थता परिषद

- संवैधानिक पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 51 के अनुसार, भारत निम्नलिखित संवैधानिक आदर्शों को पालन करने के लिये प्रतिबद्ध है:
  - संगठित लोगों के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
  - अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना। ए.सी.आई. इस संवैधानिक दायित्व की प्राप्ति हेतु एक कदम है।
- उद्देश्य: मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत मध्यस्थता, सुलह तथा अन्य विवादों के निवारण के लिये एक निवारण तंत्र के रूप में भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of India) का प्रावधान करना।
  - मध्यस्थता: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विवाद को एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को नियुक्त कर सुलझाया जाता है जिसे मध्यस्थ (Arbitrator) कहा जाता है। मध्यस्थ समाधान पर पहुँचने से पहले दोनों पक्षों को सुनता है।
  - सुलह: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादों के सुलह के लिये एक समझौताकार (Conciliator) को नियुक्त किया जाता है। यह विवादित पक्षों को समझौते पर पहुँचने में मदद करता है। बिना मुकदमे के विवाद का निपटारा करना एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से तनाव को कम कर, मुद्दों की व्याख्या कर, तकनीकी सहायता आदि द्वारा सुलह कराया जाता है।
- ACI की संरचना:
  - ACI में एक अध्यक्ष होगा, जिसे:
    - सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश; या
    - उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; या
    - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश; या
    - मध्यस्थता के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये।
  - अन्य सदस्यों में सरकार द्वारा नामित लोगों के अतिरिक्त जाने-माने शिक्षाविद्, व्यवसायी आदि शामिल किये जाएंगे।
- मध्यस्थों की नियुक्ति: इस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मध्यस्थ संस्थाओं को नामित कर सकते हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित संस्था की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिये की जाएगी।
  - उच्च न्यायालय द्वारा नामित संस्था की नियुक्ति घरेलू मध्यस्थता के लिये की जाएगी।
  - यदि कोई मध्यस्थ संस्था उपलब्ध नहीं हैं तो मध्यस्थ संस्थाओं के कार्यों को करने के लिये संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थों का एक पैनल बना सकता है।
  - मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये किये गए आवेदन को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है।

डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने अवांछित वाणिज्यिक संचार (UCC) की शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी (विशेष रूप से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में) के मामलों से निपटने के लिये डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है।

- DIU के अलावा सभी 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तरों पर 'टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन' (TAFCOP) का विकास किया जाएगा।
- यह 'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम' (TCCCPR), 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो भारत में 'अवांछित वाणिज्यिक संचार' (UCC) को विनियमित करने के लिये एक संशोधित नियामक ढाँचा प्रदान करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) को आदेश दिया कि वह अवांछित वाणिज्यिक संचार (UCC) पर अंकुश लगाने के लिये वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए विनियमन के "पूर्ण और सख्त" कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।
- इससे पहले नवंबर 2020 में TRAI ने भारत संचार निगम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम जैसी दूरसंचार कंपनियों द्वारा अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच अपने नेटवर्क पर होने वाले UCC को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त उपाय न करने के कारण उन पर 30 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पिछले एक वर्ष में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के दुरुपयोग, पहचान की क्लोनिंग और स्पैम से संबंधित 220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की बात कही। DIU इस खतरे को कम कर सकता है।

डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (Digital Intelligence Unit):

- उद्देश्य:
  - दूरसंचार संसाधनों से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी की गतिविधि की जाँच में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
- महत्त्व:
  - अवांछित वाणिज्यिक संचार (UCC) की जाँच:
    - UCC का मुद्दा दूरसंचार मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के लिये चिंता का प्रमुख विषय रहा है। UCC को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण समय-समय पर दूरसंचार ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया गया है।
  - शिकायतों का प्रभावी निवारण:
    - शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिये DIU के अलावा एक वेब और मोबाइल एप के साथ-साथ एक एसएमएस-आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।
  - डिजिटल इकोसिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ाना:
    - डीआईयू प्रणाली डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति लोगों के विश्वास को मज़बूत करेगी और वित्तीय डिजिटल लेन-देन (मुख्य रूप से मोबाइल से संबंधित) को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगी, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
  - ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं पर UCC:
    - TRAI ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के माध्यम से किये जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संचार से निपटने के लिये एक परामर्श पत्र प्रस्तुत करने वाला है। हालाँकि वर्तमान में लॉन्च की गई प्रणालियाँ ओवर-द-टॉप (OTT) सेवा प्रदाताओं जैसे- व्हाट्सएप पर UCC के मुद्दे को संबोधित नहीं करती हैं।
    - दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 ने दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिये मानदंडों को सख्त किया है, ताकि उपयोगकर्त्ताओं को अवांछित कॉल या एसएमएस के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा मिल सके। हालाँकि यूसीसी के मामले में OTT सेवा प्रदाता अब तक इन नियमों की पहुँच से बाहर हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India):

सांविधिक निकाय:

- TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997' द्वारा की गई थी

नोट :

उद्देश्य:

- दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ के निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना।
- एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करना जो सभी को सामान स्तर पर भागीदारी के अवसर के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा की सुविधा देता है।

हालिया संशोधन :

- वर्ष 2000 में 'दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Dispute Settlement and Appellate Tribunal-TDSAT) की स्थापना के लिये ट्राई अधिनियम में संशोधन किया गया थ और इसके साथ ही अधिनिर्णय तथा विवाद निस्तारण से जुड़े TRAI के कार्यों को TDSAT को सौंप दिया गया।

सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा 'ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज़: द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी' (Traffic Crash Injuries And Disabilities: The Burden on India Society) शीर्षक से विश्व बैंक (World Bank) की रिपोर्ट जारीकी गई है।

- इस रिपोर्ट को एनजीओ- सेव लाइफ फाउंडेशन (Save Life Foundation) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- सर्वेक्षण में शामिल किये गए आँकड़ों को भारत के चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से एकत्र किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु के वैश्विक आँकड़े:

- सड़क यातायात के कारण चोटिल (Road Traffic Injuries- RTIs) होना मृत्यु का आठवाँ प्रमुख कारण है।
- सड़क दुर्घटना मृत्यु दर (Road Crash Fatality Rate) उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में तीन गुना अधिक है ।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतें:

- सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है।
- प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

सड़क दुर्घटनाओं के आर्थिक प्रभाव:

- अनुमानित आर्थिक नुकसान सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का 3.14%, है जो कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की पर्याप्त रिपोर्टिंग की कमी को दर्शाता है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का अनुमान -
  - सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक-आर्थिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 0.77% के बराबर है।
  - सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों में से 76.2% लोग 18-45 वर्ष की आधारभूत कार्यशील आयु (Prime Working-Age) वर्ग के हैं।

सामाजिक प्रभाव:

- परिवारों पर भार:
  - सड़क दुर्घटना तथा इससे होने वाली मृत्यु ने व्यक्तिगत स्तर पर जहाँ आर्थिक दृष्टि से मज़बूत परिवारों के गंभीर वित्तीय बोझ में वृद्धि की है वहीं उन परिवारों को कर्ज़ लेने के लिये बाध्य किया है जो पहले से ही गरीब हैं।
  - सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की वजह से गरीब परिवारों की लगभग सात माह की घरेलू आय कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज़ के चक्र में फँस जाता है।

नोट :

- संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता (VRUs):
  - संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता (Vulnerable Road Users- VRUs) वर्ग द्वारा दुर्घटनाओं के बड़े बोझ को सहन किया जाता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों के कुल मामलों में से आधे से अधिक हिस्सेदारी VRUs वर्ग की है।
    - VRUs वर्ग में सामान्यत: गरीब विशेष रूप से कामकाज़ी उम्र के पुरुष जिनके द्वारा सड़क का उपयोग किया जाता है, को शामिल किया जाता है।
    - अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों में आकस्मिक श्रमिकों के रूप में कार्यरत दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिक और कर्मचारी, नियमित गतिविधियों में लगे श्रमिकों की तुलना में सड़क दुर्घटना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - भारत में संवेदनशील वर्ग को कम संवेदनशील वर्ग के साथ सडक साझा करने के लिये बाध्य किया जाता है। अत: ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की आय पर उसके द्वारा उपयोग किये जाने परिवहन खर्च का प्रत्यक्ष भार पड़ता है।

लिंग विशिष्ट प्रभाव

- गरीब और अमीर दोनों ही पीड़ित परिवारों की महिलाएँ घर की ज़िम्मेदारी/भार उठाने हेतु अक्सर अतिरिक्त कार्य करती हैं, उनके द्वारा ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से घरेलू गतिविधियों में अधिक योगदान दिया जाता है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के बाद घरेलू आय में कमी आने के कारण लगभग 50% महिलाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं।
  - लगभग 40% महिलाओं द्वारा दुर्घटना के कारण अपने कार्य को परिवर्तित किया गया, जबकि लगभग 11% महिलाओं द्वारा वित्तीय संकट से निपटने हेतु अतिरिक्त कार्य किया गया।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन:
  - निम्न आय वाले शहरी (29.5%) और उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों (39.5%) की तुलना में निम्न-आय वाले ग्रामीण परिवारों (56%) की आय में काफी अधिक गिरावट देखी गई।

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम:

- सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015):
  - ब्राज़ील में आयोजित दूसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा हेतु घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस घोषणापत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं।
  - देशों ने वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य 3.6 (Sustainable Development Goal 3.6) अर्थात् वैश्विक मौतों की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों की संख्या को आधा करने की योजना बनाई है।
- सड़क सुरक्षा हेतु दशक:
  - संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) ने वर्ष 2011-2020 को सड़क सुरक्षा हेतु कार्रवाई के दशक के रूप में घोषित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह:
  - इसका आयोजन हर दो वर्ष में किया जाता है। इसके पाँचवें संस्करण (6-12 मई, 2019 से आयोजित) में सड़क सुरक्षा के लिये मज़बूत नेतृत्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):
  - यह सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने हेतु समर्पित एक पंजीकृत अनुदान है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:
  - यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबलिकों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिये दंड की मात्रा में वृद्धि करता है।
  - यह अधिनियम मोटर वाहन दुर्घटना हेतु निधि प्रदान करता है जो भारत में कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।

नोट :

- अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंज़ूरी प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाना है।
- यह मदद करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।

आगे की राह:

- जीवन को सुरक्षित करने तथा पीड़ितों और उनके परिवारों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के उद्देश्य से सुधार हेतु नीति-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें तत्काल वित्तीय, चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है।
- जिन क्षेत्रों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है, उनमें दुर्घटना के बाद आपातकालीन देखभाल और प्रोटोकॉल, बीमा कवरेज और मुआवज़ा प्रणाली शामिल है।
- मौजूदा सुरक्षा प्रणाली में नीति निर्माताओं और संबंधित राज्य सरकारों को पूर्ण नीति निर्धारण को प्राथमिकता देने एवं सड़क सुरक्षा हेतु बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से स्थायी समाधान उन्मुख, समावेशी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

भू-स्थानिक क्षेत्र का उदारीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) द्वारा भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र (Geo-Spatial Sector) हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जो मौजूदा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय कर इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धा हेतु अधिक उदार बनाते हैं।

प्रमुख बिंदु:

भू-स्थानिक आँकड़ा:

- भू-स्थानिक आँकड़ों में पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं, घटनाओं आदि के विषय से संबंधित आँकड़े शामिल होते हैं।
  - ये आँकड़े स्थिर और अस्थिर दोनों वस्तुओं का हो सकते हैं, जैसे- सड़क का स्थान, भूकंप की घटना, गतिशील वाहन, पैदल यात्री की चाल, संक्रामक रोग का प्रसार आदि।
- इससे निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त होगी:
  - अवस्थिति (Location)
  - विशेषता (Attribute- वस्तु, घटना या संबंधित घटनाओं की विशेषताएँ),
  - समय (time)
- भू-स्थानिक डेटा के उपयोग के परिणामस्वरूप पिछले दशक में खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स, मौसम जैसे विभिन्न एप्स की वजह से दैनिक जीवन में वृद्धि देखी गई है।

भू-स्थानिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- सख्त प्रतिबंध:
  - वर्तमान विधि के अंतर्गत भू-स्थानिक डेटा के संग्रहण, भंडारण, उपयोग, बिक्री, प्रसार और मानचित्रण पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
- नवीनीकरण:
  - इस नीति का नवीनीकरण दशकों से नहीं किया गया था, जिसके कारण इसे लेकर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चिंताएँ बनी हुई थीं।
- सरकार द्वारा संचालित:
  - इस क्षेत्र में अभी तक भारत सरकार और सरकार द्वारा संचालित एजेंसियों जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) का प्रभुत्व है। निजी कंपनियों को भू-स्थानिक डेटा एकत्र करने, तैयार करने व प्रसारित करने के लिये सरकार के विभिन्न विभागों जैसे- रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।

नोट :

नई नीति:

- खुली पहुँच:
  - भारत के सभी संस्थाओं को सुरक्षा से संबंधित आँकड़ों को छोड़कर भू-स्थानिक आँकड़ों और सेवाओं तक खुली पहुँच प्रदान की जाएगी।
- हटाए गए प्रतिबंध:
  - भारतीय निगमों और अन्वेषकों पर से प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। इन्हें अब भारतीय क्षेत्र का डिजिटल भू-स्थानिक आँकड़े इकट्ठा करने और मैप तैयार कर उनके प्रकाशन, अद्यतन आदि से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
  - इन्हें सुरक्षा मंज़ूरी, लाइसेंस आदि की भी ज़रूरत नहीं होगी।

भू-स्थानिक आँकड़ों के विनियमन का कारण:

- विलंबित परियोजनाएँ:
  - विशेष रूप से मिशन मोड वाली परियोजनाओं को लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने में महीनों लग जाते हैं, जिससे इन परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होती है।
  - अविनियमन, सुरक्षा कारणों से अनुमति लेने की आवश्यकता को भी समाप्त कर देता है। भारतीय कंपनियाँ अब आत्म-सत्यापन कर सकती हैं।
- आँकड़ों का अभाव
  - देश में बुनियादी ढाँचे, विकास, व्यवसाय आदि के लिये आँकड़ों की भारी कमी है, जिससे नियोजन में बाधा उत्पन्न होती है।
  - अकेले भारत सरकार को पूरे देश की उच्च सटीकता के साथ मैपिंग करने में दशकों लग सकते हैं।
  - इसलिये सरकार को भू-स्थानिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई।
- बदलती आवश्यकताएँ:
  - रणनीतिक कारणों, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चिंताओं की वजह से भू-स्थानिक आँकड़ों पर नियंत्रण दशकों से एक प्राथमिकता थी, इस प्राथमिकता में पिछले 15 वर्षों में बदलाव देखा गया है।
  - प्रारंभ में सुरक्षा से जुड़े भू-स्थानिक आँकड़ों को इकट्ठा करने का विशेषाधिकार रक्षा बलों और सरकार को प्राप्त था।
    - प्रारंभ में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मैपिंग व्यवस्था अल्पविकसित थी। कारगिल युद्ध में आँकड़ों के लिये सरकार को विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। इसके बाद सरकार को स्वदेशी स्रोत की आवश्यकता महसूस हुई, अत: सरकार द्वारा इसमें भारी निवेश किया गया।
  - बुनियादी ढाँचा विकास, प्राकृतिक आपदा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, बिजली, जल, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य (बीमारियों, रोगियों, अस्पतालों आदि की ट्रैकिंग) आदि क्षेत्रों में सरकार के लिये भू-स्थानिक आँकड़ों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।
- ग्लोबल पुश:
  - भू-स्थानिक आँकड़े आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जिससे इनकी वैश्विक मांग है।
  - भू-स्थानिक आँकड़े वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे अन्य देशों में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध आँकड़ों का विनियमन मुश्किल हो जाता है।

अविनियमन का प्रभाव:

- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा:
  - सरकार, प्रणाली को उदार बनाकर वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा के लिये भारतीय कंपनियों को योजनाएँ तैयार करने तथा प्रशासन के लिये अधिक सटीक आँकड़े उपलब्ध कराएगी।

नोट :

- नए रोज़गार:
  - इन आँकड़ों का उपयोग स्टार्टअप और व्यवसाय विशेष रूप से ई-कॉमर्स तथा भू-स्थानिक आधारित एप अब अपनी समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं, जिसे इन क्षेत्रों में रोज़गार में वृद्धि होगी।
  - भारतीय कंपनियाँ स्वदेशी एप विकसित कर सकेंगी।
- बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी:
  - इस क्षेत्र के खुलने से भारत सरकार के साथ विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं पर काम करने वाली डेटा संग्रह कंपनियों की सार्वजनिक-निजी भागीदारी में वृद्धि होने की भी संभावना है।
- बढ़ा हुआ निवेश:
  - सरकार को भू-स्थानिक क्षेत्र में निवेश, विदेशी कंपनियों और देशों को आँकड़ों के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा जारी 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक' (CPI) में भारत छह पायदान खिसककर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है।

- वर्ष 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन (जर्मनी) में की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है।
- इसके प्रकाशनों में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है।
- इस सूचकांक में 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट से है।
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 विश्व भर में भ्रष्टाचार की स्थिति की एक गंभीर छवि प्रस्तुत करता है। सूचकांक के मुताबिक, विश्व के अधिकांश देशों ने बीते एक दशक में भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है, वहीं दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है और सभी देशों का औसत स्कोर 43 है।
- इसके अलावा भ्रष्टाचार न केवल कोरोना वायरस के विरुद्ध वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि यह लोकतंत्र पर भी निरंतर संकट उत्पन्न करता है।

शीर्ष प्रदर्शन

- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 के तहत शीर्ष देशों में डेनमार्क (स्कोर: 88) और न्यूज़ीलैंड (स्कोर: 88) हैं, जिनके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड का स्थान है, जिसमें सभी ने 85 स्कोर प्राप्त किया है।

नोट :

खराब प्रदर्शन

- सूचकांक में 180 देशों की सूची में दक्षिण सूडान (12) और सोमालिया (12) को निम्न स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद सीरिया (14), यमन (15) और वेनेज़ुएला (15) का स्थान है।

क्षेत्र विशिष्ट

- सबसे अधिक स्कोर करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनका औसत स्कोर 66 है।
- सबसे कम स्कोर करने वाले क्षेत्रों में उप-सहारा अफ्रीका (32) तथा पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया (36) शामिल हैं।

भारत संबंधी आँकड़े

- वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 40 है, जबकि वर्ष 2019 में यह 41 था।
- भारत ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में काफी कम प्रगति हासिल की है, यद्यपि सरकार द्वारा इस दिशा में कई प्रतिबद्धताएँ प्रकट की गई हैं, किंतु उन प्रतिबद्धताओं का कोई विशिष्ट प्रभाव देखने को नहीं मिला है।

भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और कोरोना वायरस

- भ्रष्टाचार, सार्वजनिक व्यय को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से दूर कर देता है। वे देश जहाँ भ्रष्टाचार का स्तर काफी अधिक होता है, वहाँ न तो आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है और न ही स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च किया जाता है।
  - भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, निम्न सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज और शिशु तथा मातृत्त्व मृत्यु दर, कैंसर, मधुमेह, श्वसन और हृदय संबंधी रोगों से होने वाली मौतों की उच्च दर से जुड़ा हुआ है।
- भ्रष्टाचार, संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में उपस्थित बड़ी बाधाओं में से एक है तथा कोरोना वायरस महामारी ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी कठिन बना दिया है।
- कोरोना वायरस केवल एक स्वास्थ्य या आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि यह एक भ्रष्टाचार संकट भी है, जिसमें निष्पक्ष और न्यायसंगत वैश्विक प्रतिक्रिया के अभाव के कारण अनगिनत लोगों ने अपना जीवन गँवा दिया है।
- महामारी ने प्रणाली में मौजूद कमज़ोर निरीक्षण और अपर्याप्त पारदर्शिता जैसी कमियों को उजागर किया है। उन देशों में जहाँ भ्रष्टाचार का स्तर काफी अधिक है, COVID-19 महामारी के प्रबंधन में लोकतांत्रिक नियम-कानूनों का काफी उल्लंघन हुआ है।
  - सरकारों द्वारा संसदों को निलंबित करने, सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र को समाप्त करने और असंतुष्टों के विरुद्ध हिंसा भड़काने के लिये महामारी का उपयोग किया जा रहा है।

सिफारिशें

- निरीक्षण संस्थानों को मज़बूत किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपलब्ध संसाधन लोगों तक पहुँच सकें। भ्रष्टाचार-रोधी प्राधिकरणों और निरीक्षण संस्थानों के पास अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन, संसाधन और स्वतंत्रता होनी चाहिये।
- अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाने, हितों के टकराव क्षेत्रों की पहचान करने और उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये पारदर्शी करार प्रणाली सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- लोकतंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक है कि सरकारों को जवाबदेह बनाने में नागरिक समूहों और मीडिया को सक्षम बनाया जाए।
- प्रासंगिक डेटा का प्रकाशन किया जाना चाहिये और सूचना तक पहुँच की गारंटी दी जानी चाहिये, ताकि जनता को आसान, सुलभ और समय पर सार्थक जानकारी मिलती रहे।

ब्लू इकॉनमी नीति का मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव और इनपुट आमंत्रित करते हुए ब्लू इकॉनमी नीति का मसौदा जारी किया है।

- यह नीति वर्ष 2030 तक भारत सरकार के नए भारत के विज़न के अनुरूप है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

ब्लू इकॉनमी नीति का मसौदा

- इस नीतिगत दस्तावेज़ में ब्लू इकॉनमी को राष्ट्रीय विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है।
- यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु कई प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप पर ज़ोर देती है। इस नीति में निम्नलिखित सात विषयगत क्षेत्रों की पहचान की गई है:
  - ब्लू इकॉनमी और ओसियन गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय लेखा ढाँचा।
  - तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन।
  - समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि और मछली प्रसंस्करण।
  - विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएँ और कौशल विकास।
  - लॉजिस्टिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग जिसमें ट्रांस-शिपमेंट भी शामिल है।
  - तटीय और गहरे समुद्र में खनन एवं अपतटीय ऊर्जा।
  - सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव।

उद्देश्य

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ब्लू इकॉनमी के योगदान में बढ़ोतरी करना।
  - ब्लू इकॉनमी जिसमें समुद्री संसाधनों पर निर्भर आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 4.1 प्रतिशत योगदान देती है।
- तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना।
- समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना।
- राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की सुरक्षा बनाए रखना।

ब्लू इकॉनमी नीति की आवश्यकता

- विशाल तटरेखा
  - लगभग 7.5 हज़ार किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ भारत की समुद्री स्थिति काफी विशिष्ट है।
  - भारत के कुल 28 राज्यों में से नौ तटीय राज्य हैं और देश की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में 1,382 द्वीप शामिल हैं।
  - देश में कुल 12 प्रमुख बंदरगाहों समेत लगभग 199 बंदरगाह हैं, जहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 1,400 मिलियन टन कार्गो गुज़रता है।
- निर्जीव संसाधनों का उपयोग
  - तकरीबन 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधनों के साथ-साथ जीवित और निर्जीव संसाधनों का एक विशाल भंडार मौजूद है।
- तटीय समुदायों की आजीविका
  - भारत की तटीय अर्थव्यवस्था देश भर के 4 मिलियन से अधिक मछुआरों और तटीय समुदायों की आजीविका का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

भारत द्वारा शुरू की गईं अन्य महत्त्वपूर्ण पहलें

- सतत् विकास के लिये ब्लू इकॉनमी पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स
  - भारत और नॉर्वे के बीच ब्लू इकॉनमी को लेकर संयुक्त पहल विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
- सागरमाला परियोजना
  - सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है।

नोट :

- इस परियोजना का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन को विकसित करना है, जो समुद्री लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करेगा, इसके परिणामस्वरूप रोज़गार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत में भी कमी आएगी।
- यह परियोजना समुद्री संसाधनों, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों और तटीय पर्यटन के सतत् उपयोग के माध्यम से तटीय समुदायों और लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

- ओ-स्मार्ट
  - ओ-स्मार्ट एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन
  - यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय मत्स्य नीति
  - भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर 'ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव' को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति मौजूद है।

वैश्विक प्रयास

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG)-14 सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

ब्लू इकॉनमी

- ब्लू इकॉनमी की अवधारणा को बेल्ज़ियम के अर्थशास्त्री गुंटर पौली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'द ब्लू इकॉनमी: 10 इयर्स, 100 इनोवेशन्स और 100 मिलियन जॉब्स' में प्रस्तुत किया गया था।
- यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिये महासागर संसाधनों का सतत् उपयोग को संदर्भित करती है।
- इसमें शामिल है:
  - अक्षय ऊर्जा: सतत् समुद्री ऊर्जा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - मत्स्य पालन: सतत् मत्स्य पालन अधिक राजस्व अर्जित करने और मछली उत्पादन बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है, साथ ही यह समुद्रों में मछली भंडारण को बहाल करने में मदद कर सकता है।
  - समुद्री परिवहन: 80 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है।
  - पर्यटन: महासागरीय और तटीय पर्यटन रोज़गार में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बल दे सकता है।
  - जलवायु परिवर्तन: महासागर एक महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक (ब्लू कार्बन) के रूप में हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार हो सकते हैं।
  - अपशिष्ट प्रबंधन: भूमि पर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से महासागरों के पारिस्थितिक तंत्र में सुधार किया जा सकता है।
- ब्लू इकॉनमी, महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास को सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर देती है।

आगे की राह

- भारत के विशाल समुद्री हितों के कारण 'ब्लू इकॉनमी' को देश की आर्थिक वृद्धि में काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।
- ब्लू इकॉनमी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और आम जनजीवन के कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है, हालाँकि यह आवश्यक है कि सतत् विकास एवं सामाजिक-आर्थिक कल्याण को केंद्र में रखा जाए।
- अत: ब्लू इकॉनमी नीति के मसौदे को देश के आर्थिक विकास और कल्याण हेतु एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचा माना जा सकता है।

नोट :

OTT सेवा प्रदाता बनाम दूरसंचार सेवा प्रदाता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operators Association of India- COAI) ने सरकार से आग्रह किया है कि वह व्हाट्सएप जैसे ओवर-द-टॉप (Over-The-Top) सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाए तथा जब तक 'समान सेवा' और 'समान नियम' लागू नहीं होते तब तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) के नियम लागू न किया जाए।

- सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1995 में एक पंजीकृत गैर-सरकारी सोसाइटी के रूप में किया गया था। इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्य जैसे- भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आदि पूरे देश में कार्यरत हैं।

प्रमुख बिंदु

ओवर-द-टॉप सेवा प्रदाता:

- ओटीटी द्वारा एक आईपी नेटवर्क जैसे- इंटरनेट, पारंपरिक दूरसंचार ऑपरेटरों (केबल कंपनियों) को दरकिनार कर ऑडियो, वीडियो आदि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- उदाहरण: स्काइप, वाइबर, व्हाट्सएप, हाइक आदि लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ओटीटी संचार सेवाएँ हैं।

टीएसपी पर ओटीटी सेवाओं का प्रभाव:

- ओटीटी एप्लीकेशन सक्रिय रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये टीएसपी के बुनियादी ढाँचे का उपयोग करते हैं।
- कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी सेवाएँ ओटीटी द्वारा दिये जाने के खतरे से परेशान हैं। अनगिनत एप्लीकेशनों को मौजूदा संचार जैसे- एसएमएस आदि के वैकल्पिक स्वरूपों में डिज़ाइन किया गया है।

विनियमन का मुद्दा:

- लाइसेंसिंग नियम:
  - दूरसंचार ऑपरेटरों को सेवा मानदंडों की गुणवत्ता, खातों की ऑडिट, सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम की खरीद, वस्तु और सेवा कर, लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, कानूनी अवरोधन एवं निगरानी प्रणाली की सुविधा आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन ओटीटी पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है।
- UCC विनियमन:
  - दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष TSPs के लिये वर्ष 2007 से लागू अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार (Unsolicited Commercial Communications- UCC) विनियमन है।
  - हाल ही में सरकार ने UCC की शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (Digital Intelligence Unit) की स्थापना का भी निर्णय लिया है।
  - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा OTT सेवा पर UCC से समझौता करने के लिये एक परामर्श पत्र लाया गया। इसने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ओटीटी कॉलिंग और मैसेजिंग एप पर कोई नियम नहीं लगाए जाएंगे।
- नेट तटस्थता नियम:
  - नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांत सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट सामग्री और सेवाओं के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है।
  - TRAI ने वर्ष 2016 में डेटा सेवाओं के लिये भेदभावपूर्ण शुल्कों का निषेध नियम (Prohibition of Discriminatory Tariffs For Data Services Regulations), 2016 को जारी किया।
    - इन विनियमों के अनुसार, सामग्री के आधार पर कोई भी सेवा प्रदाता डेटा सेवाओं के लिये भेदभावपूर्ण शुल्क नहीं ले सकता है।

नोट :

- TSP नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं और OTT सेवा प्रदाताओं के राजस्व में हिस्सेदारी प्राप्त किये बिना स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण करते हैं।
  - यदि टीएसपी को अंतर मूल्य निर्धारण में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती है तो इनके द्वारा इंटरनेट अवसंरचना में किये जाने वाला निवेश कम हो सकता है।
- टीएसपी के अनुसार, कुछ वेबसाइटों या एप्लीकेशन को दूसरों की तुलना में उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये वीडियो वाली वेबसाइटें छोटे मैसेजिंग एप्लीकेशन की तुलना में अधिक बैंडविड्थ का उपयोग करती हैं, जिसके लिये TSPs को नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने तथा अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है।

COAI की मांगें:

- ट्राई द्वारा जब तक ओटीटी संचार प्रदाताओं के लाइसेंस के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक टीएसपी और ओटीटी के बीच असमानता को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।
- टीएसपी पर कोई भी नई लाइसेंसिंग शर्तें ऐसे समय तक, जिसमें नेट न्यूट्रैलिटी आदि के लिये ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शामिल है, नहीं लगाई जानी चाहिये।

आगे की राह

- चूँकि टीएसपी और ओटीटी के बीच अंतर्निहित प्रौद्योगिकी, अभिग्रहण, बाज़ार, मूल्य निर्धारण मॉडल, दुर्लभ संसाधन उपयोग और सेवाओं की गुणवत्ता आदि बहुत अलग हैं, जिससे इनके बीच समानता लाने में समय लगेगा। हालाँकि ओटीटी को सेवा की गुणवत्ता के लिये जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

प्रतिष्ठा का अधिकार बनाम गरिमा का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली के एक न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ उसके ट्वीट्स को लेकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दायर किये गए आपराधिक मानहानि के मुकदमे को खारिज़ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान:

- न्यायालय ने कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के बारे में संज्ञान लिया, क्योंकि आरोपी पत्रकार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटना के समय यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण तंत्र की कमी थी।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा-निर्देश जारी करने और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) को लागू करने से पहले का मामला था।

न्यायालय का निर्णय:

- महिलाओं के जीवन और गरिमा के अधिकार की कीमत पर प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती।
- प्रतिष्ठा का अधिकार:
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है।
  - इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) का अर्थ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक हितों को जनता के साझा मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करके सेवा प्रदान की जाए।

नोट :

- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद-21):
  - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा।
  - यह हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार:
  - वर्ष 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया और यह माना कि जीने का अधिकार केवल एक शारीरिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
- महिला को अपनी पसंद के किसी भी मंच पर दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है।

मानहानि:

क्या है मानहानि ?

- भारत में मानहानि एक सिविल दोष (Civil Wrong) और आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं।
  - इन दोनों के मध्य अंतर इनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित है।
  - सिविल दोष के अंतर्गत मुआवज़े के माध्यम से किसी हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है और कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है, जबकि मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी गलत कृत्य के लिये अपराधी को दंडित कर दूसरे लोगों को ऐसा न करने के लिये संदेश देने की वकालत की जाती है।

मानहानि संबंधी कानून:

- भारतीय कानूनों में आपराधिक मानहानि को विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि नागरिक मानहानि 'अपकृत्य कानून' (कानून का एक क्षेत्र जो गलतियों को परिभाषित करने के लिये अन्य कानूनों पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन इसे गलत तरीके से परिभाषित करने करने वाले मामलों पर संज्ञान लेता है) पर आधारित होता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार, जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है कि उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचे या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचे, तो तत्पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा।

अपवाद:

- धारा 499 के अनुसार, सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिये अपेक्षित है, किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, । यह बात लोक कल्याण के लिये है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है ।

दंड:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिये दो वर्ष तक का साधारण कारावास और जुर्माना या दोनों को एक साथ लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

वैधता:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 के सुब्रहमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में आपराधिक मानहानि कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

नोट :

नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज: स्मार्ट सिटीज़ मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज' प्रतियोगिता के तहत देश के 25 शहरों के चयन की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज:
  - प्रारंभ: नवंबर 2020
  - विशेषताएँ:
    - मंत्रालय ने कहा कि यह चैलेंज एक तीन वर्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थान, गतिशीलता, पड़ोस योजना, प्रारंभिक बचपन संबंधी सेवाओं और सुविधाओं तक सभी की पहुँच तथा शहरी एजेंसियों के डेटा प्रबंधन में सुधार करने के लिये विभिन्न मानकों एवं तरीकों का समर्थन करना है।
    - इसका लक्ष्य भारतीय शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रचार करना है।
  - सहयोगी संगठन:
    - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन (BvLF) और विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत।
  - चयनित शहरों को सहायता:
    - चयनित शहरों के प्रस्ताव, तत्परता और प्रतिबद्धता के आधार पर इन्हें छोटे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये तकनीकी समर्थन तथा क्षमता-निर्माण संबंधी प्रायोगिक एवं मानकीकृत समाधान प्रदान किये जाते हैं।
- महत्त्व:
  - बच्चों के प्रति संवेदनशीलता: शहरी डिज़ाइन और योजना एक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों (0- 5 वर्ष) को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि एक बच्चे के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विकास की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवधि होती है।
    - यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन के ITCN (शिशु-Infant, टॉडलर-Toddler, केयरगिवर-Caregiver, फ्रेंडली नेबरहुड्स-Friendly Neighbourhoods) फ्रेमवर्क के अनुरूप स्थापित किया गया है, इस फ्रेमवर्क के पाँच उद्देश्य हैं- पड़ोस को सुरक्षित, सुखी, सुलभ, समावेशी और हरित बनाना।
  - समावेशी विकास को प्रोत्साहन: यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि इसका उद्देश्य सभी संवेदनशील नागरिकों खासकर छोटे बच्चों के लिये शहरी क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देना है।

स्मार्ट सिटी मिशन:

- स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास सुनिश्चित करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिये बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।
- उद्देश्य: कोर अवसंरचना प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना, अपने नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ और सतत् वातावरण प्रदान करना तथा स्मार्ट समाधानों को उपलब्ध कराना।
- केंद्रबिंदु: यह मिशन सतत् और समावेशी विकास पर केंद्रित होने के साथ-साथ अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिये ऐसे अनुकरणीय मॉडल बनाने हेतु प्रेरित करता है जो अन्य आकांक्षी शहरों के लिये एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करें।
- रणनीति:
  - पूरे शहर के लिये पहल जिसमें कम-से-कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू किया गया हो।
  - निम्नलिखित तीन मॉडलों की सहायता से क्षेत्रों को चरण-दर-चरण विकसित करना:
    - रेट्रोफिटिंग (Retrofitting)
    - पुनर्विकास (Redevelopment)

नोट :

- हरित क्षेत्र (Greenfield)

- कवरेज और अवधि: इस मिशन ने शुरुआत के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान (वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20) 100 शहरों को कवर किया है।
- वित्तीयन: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम राज्य स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के लोगों को उनके राज्य के 35वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएँ दीं।

- मिज़ोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन (वर्ष 1986) के साथ 20 फरवरी, 1987 को भारतीय संघ का 23वाँ राज्य बन गया।
- इसी तरह भारतीय संविधान में 55वें संशोधन (वर्ष 1986) के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, 1987 को भारतीय संघ का 24वाँ राज्य बना।

मिज़ोरम:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मिज़ो पर्वतीय क्षेत्र स्वतंत्रता के समय असम के भीतर लुशाई हिल्स ज़िला बन गया। आगे चलकर वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर असम का मिज़ो हिल्स ज़िला कर दिया गया।
  - मिज़ोरम नेशनल फ्रंट (MNF) के नरमपंथियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वर्ष 1972 में मिज़ोरम को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
  - केंद्र सरकार और MNF के बीच एक समझौता ज्ञापन (मिज़ोरम शांति समझौता) पर हस्ताक्षर करने के बाद वर्ष 1986 में केंद्रशासित प्रदेश मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
- भौगोलिक अवस्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमा: म्याँमार और बांग्लादेश।
  - राज्य सीमा: त्रिपुरा (उत्तर-पश्चिम), असम (उत्तर) और मणिपुर (उत्तर-पूर्व)।
- जनसंख्या: मिज़ोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है, इसकी आबादी 4,00,309 है।
  - लिंग अनुपात: प्रति 1000 पुरुष पर 975 महिला है (राष्ट्रीय स्तर पर यह 943 है)।
  - राज्य की साक्षरता दर 91.58% है (राष्ट्रीय दर: 74.04%)।
- जैव विविधता: भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2019 के अनुसार, मिज़ोरम में वनावरण क्षेत्रफल (85.4%) देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।
  - राजकीय पशु: सीरो (Serow)
  - राजकीय पक्षी: धारीदार पूँछ वाला तीतर या ह्यूम तीतर (Hume Bartailed Pheasant)
- संरक्षित क्षेत्र:
  - डंपा टाइगर रिज़र्व
  - मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान
  - फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान
  - नेंगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य
  - तवी वन्यजीव अभयारण्य
- जनजातियाँ: भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में मिज़ोरम में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है।
  - मिज़ो समुदाय में 5 प्रमुख और 11 गौण जनजातियाँ हैं जिन्हें सामूहिक रूप से अवजिया (Awzia) कहा जाता है। इन 5 प्रमुख जनजातियों में लुशाई, रालते, ह्मार, पाइहते, पावी (अथवा पोई) शामिल हैं।

नोट :

- मिज़ो एक सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ समाज है जिसमें लिंग, प्रतिष्ठा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
- मिजो एक कृषिप्रधान समुदाय है, इस समुदाय के लोग झूम कृषि (Jhum Cultivation) की प्रणाली को अपनाते हैं।

- त्योहार और नृत्य: मिज़ो समुदाय के दो मुख्य त्योहार हैं- मिम कुट, चपचार कुट।
  - चपचार कुट (Chapchar Kut): यह वसंत ऋतु का एक त्योहार है, जो "झूम कृषि के लिये जंगल की सफाई के कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है, यह मिज़ोरम का सबसे लोकप्रिय त्योहार है।
  - मिम कुट: मिम कुट अथवा मक्का त्योहार अगस्त और सितंबर के माह के दौरान मक्के की कटाई के बाद मनाया जाता है।
  - मिज़ो के सबसे रंग-बिरंगे और विशिष्ट नृत्य को चेरव कहा जाता है। इस नृत्य के लिये लंबी बाँस की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है, इसलिये कई लोग इसे 'बाँस नृत्य' भी कहते हैं।

अरुणाचल प्रदेश:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के रूप में जाना जाता था।
  - 20 जनवरी, 1972 को यह केंद्रशासित प्रदेश बना और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया।
- भौगोलिक अवस्थिति: अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष 1987 में असम से अलग एक पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था।
  - पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है और इसके उत्तर में चीन का तिब्बती क्षेत्र पड़ता है।
  - इसके दक्षिण-पूर्वी भाग में नगालैंड और म्याँमार पड़ता है, जबकि दक्षिण-पश्चिमी भाग में असम पड़ता है।
- आबादी: अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है।
  - राज्य की कुल साक्षरता दर (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 65.38% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 72.55% और महिला साक्षरता दर 57.70% है।
  - राज्य का लैंगिक अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 938 महिलाएँ है (राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात: 943)।
  - इस राज्य में 26 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं, इसमें लगभग 100 से अधिक उप-जनजातियाँ हैं, जिनमें से कई जनजातियों की पहचान नहीं की गई है। इस राज्य की लगभग 65% जनसंख्या आदिवासी है।
- व्यवसाय: इस राज्य की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिये कृषि (मुख्य रूप से झूम खेती) पर निर्भर करती है।
  - अन्य नकदी फसलों जैसे- आलू आदि की खेती भी की जाती है।
  - बागवानी फसलें जैसे- अनानास, सेब, संतरा इत्यादि की खेती भी की जाती है।
- जैव विविधता:
  - राजकीय पशु: मिथुन (जिसे गयाल के नाम से भी जाना जाता है)।
  - राजकीय पक्षी: हॉर्नबिल।
  - दिहांग दिबांग बायोस्फियर रिज़र्व भी इसी राज्य में स्थित है।
- संरक्षित क्षेत्र:
  - नमदफा राष्ट्रीय उद्यान
  - मौलिंग नेशनल पार्क
  - सेसा ऑर्किड अभयारण्य
  - दिबांग वन्यजीव अभयारण्य
  - पक्के बाघ अभयारण्य
- अरुणाचल के आदिवासी: अरुणाचल प्रदेश की महत्त्वपूर्ण जनजातीय समूहों में मोनपा, निशि, अपतानी, नोक्टे और शेरडुकपेन शामिल हैं।
  - मोन्पा: इन्हें पूर्वोत्तर की एकमात्र खानाबदोश जनजाति माना जाता है, जो पश्चिम कामेंग और तवांग ज़िलों में निवास करते हैं, ये मुख्य रूप से बौद्ध हैं जो महायान संप्रदाय का अनुशरण करते हैं।

नोट :

- अपतानी: ये पूर्व-आर्य मान्यताओं को मानते हैं, जैसा कि उनके द्वारा की जाने वाली पेड़, चट्टानों और पौधों आदि की पूजा से स्पष्ट है। वे मुख्य रूप से बाँस की खेती करते हैं।
- नोक्टे: ये अरुणाचल प्रदेश के तिरप ज़िले में निवास करते हैं तथा थेरवाद बौद्ध धर्म और जीववाद का पालन करते हैं।
- शेरडुकपेन: यह एक छोटा आदिवासी समूह है, यह समूह अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रगतिशील जनजातियों में से एक है। ये लोग कृषि, मछली पालन और पशु पालन का कार्य करते हैं। हालाँकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, लेकिन इनकी अधिकांश प्रथाएँ अभी भी पूर्व-बौद्ध धर्म और अधिक जीववादी हैं।
- निशि: यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, ये लोग मुख्य रूप से झूम खेती में शामिल हैं और चावल, बाजरा, ककड़ी, आदि का उत्पादन करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

चर्चा में क्यों ?

यूनेस्को (UNESCO) प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषायी और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day) मनाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 2021 की थीम 'शिक्षा और समाज में समावेशन के लिये बहुभाषावाद को प्रोत्साहन' (Fostering Multilingualism for Inclusion in Education and Society) है। भाषा और बहुभाषावाद से समावेशी विकास तथा सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) को प्राप्त करना आसान हो सकता है।
- विश्व में 7,000 से अधिक भाषाएँ हैं, जिसमें से सिर्फ भारत में ही लगभग 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएँ, 1635 मातृभाषाएँ और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएँ हैं।

प्रमुख बिंदु

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के विषय में:

- इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर, 1999 को की गई थी और जिसे विश्व द्वारा वर्ष 2000 से मनाया जाने लगा। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिये किये गए लंबे संघर्ष की भी याद दिलाता है।
- 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिये उक्त तिथि प्रस्तावित की थी।
- इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है।

संबंधित डेटा:

- संयुक्त राष्ट्र (United Nation) के अनुसार, हर दो हफ्ते में एक भाषा गायब हो जाती है और दुनिया एक पूरी सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत खो देती है।
  - वैश्वीकरण के दौर में बेहतर रोज़गार के अवसरों के लिये विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषाओं के लुप्त होने के पीछे एक प्रमुख कारण है।
- दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6000 भाषाओं में से लगभग 43% भाषाएँ लुप्तप्राय हैं।
- वास्तव में केवल कुछ सौ भाषाओं को ही शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक क्षेत्र में जगह दी गई है। वैश्विक आबादी के लगभग 40% लोगों ने ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिसे वे बोलते या समझते हैं।
- सिर्फ सौ से कम भाषाओं का उपयोग डिजिटल जगत में किया जाता है।

नोट :

भाषाओं के संरक्षण के लिये वैश्विक प्रयास:

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 और वर्ष 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक (International Decade of Indigenous Languages) के रूप में नामित किया है।
  - इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of Indigenous Languages) के रूप में घोषित किया था।
- यूनेस्को द्वारा वर्ष 2018 में चांग्शा (Changsha- चीन) में की गई युलु उद्घोषणा (Yuelu Proclamation) भाषायी संसाधनों और विविधता की रक्षा करने के लिये विश्व के देशों तथा क्षेत्रों के प्रयासों के मार्गदर्शन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।

भारत द्वारा की गई पहलें:

- हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy), 2020 में मातृभाषाओं के विकास पर अधिकतम ध्यान दिया गया है।
  - इस नीति में सुझाव दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम कम-से-कम कक्षा 5 तक (अधिमानत: 8वीं कक्षा तक और उससे आगे) मातृभाषा/भाषा/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिये।
  - मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने से यह छात्रों को उनकी पसंद के विषय और भाषा को सशक्त बनाने में मदद करेगा। यह भारत में बहुभाषी समाज के निर्माण, नई भाषाओं को सीखने की क्षमता आदि में भी मदद करेगा।
- विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scientific and Technical Terminology) द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
  - इस आयोग को सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिये वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (National Translation Mission- NTM) को मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages- CIIL) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकों का भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
- लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिये "लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण" (Protection and Preservation of Endangered Languages) योजना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भी देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देता और 'लुप्तप्राय भाषाओं के लिये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केंद्र की स्थापना' योजना के तहत नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहयोग करता है।
- भारत सरकार की अन्य पहलों में भारत वाणी परियोजना (Bharatavani Project) और भारतीय भाषा विश्वविद्यालय (Bharatiya Bhasha Vishwavidyalaya) को शुरू किया जाना प्रस्तावित है।
  - इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति ने स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिये प्रशासन, अदालती कार्यवाही, उच्च और तकनीकी शिक्षा आदि अन्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है।
- केरल सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिये नमथ बसई कार्यक्रम (Namath Basai Programme) चलाया है जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ है।
- मातृभाषा की सुरक्षा के लिये गूगल की परियोजना नवलेखा (Navlekha) प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है।

संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 29 (Article 29- अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) सभी नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है और भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- अनुच्छेद 120 (Article 120- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा) संसद की कार्यवाहियों के लिये हिंदी या अंग्रेज़ी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार है।

नोट :

- भारतीय संविधान का भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
  - अनुच्छेद 350A (Article 350A- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा) के अनुसार, देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का प्रयास होगा कि वह भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें।
  - अनुच्छेद 350B भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यह भाषायी अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। तत्पश्चात् राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबंधित राज्य/राज्यों की सरकारों को भेज सकता है।
  - आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ यथा- असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act), 2009 के अनुसार शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक व्यावहारिक हो बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिये।

भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका के सेंटर फॉर डिज़ीज़ डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी (Center for Disease Dynamics, Economics and Policy- CDDEP) द्वारा हाल ही में किये गए एक शोध में संपूर्ण भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में एक वर्ष तक के लिये पानी, साफ-सफाई और स्वछता (WAter, Sanitation and Hygiene- WASH) सुनिश्चित करने तथा संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित कदम उठाने की लागत का अनुमान लगाया गया है।

- CDDEP का उद्देश्य स्वास्थ्य नीति में बेहतर निर्णय लेने हेतु अनुसंधान का उपयोग करना है।

वॉश (WASH):

- WASH 'Water, Sanitation and Hygiene का संक्षिप्त रूप है। ये क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति को सदस्य राज्य संकल्प (WHA 64.4) तथा सतत् विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) सतत् विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) की अनुक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।
- यह WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-2023 का एक घटक है जिसका उद्देश्य बेहतर आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया जैसे बहुक्षेत्रीय कार्रवाइयों के माध्यम से तीन बिलियन लोगों तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ (UHC) के माध्यम से एक बिलियन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा में योगदान करना है।
- यह जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता जैसे मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता पर भी ज़ोर देता है।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन की आवश्यकता:

- अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सुविधाएँ: WHO और UNICEF की वर्ष 2019 की संयुक्त वैश्विक आधारभूत रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर चार स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक में मूलभूत रूप से जल आपूर्ति का अभाव देखा गया, जबकि पाँच में से एक में स्वच्छता सुविधा नहीं थी तथा 42% स्वास्थ्य सुविधाएँ ऐसी थीं जिनमें देखभाल के स्तर पर स्वच्छता सुविधा का अभाव था।
- स्वच्छता का आर्थिक महत्त्व: WHO द्वारा वर्ष 2012 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह आकलन किया गया था कि यदि स्वच्छता के क्षेत्र में एक डॉलर का निवेश किया जाता है तो स्वास्थ्य सुविधा लागत में 5.50 डॉलर की कमी आएगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा असामयिक मौतों की संख्या में कमी आएगी।

नोट :

- वॉश रणनीति के अनुचित कार्यान्वयन का परिणाम:
  - स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में WHO के WASH दस्तावेज़ में बताया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपर्याप्त जल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के अभाव के कारण प्रतिवर्ष 8,27,000 लोगों की मृत्यु होती है।
  - इसके अलावा बेहतर WASH सुविधाएँ उपलब्ध कराकर प्रत्येक वर्ष पाँच साल से कम उम्र के 2,97,000 बच्चों की मौत को रोका जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य:

- भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में माँ और नवजात शिशुओं के मध्य संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से WASH लागत-प्रभावशीलता का निर्धारण करना।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- लागत अनुमान : भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की WASH स्थिति में सुधार करने तथा इसे एक वर्ष तक बनाए रखने में पूंजीगत लागत के रूप में लगभग 2567 करोड़ रुपए तथा आवर्तक खर्चों हेतु 2095 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
  - महँगा हस्तक्षेप: साफ पानी, लिनेन रिप्रोसेसिंग तथा स्वच्छता।
  - कम खर्चीले हस्तक्षेप: हाथों की स्वच्छता, चिकित्सा उपकरणों का पुन: प्रसंस्करण और वातावरणीय सतह की सफाई।
- स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संक्रमण:
  - WASH की अपर्याप्त उपलब्धता तथा संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण हो सकता है।
  - प्रेरक कारक: एसिनेटोबैक्टर बाउमानी (Acinetobacter baumannii), एंटरोकोकस फेसेलिस (Enterococcus faecalis), एस्चेरिचिया कोलाई (Escherichia coli), साल्मोनेला टाइफी (Salmonella typhi) , स्ट्रैप्टोकोकस निमोनिया (Streptococcus pneumoniae) जैसे रोगजनकों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित होने के कारण इन्हें स्वास्थ्य संबंधी संक्रमणों के लिये उत्तरदायी पाया गया है।
  - स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सामान्य संक्रमण: इनमें सेंट्रल-लाइन से जुड़े रक्त प्रवाह संक्रमण (CLABSI), मूत्रमार्ग संक्रमण, सर्जरी वाले स्थान पर संक्रमण और निमोनिया के उपचार में प्रयोग होने वाले वेंटीलेटर से संबंधित संक्रमण शामिल हैं।

अध्ययन का महत्त्व:

- उपयुक्त रणनीति अपनाने में सहायक: निष्कर्षों से पता चलता है कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में WASH के अंतराल को संबोधित करना न केवल अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों की तुलना में संभावना के क्षेत्र के दायरे में है बल्कि इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसी स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं को संबोधित करने हेतु अन्य राष्ट्रीय प्रयासों के साथ भी जोड़ा जा सकता है।
  - यह स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकारों से WASH प्रावधान में गुणवत्ता और असमानता के मुद्दों को लगातार हल करने के उद्देश्य से ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
- स्वास्थ्य देखभाल नीति में सुधार: WASH, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध के मध्य अंतर इस मायने में अनूठा है कि यह नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH पर हस्तक्षेप के माध्यम से कई अतिव्यापी समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है।

गो इलेक्ट्रिक अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में ई-मोबिलिटी और ईवी चार्जिंग (EV Charging) अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये "गो इलेक्ट्रिक अभियान' की शुरुआत की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

गो इलेक्ट्रिक अभियान:

- विशेषताएँ:
  - देश को 100% ई-मोबिलिटी और स्वच्छ एवं सुरक्षित ई-कुकिंग की ओर ले जाना।
  - राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और देश की आयात निर्भरता (खनिज तेल के संदर्भ में) को कम करना।
  - कम कार्बन अर्थव्यवस्था के मार्ग पर आगे बढ़ना, जिससे देश और ग्रह को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके।
- कार्यान्वयन:
  - केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्त्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को सार्वजनिक चार्जिंग, ई-मोबिलिटी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये जागरूकता अभियान चलाने का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है।

ई-मोबिलिटी (E-Mobility) :

- संक्षिप्त परिचय:
  - ई-मोबिलिटी विद्युत् ऊर्जा स्रोतों (जैसे कि राष्ट्रीय ग्रिड) की बाहरी चार्जिंग क्षमता से ऊर्जा का उपयोग करते हुए वर्तमान में प्रचलित कार्बन उत्सर्जक जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करने में सहायता करती है।
    - वर्तमान में भारत केवल परिवहन के लिये 94 मिलियन टन तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग करता है परंतु वर्ष 2030 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है।
    - जीवाश्म ईंधन के मामले में भारत का वर्तमान आयात बिल 8 लाख करोड़ रुपए का है।
  - इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, पारंपरिक हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड के साथ-साथ हाइड्रोजन-ईंधन चालित वाहनों का उपयोग शामिल है।
  - भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये कई पहलों की शुरुआत की है। फेम (FAME) इंडिया योजना ऐसी ही एक पहल है।
- वैकल्पिक ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिक ईंधन:
  - इलेक्ट्रिक ईंधन जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख विकल्प है।
  - पारंपरिक ईंधन की तुलना में इलेक्ट्रिक ईंधन की लागत और उत्सर्जन कम होता है तथा यह स्वदेशी भी है।
  - सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण न केवल किफायती होता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।
  - राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से ही प्रतिमाह 30 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।
- हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen):
  - व्यावसायिक वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम हो सकता है जो कच्चे तेल की आवश्यकता और इसके आयात को हर संभव तरीके से समाप्त करने में सहायता करेगा।
    - ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस [जल (H_2O) को विभाजित करने हेतु] का उपयोग करके किया जाता है। यह ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन से अलग होता है:
    - ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन मीथेन से होता है और यह वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है।
    - ब्लू हाइड्रोजन: इस प्रकार की हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया के तहत उत्सर्जित गैसों को संरक्षित कर उन्हें भूमिगत रूप से संग्रहीत किया जाता है ताकि वे जलवायु परिवर्तन का कारक न बनें।
  - इसके अलावा बसों जैसे भारी वाहनों के लिये ग्रीन हाइड्रोजन एकआदर्श विकल्प है।
  - कृषि अपशिष्ट और बायोमास से उत्पन्न हरित ऊर्जा के उपयोग से देश भर के किसानों को लाभ होगा।
  - भारत में सौर ऊर्जा कीमतों के कम होने के कारण केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में सस्ती लागत पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है।

नोट :

इलेक्ट्रिक कुकिंग:

- इंडक्शन कुकिंग को बढ़ावा देकर सरकार को ऊर्जा पहुँच में सुधार लाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- सैद्धांतिक रूप से यदि इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सार्वभौमिक विद्युतीकरण को सार्वभौमिक स्वच्छ कुकिंग में बदला जा सकता है।
- बिजली आधारित समाधान (उपकरणों के संदर्भ में) का एक लाभ यह है कि इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency)

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को की गई थी।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की अत्यधिक मांग को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में सहायता करता है।
- प्रमुख कार्यक्रम: राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, प्रदर्शन और व्यापार (पैट) योजना, मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता।

IIT परिषद की सिफारिशें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Technology- IIT) परिषद द्वारा IITs को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये चार कार्य समूहों का गठन किया गया है।

- यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) की सिफारिश के आधार पर लिया गया है।
- IITs द्वारा उसी प्रकार की स्वायत्तता की मांग की जा रही है जिस प्रकार की स्वायत्तता भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) को प्राप्त है।

प्रमुख बिंदु:

IIT परिषद के बारे में:

- सदस्य और प्रमुख:
  - IIT परिषद की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
  - इसमें सभी IITs के निदेशक और प्रत्येक IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर (Board of Governor- BoG) के अध्यक्ष शामिल हैं।
- उद्देश्य:
  - प्रवेश मानकों, पाठ्यक्रमों की अवधि, डिग्री और अन्य 'अकादमिक डिस्टिंक्शन' (Academic Distinctions) पर सलाह देना।
  - कैडर, भर्ती के तरीकों और सभी IITs कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नीति निर्धारित करना।
- परिषद के कार्य समूह:
  - समूह-1: ग्रेडेड ऑटोनॉमी, सशक्त और जवाबदेह बोर्ड ऑफ गवर्नर और निदेशक।
  - समूह-2: IITs के निर्देशन हेतु प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को तैयार करना।
  - समूह-3: एकेडमिक सीनेट/शैक्षणिक प्रबंधकारिणी समिति में सुधार और उसका पुनर्गठन।
  - समूह-4: धन जुटाने के तरीकों का नवीनीकरण।

अन्य सिफारिशें:

- प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  - सभी IITs में प्रौद्योगिकी के उपयोग की समीक्षा करने तथा डिजिटल उपकरणों की तैनाती में तीव्रता लाने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन करना।

नोट :

- जैसे- ब्लॉकचेन (Blockchain), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग (Machine Learning) तथा क्लाउड कम्प्यूटिंग (Cloud Computing)।

- कर्मचारियों की संख्या में कमी करना:
  - निचले स्तर पर IIT कर्मचारियों की संख्या को कम करना।
    - वर्तमान में IITs इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि प्रत्येक दस छात्रों हेतु एक संकाय सदस्य (One Faculty Member) और प्रत्येक दस संकायों के लिये उनके पास 11 कर्मचारियों हेतु पूर्व-अनुमोदन (Pre-Approval) होता है।
- अनुसंधान और विकास प्रदर्शनी:
  - IIT द्वारा उद्योगों हेतु किये जाने वाले अनुसंधान कार्य को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आईआईटी अनुसंधान और विकास प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- विकास योजनाएँ:
  - शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिये संस्थान एवं उद्योगों के बीच शोध से संबंधित प्राध्यापकों की अंतरणीयता (Mobility) में सुधार हेतु IITs द्वारा संस्थान विकास योजनाएँ (Institute Development Plans) विकसित करने की सिफारिश की गई है।

स्वायत्तता की आवश्यकता:

- बेहतर निर्णय लेना:
  - प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता संस्थानों को छात्रों और संगठन के हित में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है।
    - स्वायत्तता के अभाव के चलते अधिकांश निर्णय नौकरशाहों द्वारा लिये जाते हैं, जिनके पास तकनीकी संस्थानों से संबंधित निर्णय लेने हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है।
  - रचनात्मक निर्णय केवल शिक्षाविदों और विशेषज्ञों द्वारा लिये जा सकते हैं, जबकि IITs को पूर्ण स्वायत्तता नहीं प्राप्त है, उन्हें आंशिक स्वतंत्रता दी गई है।
  - हाल ही में IITs में आरक्षण को बेहतर ढंग से लागू करने के उपायों की सिफारिश हेतु नियुक्त एक विशेषज्ञ पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि IITs को संकाय की नियुक्तियों के लिये जातिगत आरक्षण से छूट मिलनी चाहिये क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान हैं।
- ज़िम्मेदारियों में बढ़ोतरी :
  - स्वायत्तता का अभाव न केवल हस्तक्षेप कीअनुमति प्रदान करता है, बल्कि ज़िम्मेदारियों का वितरण भी करता है। यह अनिवार्य रूप से यथास्थिति को बनाए रखने में मदद करता है जो वर्तमान भारत में वांछनीय/आवश्यक नहीं है।
  - स्वायत्तता के चलते इन संस्थानों का अपनी नीतियों और उनके संचालन पर पूर्ण नियंत्रण होगा, साथ ही इनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले मूल्यों की ज़िम्मेदारी भी इन्ही पर होगी।

उजाला और SLNP के 6 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) योजना और SLNP (स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम) ने अपने सफल कार्यान्वयन के छह वर्ष पूरे कर लिये हैं। इन दोनों कार्यक्रमों ने देश भर में घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है।

- दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited- EESL) द्वारा किया जा रहा है, जो विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है।
- इन योजनाओं को एलईडी क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान के लिये 'साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड' (SAPIA) 2017, 'ग्लोबल सॉलिड स्टेट लाइटिंग ' (SSL) अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जैसे वैश्विक पुरस्कार दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)
  - उजाला, सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक 'ज़ीरो-सब्सिडी योजना' है।

नोट :

- इसे विश्व की सबसे बड़ी घरेलू प्रकाश परियोजना के रूप में जाना जाता है।
- इसे एलईडी-आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम (DELP) के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य सभी के लिये ऊर्जा के कुशल उपयोग (अर्थात् इसकी खपत, बचत और प्रकाश व्यवस्था) को बढ़ावा देना है।
- प्रत्येक परिवार जो संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का घरेलू कनेक्शन रखता है, योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिये पात्र है।

- उपलब्धियाँ:
  - उजाला योजना के तहत EESL ने पूरे भारत में 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 47.65 बिलियन किलोवाट घंटा की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ विद्युत की मांग में 9,540 मेगावाट की कमी और प्रतिवर्ष अनुमानत: 38.59 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी के साथ ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में भी कमी आई है।
  - इसने घरेलू एलईडी बल्ब बाज़ारों की वृद्धि में सहायता की है।
  - इसने औसत घरेलू बिजली बिलों को 15% तक कम करने में सहायता की है।
- स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP):
  - SLNP को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था , यह भारत में ऊर्जा-दक्षता को बढ़ावा देने हेतु एक सरकारी योजना है।
  - इस कार्यक्रम के तहत EESL नगरपालिकाओं द्वारा किसी भी प्रकार के निवेश के बिना अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदल देता है, जिससे EESL द्वारा किया जा रहा यह परिवर्तन अधिक आकर्षक हो जाता है।
  - इस योजना से विद्युत मांग में 500 मेगावाट की कमी, 190 करोड़ किलोवाट की वार्षिक ऊर्जा बचत और CO_2 उत्सर्जन में 15 लाख टन की कमी आने की संभावना है।
  - SLNP की योजना पूरे ग्रामीण भारत को कवर करने के लिये वर्ष 2024 तक 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की है।।
- उपलब्धियाँ:
  - अभी तक 1.14 करोड़ से अधिक स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिससे प्रतिवर्ष 7.67 बिलियन kWh की अनुमानित ऊर्जा बचत होती है तथा प्रतिवर्ष 1,161 मेगावाट की उच्च मांग और 5.29 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है।
  - इस योजना से नगरपालिकाएँ अपने बिजली बिलों में 5,210 करोड़ रुपए बचाने में सक्षम हुई हैं।

पगड़ी संभाल आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 1907 में पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू करने वाले सरदार अजीत सिंह की स्मृति में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 23 फरवरी, 2021 को पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मनाया।

- उल्लेखनीय है दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के भाग के रूप में किसान संगठनों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि संसद द्वारा पारित कृषि कानून किसानों को अपनी ज़मीन कॉरपोरेट्स को बेचने के लिये मजबूर करेंगे। किसान संगठनों की यह शिकायत वर्ष 1907 में किसान संगठनों द्वारा की गई शिकायत के समान है जिसके परिणामस्वरूप पगड़ी संभाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

प्रमुख बिंदु

- पगड़ी संभाल आंदोलन:
  - आंदोलन के विषय में:
    - यह एक सफल किसान आंदोलन था जिसने वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार को कृषि से संबंधित तीन कानूनों को रद्द करने के लिये विवश किया। ये तीन कानून थे-
    - पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम (Punjab Land Alienation Act) 1900, पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम (Punjab Land Colonisation Act) 1906 और दोआब बारी अधिनियम (Doab Bari Act) 1907।

नोट :

- इन अधिनियमों के चलते किसान भूमि के मालिक न रहकर भूमि के ठेकेदार/अनुबंधक बन जाते और यदि किसान अनुमति लिये बिना अपने खेत में एक पौधा भी छू लेता तो ब्रिटिश सरकार उस किसान को आवंटित भूमि वापस ले सकती थी।

◆ आंदोलन का नारा:
- 'पगड़ी संभाल जट्टा' का नारा तथा आंदोलन का नाम जंग स्याल (Jang Sayal) अखबार के संपादक बांके लाल के गीत से प्रेरित था।

◆ विरोध:
- यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, डाकघरों, बैंकों आदि में लूटपाट की तथा टेलीफोन के खंभों को गिरा दिया।

◆ आंदोलन के नेतृत्वकर्त्ता:
- इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्त्ता भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे जिन्होंने कृषि कानूनों से नाराज़ किसानों को संगठित करने का कार्य किया।
- भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ने अपने क्रांतिकारी मित्र घसीटा राम के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी (Bharat Mata Society) का गठन किया। इस सोसाइटी का उद्देश्य किसानों में व्याप्त नाराज़गी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का रूप देना था।
- सूफी अम्बा प्रसाद, जिया-उल-हक, लाल चंद फलक, दीन दयाल बांके, किशन सिंह और लाला राम शरण दास जैसे कई युवा क्रांतिकारी भारत माता सोसाइटी के सदस्य थे।

● सरदार अजीत सिंह:

◆ जन्म:
- इनका जन्म 23 फरवरी, 1881 को हुआ था। वह भारत में ब्रिटिश शासन के समय एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थे।
- वह भारतीय क्रांतिकारियों और अपने भतीजे भगत सिंह के प्रेरणास्रोत थे।

◆ कार्य:
- वह पंजाब के शुरुआती प्रदर्शनकारियों में से थे, उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की खुलेआम आलोचना की।
- अपने भाई किशन सिंह के साथ उन्होंने बरार (मध्य प्रदेश) और अहमदाबाद जैसे अकाल प्रभावित क्षेत्रों तथा वर्ष 1905 में श्रीनगर एवं कंगला के बाढ़ और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिये काम किया।
- उन्होंने भारत माता पुस्तक एजेंसी (भारत माता सोसाइटी का हिस्सा) की शुरुआत की जिसने स्पष्ट रूप से सरकार विरोधी प्रकाशनों के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
- उन्होंने उन लोगों के साथ एकजुटता हेतु एक नेटवर्क बनाया, जो यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भारत की आज़ादी के लिये संघर्ष कर रहे थे। इस अवधि में उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी संघ (Indian Revolutionary Association) की भी स्थापना की।

◆ निर्वासन:
- मई 1907 में लाला लाजपत राय के साथ सरदार अजीत सिंह को बर्मा के मांडले में निर्वासित कर दिया गया।
- हालाँकि अत्यधिक सार्वजनिक दबाव और भारतीय सेना में अशांति बढ़ने के कारण के कारण अक्तूबर 1907 में दोनों को रिहा कर दिया गया था।

◆ ईरान पलायन:
- 1909 में सरदार अजीत सिंह सूफी अम्बा प्रसाद के साथ ईरान भाग गए और वहाँ 38 वर्षों तक आत्मरोपित निर्वासन में रहे।

◆ मृत्यु:
- मार्च 1947 में वह भारत वापस लौटे तथा 15 अगस्त, 1947 को डलहौज़ी, पंजाब में उनकी मृत्यु हो गई।

नोट:

● मध्यकालीन युग के दौरान केवल कुलीन वर्ग के लोगों को पगड़ी पहनने की अनुमति थी परंतु 17वीं शताब्दी में सिख क्रांति के दौरान गुरु गोबिंद सिंह ने इसे अवज्ञा का प्रतीक घोषित किया।

नोट :

- उन्होंने पगड़ी से जुड़े भेदभाव को समाप्त करते हुए आम आदमी के लिये अपने आत्मसम्मान का दावा करने और उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रसस्त किया।
- पगड़ी आम आदमी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है।
- वर्ष 1907 में 'पगड़ी संभाल जट्टा' अपनी पगड़ी को न गिरने देने (वस्तुत: और लाक्षणिक रूप से) का आह्वान था।

राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा कार्यरत अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के एक उपसमूह के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति (National Migrant Labour Policy) का मसौदा तैयार किया गया है।

- इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (Informal Economy) में श्रमिकों सहित प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु:

- प्रवासन:
  - प्रवासन (Migration) का आशय अपने मूल या सामान्य निवास स्थान से आंतरिक (देश के भीतर) या अंतर्राष्ट्रीय (देशों के बाहर) सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही से है।
  - प्रवासन से संबंधित नवीनतम सरकारी डेटा वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त किये गए हैं। 2011 की जनगणना में भारत में प्रवासियों की कुल संख्या 45.6 करोड़ थी (जनसंख्या का 38%), जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में प्रवासियों की कुल संख्या 31.5 करोड़ (जनसंख्या का 31%) थी।
- प्रवासियों से संबंधित वर्तमान मुद्दे:
  - स्वतंत्र प्रवासी:
    - इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, 1979 (Inter State Migrant Workers Act, 1979) केवल एक ठेकेदार के माध्यम से पलायन करने वाले मज़दूरों को प्रवासी के रूप में शामिल करता है तथा स्वतंत्र प्रवासियों को छोड़ देता है।
  - सामुदायिक संगठन का निर्माण (CBO):
    - प्रवासियों के उद्भव वाले राज्यों में CBO और प्रशासनिक कर्मचारियों की अनुपस्थिति या अभाव के चलते विकास कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच बाधित हुई है जिस कारण मजबूरन आदिवासियों को प्रवास करना पड़ता है।
  - राज्य सरकारों की वचनबद्धता का अभाव:
    - राज्य के श्रम विभागों में प्रवासन से संबंधित मुद्दों और मानव तस्करी को रोकने के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव देखने को मिलता है।
  - बिचौलिये:
    - आवश्यक मानवशक्ति के अभाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन निगरानी करने में सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण प्राय: प्रवासी बिचौलियों/मध्यस्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- नीति आयोग के मसौदे का दृष्टिकोण
  - मसौदा नीति का डिज़ाइन दो दृष्टिकोणों का वर्णन करता है:
    - नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और मज़दूरों हेतु आरक्षण पर केंद्रित।
    - समुदायिक संस्थानों और उनकी क्षमता को बढ़ाना तथा उन पहलुओं को समाप्त करना जो किसी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं।

नोट :

- मसौदे की सिफारिशें:
  - प्रवासन की सुविधा:
    - प्रवासन को विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये तथा सरकार की नीतियाँ प्रवासन में बाधक न होकर आंतरिक प्रवास के अनुकूल होनी चाहिये।
  - मज़दूरी में वृद्धि:
    - मसौदे में प्रवासियों की अधिकता वाले राज्यों में आदिवासियों की स्थानीय आजीविका में प्रमुख बदलाव लाने हेतु न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात की गई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ हद तक पलायन कम हो सकता है।
  - केंद्रीय डेटाबेस:
    - नियोक्ताओं को 'मांग और आपूर्ति के मध्य के अंतर को कम करने' तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस होना चाहिये।
    - इसमें मंत्रालयों और जनगणना कार्यालय को प्रवासियों और संबंधित आबादी के अनुरूप प्रणाली स्थापित करने, मौसमी और चक्रीय प्रवासियों से संबंधित रिकॉर्ड रखने और मौजूदा सर्वेक्षणों में प्रवासी-विशिष्ट चरों को शामिल करने के लिये कहा गया है।
  - प्रवास संसाधन केंद्र:
    - पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को उच्च प्रवास क्षेत्रों में प्रवास संसाधन केंद्र बनाने में मदद करने हेतु जनजातीय मामलों के प्रवासन डेटा का उपयोग करना चाहिये।
    - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इन केंद्रों में कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - शिक्षा:
    - शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुख्यधारा के प्रवासी बच्चों की शिक्षा एवं उनका डेटा तैयार करना और प्रवासी स्थानों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रयास करना चाहिये।
  - आश्रय और आवास:
    - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शहरों में प्रवासियों हेतु रैन बसेरों, अल्प-प्रवास वाले घरों तथा मौसमी आवास के मुद्दों को संबोधित करना चाहिये।
  - शिकायत हैंडलिंग सेल:
    - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services authority- NALSA) और श्रम मंत्रालय को प्रवासी श्रमिकों की तस्करी, न्यूनतम मज़दूरी उल्लंघन, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं हेतु शिकायत निवारण कक्ष एवं फास्ट ट्रैक कानूनी प्रतिक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिये।
- पूर्व सिफारिशें:
  - जनवरी 2017 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन की रिपोर्ट ने इन श्रमिकों हेतु एक व्यापक कानून की सिफारिश की गई, जो सामाजिक सुरक्षा हेतु कानूनी आधार तैयार करता है।
    - यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग द्वारा वर्ष 2007 की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप था।

आगे की राह:

- कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये अधिकार-आधारित दृष्टिकोण केवल तभी कार्य करेगा, जब श्रमिकों के पास एक विशिष्ट एजेंसी होगी। अतीत में यह देखा गया है कि श्रमिकों के संघीकरण और लामबंदी ने राजनीतिक दलों और सरकारों को कल्याण को औद्योगिक विकास के एक अनिवार्य पहलू के रूप में देखने के लिये मजबूर किया है।
- सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए हैं, खासकर राज्य की सीमाओं से परे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक पहुँच सुनिश्चित करने में, हालाँकि अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है।
- नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत मसौदा औपचारिक कार्यबल के भीतर प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करते हुए श्रम-पूंजी संबंधों को फिर से स्थापित करने का संकेत देता है जो एक प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये आवश्यक है।

नोट :

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विजय सांपला (Vijay Sampla) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में:
  - NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।
  - यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी कर सकता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने के साथ सलाह देना का अधिकार रखता है।
- पृष्ठभूमि:
  - विशेष अधिकारी:
  - प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
  - इस विशेष अधिकारी को आयुक्त (Commissioner) के रूप में नामित किया गया।
  - 65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990:
  - 65वाँ संशोधन, 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
  - संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम,1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।
  - 89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003:
  - इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCSC) और अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) का गठन किया गया।
- संरचना:
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना इस प्रकार है:
  - अध्यक्ष।
  - उपाध्यक्ष।
  - तीन अन्य सदस्य।
  - इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश द्वारा की जाती है।
- कार्य:
  - संविधान के तहत SCs को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जाँच करना।
  - SCs को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के मामले में पूछताछ करना।
  - अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना।
  - इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - SCs के सामाजिक-आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना।

नोट :

- SC समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना।
- आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (Other Backward Classes-OBCs) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध में भी अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किये जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार वह SCs समुदाय के संबंध में करता है।
- वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
- अनुच्छेद 16 (4 अ) यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमश: लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
- पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन

चर्चा में क्यों ?

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) लॉन्च किया गया है।

इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की कई अन्य पहलों को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX), स्मार्टकोड, स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट और भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली या 'जियोस्स्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम' (GMIS) आदि शामिल हैं।

ये सभी पहलें 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु किये जा रहे प्रयासों में वृद्धि करेंगी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM)
  - राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) शहरों और नगरों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिये 'पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म' जैसे तीन स्तंभों पर कार्य करते हुए शहरी भारत के लिये एक साझा डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करेगा।
  - यह मिशन वर्ष 2022 तक 2022 शहरों और वर्ष 2024 तक भारत के सभी शहरों तथा नगरों में शहरी शासन एवं सेवा वितरण के लिये एक नागरिक-केंद्रित और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का काम करेगा।
- महत्त्व
  - राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करेगा, जहाँ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न डिजिटल पहलों को समाहित कर इनका लाभ लिया जा सकेगा, जिससे शहरों और नगरों की ज़रूरतों एवं
  - स्थानीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत के शहर तथा नगर इस पहल की सहायता से लाभान्वित होंगे।

नोट :

- इस मिशन में गवर्निंग सिद्धांतों के एक समूह को समाहित किया गया है और नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक (NUIS) की रणनीति तथा दृष्टिकोण पर आधारित प्रौद्योगिकी डिज़ाइन सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है।
- ये सिद्धांत 'पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्मों' के तीन स्तंभों में मानकों, विनिर्देशों और प्रमाणन को बढ़ावा देते हैं।
- यह मिशन शहरी डेटा की पूर्ण क्षमता का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करने हेतु शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को और मज़बूत करेगा।

◆ इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)
- इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज को स्मार्ट सिटी मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान-बंगलूरू द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह शहरी स्थानीय निकायों (ULB) समेत सभी डेटा प्रदाताओं और प्रयोगकर्त्ताओं को डेटा साझा करने, अनुरोध करने और डेटा तक पहुँच प्रदान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है।
- यह एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्रमाणन एवं अधिकृत एप्लीकेशन्स और अन्य स्रोतों के बीच डेटा के सुरक्षित, प्रमाणित व व्यवस्थित आदान-प्रदान की सुविधा देता है।

◆ स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म
- स्मार्टकोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो शहरी शासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी इकोसिस्टम हितधारकों को विभिन्न समाधानों और एप्लीकेशन्स के लिये ओपन-सोर्स कोड के भंडार में योगदान देने हेतु सक्षम बनाता है।
- इसे उन चुनौतियों का समाधान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिनका सामना शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा डिजिटल एप्लीकेशन्स को विकसित करने और इन्हें लागू करने के दौरान किया जाता है।

◆ जियोस्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (GMIS)
- GMIS एक वेब-आधारित, स्थानिक रूप से सक्षम प्रबंधन उपकरण है, जो किसी भी सूचना का वन-स्टॉप एक्सेस प्रदान करता है।
- GMIS कई स्रोतों से जानकारी को एकीकृत करता है और विषय एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर खोज विकल्प प्रस्तुत करता है।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अन्य योजनाएँ और कार्यक्रम

- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप (TULIP)
- साइकिल-फॉर-चेंज चैलेंज (Cycles4Change) और नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF)
- ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स
- अमृत मिशन (AMRUT)
- स्वच्छ भारत मिशन- शहरी
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी में वी.नारायणस्वामी की नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा विश्वास मत परीक्षण के दौरान पर्याप्त बहुमत न जुटा पाने के बाद उपराज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है।

- राष्ट्रपति इस बात से सहमत थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी का प्रशासन केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम (Government of Union Territories Act) 1963 के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन:

- भारतीय संविधान के भाग VIII के तहत अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक के प्रावधान केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित हैं।
- प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है तथा वह राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है।
  - राष्ट्रपति एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है; यह उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है।
- केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी (वर्ष 1963 में), दिल्ली (वर्ष 1992 में) और जम्मू-कश्मीर (वर्ष 2019 में) में एक विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है।
  - परंतु केंद्रशासित प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रपति और संसद के सर्वोच्च नियंत्रण को कम नहीं करती है।
  - संसद केंद्रशासित प्रदेशों के लिये तीनों अनुसूचियों (राज्य सूची सहित) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान (1963 के अधिनियम के अनुसार):

- यदि राष्ट्रपति,केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट है कि -
  - ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संबंधित केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या
  - केंद्रशासित प्रदेश के समुचित प्रशासन के लिये ऐसा करना आवश्यक या समुचित है,
- ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, आदेश देकर एक निर्धारित अवधि (जितना वह उचित समझे) के लिये इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है, और
  - ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है जो अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के तहत केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के लिये आवश्यक या उचित प्रतीत हों।

एक राज्य में राष्ट्रपति शासन:

- अर्थ:
  - राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से है।
  - इसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' के रूप में भी जाना जाता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
  - अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से (राज्यपाल के विवरण के बिना) भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है।
- संसदीय अनुमोदन और समयावधि:
  - राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
  - राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंज़ूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है।
  - यदि यह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन छह माह तक रहता है, इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि (प्रत्येक छह माह पर संसद की स्वीकृति के साथ) के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति शासन का प्रभाव: राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं:
  - वह राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त होती है।

नोट :

- वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग/निर्वहन संसद द्वारा किया जाएगा।
- वह ऐसे सभी कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है।

- निरसन:
  - राष्ट्रपति किसी भी समय एक परिवर्ती घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। इस तरह की उद्घोषणा के लिये संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।
  - ऐसा तब होता है, जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिये आवश्यक न्यूनतम संख्या (या उससे अधिक) में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिये अपना दावा प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रपति शासन से जुड़ी सिफारिशें/निर्णय:

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1968) द्वारा सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिये और इस संबंध में राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये।
- राजमन्नार समिति (1971) ने भारत के संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 को हटाने की सिफारिश की थी।
- सरकारिया आयोग (1988) ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिये, उदाहरण के लिये ऐसे मामलों में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को बहाल करने के लिये ऐसा करना अपरिहार्य हो जाए।
- एस.आर. बोम्मई फैसला (1994):
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहाँ अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उचित प्रयोग हो सकता है।
  - ऐसी ही स्थिति 'त्रिशंकु विधानसभा' की है, अर्थात् ऐसी स्थिति जब विधानसभा के आम चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता।
- न्यायमूर्ति वी. चेलैया आयोग (2002) ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद/संयम से किया जाना चाहिये और इसे केवल अनुच्छेद 256, 257 और 355 के तहत सभी प्रावधानों के विफल रहने के बाद अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग में लाना चाहिये।
- पुंछी आयोग (2007) ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन की सिफारिश की। इस आयोग ने केंद्र द्वारा इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए राज्यों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

मन्नथू पद्मनाभन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नथू पद्मनाभन की पुण्यतिथि मनाई गई।

प्रमुख बिंदु

जन्म:

- मन्नथू पद्मनाभन का जन्म 2 जनवरी, 1878 को केरल के कोट्टायम ज़िले में पेरुना नामक स्थान पर हुआ था।

मन्नथू पद्मनाभन के विषय में:

- वह दक्षिण-पश्चिमी राज्य केरल के एक समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे।
- सरदार के.एम. पणिकर ने उन्हें केरल के 'मदन मोहन मालवीय' की संज्ञा दी।
- उन्होंने अपने कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1893 में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में की।
- वर्ष 1905 में उन्होंने अपना पेशा बदल दिया और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में कानून का अभ्यास शुरू कर दिया।

नोट :

राजनैतिक तथा सामाजिक योगदान:

- उन्होंने वायकोम (वर्ष 1924) एवं गुरुवायूर (वर्ष 1931) के मंदिर-प्रवेश सत्याग्रहों और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलनों में भाग लिया।
  - वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर (वर्तमान केरल) के मंदिरों में दलित वर्ग के लोगों को प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1924-25 के दौरान केरल के कोट्टायम ज़िले में वायकोम के शिव मंदिर के पास हुआ। उस समय वायकोम त्रावणकोर रियासत का एक हिस्सा था।
  - गुरुवायूर सत्याग्रह केरल के प्रसिद्ध 'गुरुवायूर मंदिर' में दलितों को प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया था। यह मंदिर वर्तमान थ्रिसूर ज़िले में है जो उस समय मालाबार ज़िले के पोन्नानी तालुक का हिस्सा था और अब केरल का हिस्सा है।
- उन्हें नायर समुदाय का सुधारक और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है। उन्होंने नायर समुदाय के सदस्यों को बुरे और रूढ़िवादी रिवाजों का त्याग करने के लिये प्रेरित किया।
- उन्होंने सभी जातियों के लिये मंदिर प्रवेश की मांग करने और अस्पृश्यता का अंत करने के उद्देश्य से नायर समुदाय का नेतृत्व किया।
- वर्ष 1914 में उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की।
- वर्ष 1946 में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के सदस्य बने और त्रावणकोर में सर सी.पी. रामास्वामी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण 14 जून, 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- वर्ष 1949 में पद्मनाभन त्रावणकोर विधानसभा के सदस्य बने।
- वर्ष 1964 में केरल कॉन्ग्रेस के गठन में भी उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई जो भारत की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी।

पुरस्कार एवं सम्मान:

- वर्ष 1966 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भारत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया।

मृत्यु:

- 25 फरवरी, 1970 को 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
- उनकी समाधि NSS मुख्यालय चंगनाचेरी में स्थित है जो केरल के कोट्टायम ज़िले की नगरपालिका है।

नए IT नियम 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 नियमों को अधिसूचित किया गया है।

- नए नियम व्यापक रूप से सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (Over-The-Top- OTT) प्लेटफॉर्मों हेतु लाए गए हैं।
- इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत तथा पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश) नियम 2011 के स्थान पर लाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि :

- वर्ष 2018:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (प्रज्ञवल मुकदमा) पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 11 दिसम्बर, 2018 के आदेश में कहा था कि भारत सरकार सामग्री उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म और अन्य अनुप्रयोगों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंगरेप की तस्वीरों, वीडियो तथा साइट को खत्म करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है।

नोट :

- वर्ष 2020:
  - राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ऐसी सामग्री के मूल निर्माता की पहचान किये जाने की सिफारिश की।
  - सरकार द्वारा वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर-द-टॉप [Video Streaming Over-The-Top (OTT)] प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया।

सोशल मीडिया/मध्यस्थों हेतु नए दिशा-निर्देश:

- सोशल मीडिया मध्यस्थों की श्रेणियाँ:
  - उपयोगकर्त्ताओं की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मध्यस्थों को दो समूहों में विभाजित किया गया है:
    - सोशल मीडिया मध्यस्थ।
    - महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ।
- प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अतिरिक्त जाँच-पड़ताल/निरीक्षण का अनुपालन:
  - मध्यवर्ती इकाइयों सहित सोशल मीडिया द्वारा नियमों में सुझाई गई जाँच-पड़ताल का पालन किया जाता तो उन पर सेफ हार्बर प्रावधान (Safe Harbour Provisions) लागू नहीं होंगे।
  - सेफ हार्बर प्रावधानों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत परिभाषित किया गया है।
- शिकायत निवारण तंत्र की अनिवार्यता :
  - मध्यस्थों को प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इस अधिकारी के नाम व संपर्क विवरण को साझा करना होगा।
  - शिकायत अधिकारी भेजी जाने वाली शिकायत को 24 घंटे के भीतर प्राप्त करेगा तथा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसका समाधान करना होगा।
- उपयोगकर्त्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना:
  - मध्यस्थों को कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर उसे हटाना होगा या उस तक पहुँच को निष्क्रिय करना होगा जो किसी व्यक्ति की निजता को उजागर करते हों, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र या यौन क्रिया में दिखाते हों या बदली गई छवियों सहित छद्मरूप में दिखाते हों।
  - ऐसी शिकायत या तो किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है।
- प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अतिरिक्त जाँच-पड़ताल का पालन :
  - नियुक्तियाँ: नए नियमों के अनुसार, मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेज़ीडेंट शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है तथा नियुक्त किये जाने वाले सभी व्यक्ति भारत के निवासी होने चाहिये।
  - अनुपालन रिपोर्ट: एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण और शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण हो, साथ ही हटाई गई सामग्रियों का विवरण भी उल्लेखित हो।
  - प्रवर्तक की पहचान सुनिश्चित करना:
    - संदेश भेजने की प्रकृति में मुख्य रूप से सेवाएँ प्रदान करने वाले महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को सूचना देने से पहले प्रवर्तक की पहचान को सत्यापित करना होगा।
    - यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अपराधों की रोकथाम एवं उनका पता लगाने, जाँच, अभियोजन या सज़ा के प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

गैर-कानूनी सूचना को हटाना:

अदालत के आदेश के रूप में या अधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा अधिसूचित वास्तविक जानकारी मिलने पर मध्यस्थों द्वारा पोषित या ऐसी किसी जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिये जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक आदेश, दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंधों आदि के हित में किसी कानून के तहत निषेध हो।

नोट :

समाचार प्रकाशकों, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिये नियम:

- OTT हेतु:
  - सामग्री का स्व-वर्गीकरण:
    - नियमों के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन चयनित सामग्री का प्रकाशक कहा जाता है, इस सामग्री को पाँच आयु आधारित श्रेणियों- U (यूनिवर्सल), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और A (वयस्क) में वर्गीकृत किया जाएगा।
  - पैरेंटल लॉक:
    - U/A 13+ या उससे ऊपर की श्रेणी के लिये OTT प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल लॉक का फीचर देना होगा और A श्रेणी के कंटेंट के लिये आयु को वेरिफाई करने का बेहतर मैकेनिज़्म तैयार करना होगा।
  - ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक को हर कंटेंट या कार्यक्रम के साथ कंटेंट विवरणी में प्रमुखता से वर्गीकृत रेटिंग का उल्लेख करते हुए उपयोगकर्त्ता को कंटेंट की प्रकृति बतानी होगी और हर कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शक विवरणी (Viewer Description) प्रस्तुत कर कार्यक्रम देखने से पहले दर्शक को सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाना होगा।
- डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रकाशकों हेतु:
  - समाचार प्रशासकों को डिजिटल मीडिया पर 'भारतीय प्रेस परिषद' के पत्रकारिता आचरण मानदंड और 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995' के तहत कार्यक्रमों पर नज़र रखनी होगी, ताकि ऑफलाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया को एक समान वातावरण में उपलब्ध कराया जा सके।
- शिकायत समाधान तंत्र:
  - नियमों के तहत स्व-विनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।
    - स्तर-I : प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन
    - स्तर-II : प्रकाशकों की स्व-विनियमित संस्थाओं का स्व-विनियमन
    - स्तर-III : निगरानी तंत्र
- प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन:
  - प्रकाशक को भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिये जवाबदेह होगा।
  - यह अधिकारी स्वयं द्वारा प्राप्त हर शिकायत पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेगा।
- स्व-विनियमित संस्था:
  - प्रकाशकों की एक या ज़्यादा स्व-विनियामकीय संस्थाएँ हो सकती हैं।
  - ऐसी संस्था की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा, जिसमें छह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
  - इस संस्था को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा।
  - यह संस्था प्रकाशक द्वारा पालन किये जा रहे आचार संहिता संबंधी नियमों की निगरानी करेगी और उन शिकायतों का समाधान करेगी, जिनका प्रकाशक द्वारा 15 दिन के भीतर समाधान नहीं किया गया है।
- निगरानी तंत्र :
  - सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक निगरानी तंत्र विकसित करेगा।
  - यह आचार संहिताओं सहित स्व-विनियमित संस्थाओं हेतु एक चार्टर का प्रकाशन करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिये एक अंतर विभागीय समिति का गठन करेगा।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक (Major Port Authorities Bill), 2020 पारित किया है। इस बिल में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और बोर्ड स्थापित कर उनके शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया गया है।

- यह विधेयक प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम (Major Port Trusts Act), 1963 की जगह लेगा।
- भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल (तत्कालीन कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मर्मुगाओ, न्यू मंगलौर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पहले एन्नोर), वी. ओ. चिदंबरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) हैं।

प्रमुख बिंदु

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण बोर्ड:
  - प्राधिकरण के विषय में: इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिये एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड (Board of Major Port Authority) के निर्माण का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे।
    - सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं।
  - रचना:
    - विधेयक के अंतर्गत रेल मंत्रालय, रक्षा और सीमा शुल्क मंत्रालय, राजस्व विभाग के साथ-साथ जिन राज्यों में प्रमुख बंदरगाह हैं, उन राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
    - इसमें एक सरकारी नामांकित सदस्य और प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल होगा।
  - शक्तियाँ:
    - यह विधेयक बोर्ड को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिये अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है।
    - बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिये शुल्क तय करने का अधिकार होगा।
    - बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर सार्वजनिक–निजी साझेदार (Public Private Partner) तटकर तय करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
    - पोर्ट प्राधिकरण द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रावधान किये गए हैं।
- न्यायिक बोर्ड:
  - एक न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो तत्कालीन प्रमुख बंदरगाहों हेतु टैरिफ प्राधिकरण (Tariff Authority for Major Port) के शेष कार्यों, बंदरगाहों और पीपीपी के बीच उत्पन्न विवादों आदि को देखेगा।
    - TAMP, केंद्र और निजी टर्मिनलों के नियंत्रण वाले प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों द्वारा लगाए गए टैरिफ को ठीक करने का एक बहु-सदस्यीय वैधानिक निकाय रहा है।

नोट :

- जुर्माना:
  - कोई भी व्यक्ति जो विधेयक के किसी प्रावधान या नियमों का उल्लंघन करता है, उसे एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

लक्ष्य:

- विकेंद्रीकरण: निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना और प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना।
- व्यापार और वाणिज्य: बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार तथा वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना।
- निर्णय लेना: यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निष्पादन क्षमता को बेहतर करते हुए तेज़ तथा पारदर्शी निर्णय प्रदान करता है।
- रीओरिएंटिंग मॉडल: वैश्विक अभ्यास के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल हेतु पुन: पेश करना।

महत्त्व:

- लेवल-प्लेयिंग फील्ड:
  - यह विधेयक न केवल प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच बल्कि प्रमुख बंदरगाह टर्मिनलों और पीपीपी टर्मिनलों के बीच एक लेवल-प्लेयिंग फील्ड (Level-Playing Field) बनाने जा रहा है।
  - प्रमुख बंदरगाहों के अंदर पीपीपी टर्मिनल प्लेयरों को भी TAMP से टैरिफ अनुमोदन लेना पड़ा है। यह विधेयक इस निकाय से अनुमोदन लेना समाप्त कर देता है।
  - इसके कारण आने वाले वर्षों में पीपीपी के अंतर्गत बड़े बंदरगाहों में निवेश किये जाने की उम्मीद है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप:
  - यह कदम निश्चित रूप से देश के आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
  - कुल कार्गो आवाजाही का 70% और मूल्य का 90% बंदरगाहों के माध्यम से होता है।

आलोचना:

- इस विधेयक की आलोचना की जा रही है कि इसका उद्देश्य बंदरगाहों का निजीकरण और भूमि उपयोग पर राज्यों की शक्तियों को कम करना है।

आगे की राह

- इस विधेयक को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन निजी बंदरगाहों की तुलना में सार्वजनिक बंदरगाहों पर गुणवत्तापूर्ण सेवा और विपणन की कमी है।
- तंत्र का निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। प्रस्तावित भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल के तहत जो बोर्ड बनाया गया है, उसे दी गई स्वायत्तता का उपयोग किया जाना चाहिये। बोर्ड को स्वतंत्रता के साथ काम कर गुणवत्तापूर्ण सेवा, दक्षता, भूमि उपयोग, परिसंपत्ति-मुद्रीकरण, विवाद समाधान आदि में सुधार करने के लिये निर्णय लेना होगा।

कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि वर्ष 2013 से देश में कृषि आय का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया था।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- कृषि, भारत की आधी से अधिक आबादी के लिये आजीविका का मुख्य साधन है। रोज़गार, आय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इतनी कम अवधि में किसानों की आय दोगुनी करना प्रशासनिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिये एक मुश्किल काम है।
- कुल उत्पादन में वृद्धि, बाज़ार में बेहतर कीमत वसूली, उत्पादन लागत में कमी, उपज विविधीकरण, कुशल पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, मूल्य संवर्द्धन आदि के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना संभव है।

भारतीय किसानों से संबंधित डेटा:

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- संस्थागत सुधार:
  - उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिये: प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और परंपरागत कृषि विकास योजना।
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल और आय हानि की स्थिति में बीमा प्रदान करने और खेती में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये।
  - नदियों को जोड़ना - उत्पादन और कृषि आय बढ़ाने के लिये।
  - ऑपरेशन ग्रीन्स: जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं जैसे- टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की मूल्य अस्थिरता को संबोधित करने हेतु।
  - पीएम किसान संपदा योजना: खाद्य प्रसंस्करण को समग्र रूप से बढ़ावा देने हेतु।
- तकनीकी सुधार:
  - ई-नाम (E-NAM) की शुरुआत: राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि उत्पादों के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने हेतु मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़ता है।
  - कपास प्रौद्योगिकी मिशन: इसका उद्देश्य कपास उत्पादकों को प्रौद्योगिकी का व्यवस्थित हस्तांतरण सुनिश्चित कर कृषि लागत में कमी और प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाते हुए उत्पादकों की आय में वृद्धि करना है।
  - तिलहन, दलहन और मक्के पर प्रौद्योगिकी मिशन (TMOPM): TMOPM के तहत लागू कुछ योजनाएँ- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी) आदि हैं।
  - एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): यह फलों, सब्जियों, कंद-मूल फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बाँस को शामिल करने वाले बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास की एक योजना है।
  - चीनी प्रौद्योगिकी मिशन (Sugar Technology Mission): इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, ऊर्जा संरक्षण और पूंजी उत्पादन अनुपात में सुधार जैसे कदमों के माध्यम से चीनी की उत्पादन लागत को कम करना और चीनी की गुणवत्ता में सुधार करना है।
  - राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन: इसका उद्देश्य भारतीय कृषि के दस प्रमुख आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुकूलन उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थायी कृषि को बढ़ावा देना है, इसमें शामिल प्रमुख आयामों में से कुछ निम्नलिखित हैं: 'संवर्द्धित बीज, पशुधन और मछली पालन ', 'जल उपयोग दक्षता', 'कीट प्रबंधन', 'बेहतर कृषि पद्धति', 'पोषक प्रबंधन', 'कृषि बीमा', 'ऋण सहायता', 'बाज़ार', 'सूचना तक पहुँच' और आजीविका विविधीकरण।
  - इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण (हर मेड़ पर पेड़), मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाएँ भी लागू की जाती हैं।

आवश्यकता और चुनौतियाँ: वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कुछ बुनियादी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार:
  - एक प्रभावी जल संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करते हुए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है।

नोट :

- कृषि ऋण में सुधार:
  - कृषि ऋण के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय वितरण की विषमता के मुद्दे को संबोधित करने के लिये कृषि ऋण के एक समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया जाना आवश्यक है।
- भूमि सुधार:
  - चूँकि भारत में छोटी और सीमांत जोतों का अनुपात काफी बड़ा है, ऐसे में भूमि बाज़ार के उदारीकरण जैसे भूमि सुधार उपायों से किसानों को अपनी आय में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।
- संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा:
  - कृषि से जुड़े लोगों (विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों) के लिये रोज़गार और आय का एक सुनिश्चित द्वितीयक स्रोत प्रदान करने हेतु संबद्ध क्षेत्रों जैसे- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- फार्म मशीनीकरण:
  - भारत में अल्प कृषि मशीनीकरण (मात्र 40%) के मुद्दे को भी संबोधित करने की आवश्यकता है जो चीन (लगभग 60%) और ब्राज़ील (लगभग 75%) की तुलना में काफी कम है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार:
  - पोस्ट हार्वेस्ट क्षति और कृषि उत्पाद के लिये अतिरिक्त बाज़ार के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - पिछले छह वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 5% से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- वैश्विक बाज़ार में संभावनाओं की तलाश:
  - वर्तमान में भारत में अधिशेष कृषि उपज के लिये बाज़ार का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने हेतु वैश्विक बाज़ारों की खोज पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- श्रमिकों का पुन: आवंटन:
  - वर्तमान में कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रम संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में भी पुन: आवंटित करने की आवश्यकता है।
  - यद्यपि संरचनात्मक परिवर्तनों के तहत कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या को कम करना और सेवा क्षेत्र के रोज़गार की हिस्सेदारी में वृद्धि करना शामिल था, परंतु बड़ी संख्या में उपलब्ध श्रमिकों को उपयुक्त रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार अवसरों के विकास हेतु और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।
- अन्य मुद्दे:
  - कृषि में निवेश, बीमा कवरेज, जल संरक्षण, बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से उन्नत पैदावार, बाज़ार तक पहुँच, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच संबंधों को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- किसानों की आय का निम्न स्तर और इसमें प्रतिवर्ष होने वाला उतार-चढ़ाव कृषि क्षेत्र की चिंताओं का एक प्रमुख कारण है।
- कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने और भारत की आधी आबादी की आजीविका में सुधार करने के लिये किसानों की स्थिति में सुधार तथा कृषि आय बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।
- किसानों की क्षमता (प्रौद्योगिकी अपनाने और जागरूकता) को बढ़ाने पर सक्रिय ध्यान देने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को संगठित करना आवश्यक है।
- कृषि परिवारों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का आखिरी सर्वेक्षण वर्ष 2013 में आयोजित किया गया था। इसके बाद से किसानों की आय का कोई अन्य आकलन नहीं किया गया है। इसलिये किसानों की प्रगति का सटीक आँकड़ा प्राप्त करने हेतु तत्काल उचित कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता है।

नोट :

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment- FPI) बढ़ने के कारण सेंसेक्स में 11.36% की वृद्धि हुई है।

- सेंसेक्स, जिसे S&P और BSE सेंसेक्स सूचकांक के रूप में जाना जाता है, भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स है।
- स्टॉक एक निवेश है जो किसी कंपनी के शेयर या आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। निगम अपने व्यवसायों को संचालित करने के लिये धन जुटाने हेतु स्टॉक (बिक्री) जारी करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

अंतर्वाह का कारण:

- बढ़ी हुई तरलता:
  - शेयर बाज़ार में यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के प्रभाव से हुई है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता (बाज़ार में धन की आपूर्ति) को प्रभावित किया है, वहीं निजीकरण के लाभ में वृद्धि हुई है।
  - कई सुधार जैसे- शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा और व्यापार करने में आसानी प्रदान करना आदि भी प्रमुख कारक बनकर उभरे हैं।
- पोस्ट कोविड रिकवरी:
  - उबरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत पश्चिमी दुनिया (जो कोविड-19 और संबंधित लॉकडाउन की दूसरी लहर के साथ संघर्ष कर रहे हैं) की तुलना में विकसित देशों के निवेशकों के लिये एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में दिखता है।

विभिन्न क्षेत्रों में निवेश:

- प्रदर्शन क्षेत्र
  - निजी बैंकों, फास्ट-मूविंग कंज़्यूमर गुड्स (Fast-Moving Consumer Goods) और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology- IT) जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रवाह देखा गया है, क्योंकि इन भारतीय कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों के हटने के बाद उल्लेखनीय वृद्धि की है।
  - वर्ष 2020 में फार्मा क्षेत्र एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा और इस क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
  - संभावित गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के कारण बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई है। अब FPI द्वारा की गई मांग से बैंकिंग शेयरों में फिर से वृद्धि हुई है।

लाभ:

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि:
  - भारत में बढ़ते निवेश प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार (forex Reserve) में वृद्धि होगी, जिससे भारत के पास भविष्य में अत्यधिक तरलता और बढ़ते वित्तीय घाटे जैसी समस्या से निपटने के लिये एक विकल्प मौजूद रहेगा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

विदेशी पूंजी:

- लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिये एफपीआई और एफडीआई दोनों ही वित्तपोषण के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।
  - उदाहरण: निवेशक कई तरह से FDI कर सकते हैं जैसे- किसी अन्य देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना, एक मौजूदा विदेशी कंपनी के साथ अधिग्रहण या विलय, एक विदेशी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम साझेदारी शुरू करना आदि।

नोट :

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में प्रतिभूतियाँ और विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई अन्य वित्तीय संपत्तियाँ शामिल हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल है।
  - उदाहरण: स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉज़िटरी रिसिप्ट (एडीआर), ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसिप्ट (जीडीआर) आदि।

FPI से संबंधित अन्य विवरण:

- FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और यह उस देश के भुगतान संतुलन (BOP) की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
  - बीओपी सामान्यतया एक वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन का विवरण होता है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वर्ष 2014 के नए एफपीआई विनियमों की जगह वर्ष 2019 में नया एफपीआई विनियम लाया गया।
- एफपीआई को प्राय: "हॉट मनी" (Hot Money) कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है।
- एफडीआई, एफपीआई की तुलना में अधिक तरल और कम जोखिम भरा होता है।

एफडीआई और एफपीआई के बीच अंतर

मापदंड	FDI	FPI
परिभाषा	यह एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।	FPI किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है, जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉण्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है।
निवेश में भूमिका	सक्रिय निवेशक	निष्क्रिय निवेशक
प्रकार	प्रत्यक्ष निवेश	अप्रत्यक्ष निवेश
नियंत्रण का अधिकार	उच्च नियंत्रण	बहुत कम नियंत्रण
अवधि	दीर्घकालिक निवेश	अल्पकालिक निवेश
परियोजनाओं का प्रबंधन	कुशल	तुलनात्मक रूप में कम कुशल
किया जाने वाला निवेश	बाह्य देशों की भौतिक संपत्ति में	बाह्य देशों की वित्तीय आस्तियों में
प्रवेश और निकास	जटिल	अपेक्षाकृत कठिन
संचालन	धन, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के लिये विदेशी मुद्रा का स्थानांतरण	बाह्य देशों में पूंजी प्रवाह
शामिल जोखिम	स्थिर	अस्थिर

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके अंतर्गत प्रतिभूति बाज़ार में खुदरा कंपनी के अध्यक्ष और कुछ अन्य प्रमोटरों पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के विषय में:

- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

अवस्थिति:

- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

संरचना:

- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
  - केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।

शक्तियाँ:

- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ होती हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है।

कार्य:

- यह सेबी अधिनियम (SEBI Act), 1992 के तहत एक सहायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकता है
- यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई व उसका निपटारा कर सकता है।
- भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory Development Authority of India- IRDAI) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई और उनका निपटारा कर सकता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

सेबी के विषय में:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (Securities and Exchange Board of India Act), 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
- प्रारंभ में SEBI एक गैर-वैधानिक निकाय था। सेबी का गठन अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाज़ार (Capital Market) के नियामक के रूप में किया गया।
  - पूंजी बाज़ार शब्द से तात्पर्य उन सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से है जिनके माध्यम से दीर्घावधि के फंड, ऋण और इक्विटी दोनों में वृद्धि और निवेश किया जाता है।

मुख्यालय:

- सेबी का मुख्यालय मुंबई में तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।

संरचना:

- सेबी के सभी निर्णय सामूहिक रूप से उसके बोर्ड द्वारा लिये जाते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य होते हैं।
- यह समयनुसार तत्कालीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की जाँच हेतु विभिन्न समितियाँ भी नियुक्त करता है।

नोट :

कार्य:

- इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा, प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
  - प्रतिभूति, सार्वजनिक और निजी बाज़ार से पूंजी जुटाने हेतु इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक वित्तीय साधन है।
  - मुख्यत: तीन प्रकार की प्रतिभूतियाँ होती हैं: इक्विटी - जो धारकों को मालिकाना हक प्रदान करती है; ऋण - अनिवार्य भुगतान के साथ समय-समय पर चुकाया गया ऋण; और हाइब्रिड - ऐसी प्रतिभूति जिसमें ऋण और इक्विटी दोनों का गुण होता है।
- प्रतिभूति बाज़ारों से जुड़े स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार आदि बिचौलियों के कामकाज़ का पंजीकरण और विनियमन करना।
- सेबी एक अर्द्ध-विधायी, अर्द्ध-न्यायिक और अर्द्ध-कार्यकारी निकाय है।
  - यह विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है।

प्रमाणित जूट बीज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट आई केयर कार्यक्रम (Jute ICARE Program) के तहत प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना (Certified Jute Seed Distribution Plan) की शुरुआत की गई है।

- वर्ष 2019 में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Jute Corporation of India-JCI) द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु 1,000 मीट्रिक टन जूट के प्रमाणित बीजों (Certified Seeds) के व्यावसायिक वितरण हेतु राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

प्रमुख बिंदु:

प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना:

- इस योजना के तहत जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 55% से अधिक क्षेत्र में प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाएगा।
  - प्रमाणित बीज (Certified Seed) आधारीय बीज (Foundation Seed) की संतति (Progeny) होता है तथा इसका उत्पादन विशिष्ट आनुवंशिक पहचान और शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसल के प्रमाणित मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- इस योजना के तहत लगभग 5 लाख किसानों को प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाएगा।
- प्रमाणित जूट बीजों का उपयोग करने से जूट की गुणवत्ता में 1 ग्रेड की वृद्धि के साथ इसकी उत्पादकता में 15% की वृद्धि हुई है जिससे जूट किसानों की आय में लगभग 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

जूट आई केयर कार्यक्रम:

- वर्ष 2015 में 'बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास' (जूट आई केयर) कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
  - कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल जूट बोर्ड (National Jute Board- NJB) ने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड एलाइड फाइबर्स (Central Research Institute for Research in Jute and Allied Fibres- CRIJAF) और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Jute Corporation of India- JCI) के सहयोग से की थी।
- उद्देश्य: मशीनीकरण द्वारा किसानों के अनुकूल जूट की खेती को बढ़ावा देना तथा जूट की खेती करने वाले किसानों की आय में वृद्धि के लिये माइक्रोबियल कंसोर्टियम (Microbial Consortium) के त्वरित उपयोग को बढ़ावा देना।
- जूट आई केयर कार्यक्रम के तहत उपलब्ध आगत:
  - रियायती दर पर 100% प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना।
  - बीज ड्रिल/नेल वीडर/साइकल वीडर जैसे यंत्रों के वितरण के साथ किसानों के खेतों का अधिग्रहण कर जूट की खेती के विभिन्न वैज्ञानिक तरीके का प्रदर्शन करना।

नोट :

- CRIJAF SONA जो कि एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम है, का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रिटेनिंग (Microbial Retting) का प्रदर्शन करना तथा किसानों में इसका वितरण करना।
  - जूट के पौधों के तने से फाइबर निकालने की प्रक्रिया को रिटेनिंग (Retting) कहा जाता है।
- जूट आई केयर कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक 2.60 लाख किसानों की मदद की गई है।

जूट उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए अन्य कदम:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि: जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) को वर्ष 2014-15 के 2400 रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 के लिये 4225 रुपए कर दिया गया है।
- रिटेनिंग टैंक: जूट किसानों की उत्पादकता, गुणवत्ता और आय को बढ़ाने हेतु 46000 रिटेनिंग टैंकों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है, जिनका निर्माण केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे- मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आरकेवीवाई और आईसीएआर के तहत किया जाएगा।
  - इससे जूट रिटेनिंग के समय में 7 दिनों की कमी आएगी और जूट का उत्पादन करने वाले राज्यों के ग्रामीण लोगों के लिये 46 लाख मानव-दिनों (Man-days of Employment) का रोज़गार उत्पन्न होगा।
- जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987: इस अधिनियम के तहत सरकार लगभग 4 लाख श्रमिकों और 40 लाख कृषक परिवारों के हितों की रक्षा कर रही है।
  - यह अधिनियम कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इस कार्य में लगे व्यक्तियों के हितों को देखते हुए कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण हेतु जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान करता है।
- जूट जियो-टेक्सटाइल्स (JGT): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) द्वारा एक तकनीकी कपड़ा मिशन को मंज़ूरी दी गई है जिसमें जूट जियो-टेक्सटाइल्स शामिल हैं।
  - JGT सबसे महत्त्वपूर्ण विविध जूट उत्पादों में से एक है। इसे कई क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है जैसे- सिविल इंजीनियरिंग, मृदा अपरदन नियंत्रण, सड़क फुटपाथ निर्माण और नदी तटों का संरक्षण।
- जूट स्मार्ट:
  - जूट स्मार्ट (Jute SMART) एक ई-गवर्नमेंट पहल है जिसे दिसंबर 2016 में जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था।
  - यह सरकारी एजेंसियों द्वारा सैकिंग (टाट बोरा बनाने का कपड़ा) की खरीद के लिये एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के मध्य सहयोग:
  - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (National Institute of Design- NID), अहमदाबाद के इनोवेटिव सेंटर फॉर नेचुरल फाइबर्स (Innovative Centre for Natural Fibres- ICNF) में जूट शॉपिंग बैग्स और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ के विकास हेतु एक जूट डिजाइन सेल की स्थापना की गई है।

जूट:

- तापमान: 25-35°C के मध्य।
- वर्षा की मात्रा: 150-250 cm में मध्य।
- मृदा: जलोढ़ प्रकार की।
- उत्पादन:
  - भारत जूट का बड़ा उत्पादक देश है।
  - इसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी पर केंद्रित है।
  - प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं।
- अनुप्रयोग:
  - इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग जूट की थैली, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है।

नोट :

- सरकारी पहल:
  - जूट के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वर्ण फाइबर क्रांति (Golden Fibre Revolution) तथा जूट और मेस्टा पर प्रौद्योगिकी मिशन (Technology Mission on Jute and Mesta) नामक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
    - अपनी उच्च लागत की वजह से यह सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग सामग्री, विशेष रूप से नायलॉन के उत्पादन के कारण बाज़ार खो रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा HFCs को निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Company) को निर्देश जारी किये हैं।

- एचएफसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company) है, जिसकी वित्तीय संपत्ति का लगभग 60% का उपयोग आवासीय व्यवसाय के वित्तपोषण में जाता है।
- आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, इन निर्देशों का लक्ष्य HFCs के कामकाज से निवेशकों और जमाकर्त्ताओं के हितों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है।

प्रमुख बिंदु

तरलता जोखिम प्रबंधन:

- तरलता जोखिम प्रबंधन नियम (Liquidity Risk Management) 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक की संपत्ति के आकार वाले सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।
- इसमें अंतराल सीमा (Gap Limit) के पालन को शामिल करना चाहिये, जिससे तरलता जोखिम के लिये तरलता जोखिम निगरानी उपकरणों (Liquidity Risk Monitoring Tool) और स्टॉक अप्रोच (Stock Approach) को अपनाया जा सके।

तरलता कवरेज अनुपात:

- HFCs को तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio) के लिये एक लिक्विटी बफर बनाए रखना होगा। इससे भविष्य में नकदी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर उन्हें इस फंड से मदद मिलेगी।

लोन टू वैल्यू अनुपात:

- सूचीबद्ध शेयरों की गारंटी लेकर लोन देने वाले एचएफसी को 50 फीसद का लोन-टू-वैल्यू (Loan-To-Value) अनुपात मेंटेन करना होगा।
- स्वर्ण आभूषणों की गारंटी पर लोन देने के लिये HFCs को 75 फीसद का लोन-टू-वैल्यू अनुपात मेंटेन करना होगा।

निवेश ग्रेड रेटिंग:

- एचएफसी को जब तक किसी स्वीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ (Credit Rating Agency) से कम-से-कम एक वर्ष में एक बार फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिये न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग (Investment Grade Rating) प्राप्त न हो तब तक उसे सार्वजनिक जमा को स्वीकार करने या नवीनीकृत करने से रोक दिया गया है।

कवर फॉर पब्लिक डिपॉज़िट्स:

- एचएफसी के लिये आवश्यक होगा कि स्वीकार किये गए सार्वजनिक जमा पर पूर्ण सुरक्षा कवर सुनिश्चित करे।
  - एचएफसी शर्तों के अनुसार यदि कोई सार्वजनिक जमा या उसके हिस्से को चुकाने में विफल रहता है तो वह किसी भी ऋण या अन्य क्रेडिट सुविधा को तब तक मंज़ूरी नहीं देगा, कोई निवेश नहीं करेगा और कोई अन्य संपत्ति नहीं बनाएगा जब तक कि बकाया (Default) भुगतान नहीं किया जाता है।

नोट :

- एचएफसी को अपने स्वयं के शेयरों के खिलाफ उधार देने से रोक दिया गया है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

- प्रत्येक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक निरंतर आधार पर न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) बनाए रखेगी।
  - यह मार्च 2020 तक 13%, मार्च 2021 से पहले 14% और मार्च 2022 तक 15% से कम नहीं होगा।

ऋण सीमा:

- एक एचएफसी किसी भी उधारकर्त्ता को अपने स्वामित्व वाले फंड का 15% से अधिक उधार नहीं दे सकता है और यह उधारकर्त्ता के समूह को अपने स्वामित्व फंड का 25% से अधिक उधार नहीं दे सकता है।

अन्य कंपनियों में निवेश:

- एक एचएफसी अपने स्वामित्व वाले फंड का किसी कंपनी में 15% और कंपनियों के एक समूह में 25% से अधिक का निवेश नहीं कर सकती है।

मार्केट एक्सपोज़र:

- एक एचएफसी का कुल निवेश सभी प्रकार के पूंजी बाज़ार में (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) पिछले वर्ष के 31 मार्च की तुलना में अपने निवल मूल्य का 40% से अधिक नहीं होना चाहिये।

मुख्य शब्द

तरलता:

- यह एक फर्म, कंपनी और एक व्यक्ति की किसी नुकसान के बिना अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता है।

तरलता जोखिम:

- यह एक ऐसे शेयर की बिक्री-योग्यता (Marketability) को संदर्भित करता है जिसे मूल्यह्रास को रोकने या कम करने के लिये जल्दी से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। इसे आमतौर पर अधिक मूल्य के शेयरों के मामले में देखा जाता है।

तरलता जोखिम प्रबंधन:

- तरलता जोखिम प्रबंधन (Liquidity Risk Management) का आशय उन प्रक्रियाओं और रणनीतियों को शामिल करना है जिनका उपयोग बैंक करता है:
  - यह सुनिश्चित करता है कि संस्था को अनुचित अस्थिरता से बचाते हुए बैलेंसशीट एक वांछित शुद्ध ब्याज मार्जिन अर्जित करती है।
  - विकासशील संस्थान के जोखिम को अनुकूलित करने के लिये संपत्ति और देनदारियों के उचित समन्वय के साथ एक बैलेंसशीट की योजना और संरचना तैयार करना।
  - इसकी दिन-प्रतिदिन के परिचालन या संपूर्ण वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना नकदी प्रवाह और संपार्श्विक ज़रूरतों (सामान्य तथा तनाव दोनों स्थितियों में) को पूरा करने की क्षमता का आकलन करना।
  - रणनीतियों को विकसित कर और उचित कार्रवाई द्वारा उस जोखिम को कम करना जो यह सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि आवश्यकता होने पर ज़रूरी धन और संपार्श्विक (Collateral) उपलब्ध होगा।

तरलता कवरेज अनुपात:

- यह वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को संदर्भित करता है, ताकि अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की उनकी निरंतर क्षमता सुनिश्चित हो सके।

नोट :

ऋण-मूल्य अनुपात:

- यह एक वित्तीय शब्द है जिसका उपयोग उधारदाताओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति के मूल्य-ऋण अनुपात को व्यक्त करने हेतु किया जाता है।

तरलता बफर:

- यह तरल संपत्तियों के स्टॉक को संदर्भित करता है जो एक बैंकिंग संगठन को अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी प्रवाह को पूरा करने में सक्षम बनाता है तथा बैंकिंग संगठन के दैनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपार्श्विक ज़रूरतों को पूरा करता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) को पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital-To-Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) द्वारा 'भारत एनर्जी आउटलुक 2021' रिपोर्ट जारी की गई है, जो भारत की बढ़ती आबादी हेतु विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ संभावनाओं पर ज़ोर देती है।

- भारत एनर्जी आउटलुक 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा आउटलुक शृंखला की एक नई एवं विशेष रिपोर्ट है।

प्रमुख बिंदु:

वर्ष 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता:

- अगले दो दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि होगी और वर्ष 2030 तक भारत यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा।
  - वर्तमान में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश है।
- मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ष 2040 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिससे भारत की ऊर्जा खपत में भी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
- वैश्विक महामारी से पहले भारत की ऊर्जा मांग वर्ष 2019 - 2030 के बीच मध्य लगभग 50 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था, लेकिन महामारी के पश्चात् अब यह 35 प्रतिशत के करीब पहुँच गई है।

औद्योगीकरण एक मुख्य कारक:

- पिछले तीन दशकों में क्रय शक्ति समता (PPP) के मामले में भारत ने वैश्विक औद्योगिक मूल्यवर्द्धन (Industrial Value-added) में 10 प्रतिशत का योगदान दिया है।
- अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2040 तक भारत वैश्विक औद्योगिक मूल्यवर्द्धन में 20 प्रतिशत का योगदान देगा, साथ ही भारत औद्योगिक ऊर्जा खपत में वैश्विक विकास का नेतृत्त्व करेगा।

आयात पर निर्भरता:

- भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरत उसे जीवाश्म ईंधन के आयात पर अधिक निर्भर बना देगी, क्योंकि पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये सरकार की नीतियों के बावजूद भारत का घरेलू तेल और गैस उत्पादन वर्षों से स्थिर बना हुआ है।
- तेल की बढ़ती मांग वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2030 तक भारत के तेल आयात बिल को दोगुना (181 बिलियन डॉलर) और वर्ष 2040 तक तिगुना (255 बिलियन डॉलर) कर सकती है।

नोट :

तेल की मांग

- मौजूदा नीतिगत परिदृश्य में वर्ष 2040 तक भारत की तेल मांग 74 प्रतिशत तक बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुँच सकती है।
- भारत में प्रति व्यक्ति कार स्वामित्व में पाँच गुना वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में हो रही वृद्धि का नेतृत्त्व करेगा।
- वर्ष 2040 तक तेल आयात पर भारत की शुद्ध निर्भरता (कच्चे तेल के आयात और तेल उत्पादों के निर्यात दोनों को ध्यान में रखते हुए) वर्तमान के 75% से बढ़कर 90% से अधिक के स्तर पर पहुँच सकती है क्योंकि उत्पादन की तुलना में घरेलू खपत बहुत अधिक हो जाएगी।

प्राकृतिक गैस की मांग

- 2040 तक कोयले की मांग में तीन गुना वृद्धि के साथ, भारत प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सबसे तेज़ी से विकसित बाज़ार बन जाएगा।
- भारत में प्राकृतिक गैस आयात निर्भरता वर्ष 2010 के 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019 में लगभग 50 प्रतिशत पर पहुँच गई है और अनुमान के अनुसार, वर्ष 2040 तक यह 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।

कोयले की मांग

- वर्तमान में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कोयले का वर्चस्व है, जो कि कुल उत्पादन के 70 प्रतिशत से अधिक है।
- कोयले की मांग वर्ष 2040 तक 772 मिलियन टन तक पहुँच सकती है जो कि वर्तमान में 590 मिलियन टन है।

अक्षय ऊर्जा संसाधन की मांग

- अक्षय ऊर्जा की मांग में वृद्धि के मामले में भारत की हिस्सेदारी चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस (फ्राँस) में स्थापित एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है।
- IEA मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं।
- भारत मार्च 2017 में IEA का एसोसिएट सदस्य बना था, हालाँकि भारत इससे पूर्व ही संगठन के साथ कार्य कर रहा था।
  - हाल ही में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने के लिये IEA के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है।
- 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक' (World Energy Outlook- WEO) रिपोर्ट 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' द्वारा जारी की जाती है।
- IEA का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर, कोयले को सतत् विकास लक्ष्यों के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

आगे की राह

- वर्तमान में संपूर्ण विश्व ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन की गति को तेज़ करने के माध्यमों की तलाश कर रहा है, ऐसे में भारत को निम्न-कार्बन आधारित समावेशी विकास के लिये एक नवीन मॉडल विकसित करना चाहिये। यदि भारत इस तरह के मॉडल को विकसित करने में सफल रहता है तो यह विश्व के अन्य विकासशील देशों के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि किस तरह कार्बन उत्सर्जन में कमी करते हुए आर्थिक विकास में बढ़ोतरी की जा सकती है।
- भारत पहले से ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है तथा सौर उर्जा के माध्यम से भारत की स्थिति और भी मज़बूत हो सकती है, हालाँकि भारत को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये अत्याधुनिक तकनीक एवं नवीनतम नीतियों की आवश्यकता होगी।
- उभरते नए औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित रोज़गार में भी बढ़ोतरी हो रही है, भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि विकास की इस प्रकिया में कोई भी पीछे न रहे और इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हों जो वर्तमान में कोयले पर निर्भर हैं।

नोट :

मीडिया प्लेटफॉर्म बिल: ऑस्ट्रेलिया

चर्चा में क्यों ?

दिग्गज टेक कंपनियों द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर मीडिया कंपनियों से समाचार कंटेंट साझा करने के लिये मुआवज़े को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत कनाडा, फ्राँस और यूनाइटेड किंगडम आदि से दिग्गज टेक कंपनियों जैसे- गूगल और फेसबुक के विरुद्ध एक वैश्विक गठबंधन स्थापित करने हेतु कदम उठाने का आग्रह किया है।

- ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित कानून 'न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल 2020', 'गूगल' और 'फेसबुक' जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को समाचार कंपनियों के कंटेंट का उपयोग करने के लिये उन्हें क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य बनाता है।
- बिल सोशल मीडिया को विनियमित करने के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्द्धा एवं उपभोक्ता आयोग (ACCC) ने अपनी वर्ष 2019 की रिपोर्ट में समाचार मीडिया कंपनियों और इंटरनेट प्लेटफॉर्मों के बीच बुनियादी शक्ति असंतुलन का उल्लेख किया था।
- गूगल और फेसबुक का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इन प्लेटफॉर्मों के पास कई समाचार मीडिया कंपनियों से पर्याप्त सौदेबाज़ी करने शक्ति है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि मीडिया विनियमन इन प्लेटफॉर्मों पर लागू नहीं हो रहे हैं, जबकि ये प्लेटफॉर्म तेज़ी से स्वयं को मीडिया कंपनियों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं।
- इस रिपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लोकतंत्र में एक मजबूत और स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता को महसूस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्द्धा एवं उपभोक्ता आयोग (ACCC) को इस संबंध में एक मसौदा संहिता प्रस्तुत करने के लिये कहा, जो कि आयोग द्वारा जुलाई 2020 में प्रस्तुत की गई।
- कुछ परिवर्तनों के पश्चात् ट्रेज़री कानून संशोधन (न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड) बिल को दिसंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया था।

बिल संबंधित मुख्य विशेषताएँ

- न्यूज़ आउटलेट्स को भुगतान: फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय समाचार कंपनियों के कंटेंट का प्रयोग करने हेतु उन कंपनियों को भुगतान करना होगा।
  - भुगतान करने से संबंधित तंत्र और प्रणाली को लेकर बड़ी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय समाचार कंपनियों के साथ वार्ता करनी होगी।
- मध्यस्थता और अर्थदंड का प्रावधान: यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है तो एक मध्यस्थ को मामले का निपटान करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही ऐसी स्थिति में भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

संबंधित मुद्दे

- मीडिया उद्योग पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा दिये जा रहे ट्रैफिक से लाभान्वित हो रहा है और प्रस्तावित नियम इंटरनेट कंपनियों के समक्ष गंभीर 'वित्तीय एवं परिचालन जोखिम' उत्पन्न करेंगे।
- पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। प्राय: यह देखा जाता है कि सोशल मीडिया और टेक कंपनियाँ बिना राजस्व साझा किये उनके कंटेंट का प्रयोग करती हैं, इसके कारण वस्तुत: पारंपरिक मीडिया, विशेष रूप से क्षेत्रीय समाचार पत्रों की भूमिका काफी प्रभावित हुई है।
- समाचार फीड के लिये कंपनियों को भुगतान करना टेक और सोशल मीडिया कंपनियों के लिये एक बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि गूगल ने पहले ही फ्राँस में समाचार प्रकाशनों को भुगतान करने पर सहमति व्यक्त कर दी है।

नोट :

- गूगल ने हाल ही में ऑनलाइन समाचार कंटेंट के डिजिटल कॉपीराइट भुगतान हेतु फ्राँस के प्रकाशकों के एक समूह के साथ समझौता किया है।

- ऑस्ट्रेलिया के इस नए कानून में मुख्य तौर पर इस बात को लेकर विरोध है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियाँ इस भुगतान प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण रख पाएंगी यानी परिचालन संबंधी पहलू जैसे कि समाचार फीड के लिये भुगतान की मात्रा तय करने में उनकी कितनी भूमिका होगी।
  - फ्राँस में भुगतान प्रक्रिया को कॉपीराइट से जोड़ा गया है।
  - दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया का बिल लगभग पूरी तरह से समाचार आउटलेट्स की सौदा करने की शक्ति पर केंद्रित है।

भारत के संदर्भ में

- भारत में अब तक नीति निर्माताओं ने गूगल और फेसबुक जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं के प्रभुत्व पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि वर्तमान में ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ कोई भी सेवा प्रदाता इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किये बिना ग्राहकों तक नहीं पहुँच सकता है।
- समाचार मीडिया आउटलेट्स पर इन प्लेटफॉर्मों के प्रभाव को लेकर भी अभी तक भारत में कोई सार्थक चर्चा शुरू नहीं हो सकी है।
- फिक्की और इर्नस्ट एंड यंग (EY) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों और एग्रीगेटर्स के कुल 300 मिलियन उपयोगकर्त्ता हैं।
  - इसमें भारत के 46 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्त्ता और 77 प्रतिशत स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता शामिल हैं।
  - 282 मिलियन 'यूनिक विज़िटर्स' के साथ भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन समाचार उपभोक्ता है।
- भारत में वर्ष 2019 में डिजिटल विज्ञापन खर्च वार्षिक आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर 27,900 करोड़ रुपए पहुँच गया है और एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2022 तक यह बढ़कर 51,340 करोड़ रुपए हो जाएगा।
- भारत में समाचार एग्रीगेटर्स के लिये प्रकाशकों को भुगतान करना अनिवार्य नहीं है।
  - समाचार एग्रीगेटर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एक सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, जो प्रकाशन हेतु खबरों और अन्य सूचनाओं को एकत्रित करता है और उन्हें विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित करता है।

आगे की राह

- भारत के पास एक विशिष्ट मीडिया बाज़ार मौजूद है, जो कि देश की विविधता के कारण और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिये भारत में मीडिया प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में कार्य करते हैं। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया का बिल भारत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकता है, हालाँकि भारत के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क के साथ ही आगे बढ़े।
- सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने सूचना तक पहुँच की लोकतांत्रिक व्यवस्था का काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। हालाँकि उनके लगातार बढ़ते आकार और राजस्व मॉडल के कारण समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कई नवीन चुनौतियाँ जैसे- फेक न्यूज़ और सांप्रदायिक विभाजन आदि की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। आवश्यक है कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिये यथासंभव प्रयास करे, ताकि ऐसी चुनौतियों से लोकतंत्र की रक्षा की जा सके।

निर्णायक भूमि स्वामित्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने कई राज्य सरकारों द्वारा मॉडल बिल ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग (Model Bill on Conclusive Land Titling) पर अपनी प्रतिक्रिया भेजने में विफलता के बाद चेतावनी दी है कि उनके साथ समझौते को सही मान लिया जाएगा। यह विधेयक नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा तैयार किया गया था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

भूमि स्वामित्व:

- यह वैयक्तिक और सरकार द्वारा भूमि तथा संपत्ति के अधिकारों के साथ कुशलता से व्यापार करने के लिये कार्यान्वित कार्यक्रमों का वर्णन करने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द है।
  - सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के अनुसार, एक नागरिक का निजी संपत्ति पर अधिकार एक मानवीय अधिकार है।

भारत में भूमि स्वामित्व की वर्तमान प्रणाली:

- प्रणाली के विषय में:
  - भारत वर्तमान में अनुमानित भूमि स्वामित्व प्रणाली का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार भूमि रिकॉर्ड को पिछले लेन-देन के विवरण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
- स्वामित्व:
  - इसे वर्तमान कब्ज़े के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।
- पंजीकरण:
  - भूमि जैसे- उत्तराधिकारी का आँकड़ा, बंधक, पट्टे आदि का पंजीकरण वास्तव में लेन-देन संबंधी पंजीकरण है।
  - भूमि के कागज़ात धारण करना सरकार या कानूनी ढाँचे के अंतर्गत मालिकाना हक की गारंटी नहीं देता है।

निर्णायक भूमि स्वामित्व:

- निर्णयात्मक भूमि स्वामित्व के विषय में:
  - इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि रिकॉर्ड वास्तविक स्वामित्व को निर्दिष्ट करते हैं।
- स्वामित्व:
  - स्वामित्व सरकार द्वारा दिया जाता है जो इसकी सत्यता की ज़िम्मेदारी लेती है।
- विवाद निपटान:
  - एक बार स्वामित्व दिये जाने के बाद किसी भी अन्य दावेदार को स्वामित्व धारक की जगह सरकार के साथ अपने विवादों को निपटाना होगा।
- मुआवज़ा:
  - सरकार विवादों के मामले में दावेदारों को मुआवज़ा दे सकती है, लेकिन स्वामित्व धारक को स्वामित्व खोने का कोई खतरा नहीं होगा।

निर्णायक भूमि स्वामित्व की आवश्यकता और लाभ:

- मुकदमेबाज़ी में कमी:
  - निर्णायक प्रणाली की वजह से भूमि से संबंधित मुकदमेबाज़ी काफी कम हो जाएगी।
    - भारत में वर्ष 2007 के विश्व बैंक (World Bank) के अध्ययन 'विकास को बढ़ाने और गरीबी को कम करने के लिये भूमि नीतियाँ' के अनुसार सभी लंबित अदालती मामलों में से दो-तिहाई मामले भूमि संबंधी हैं।
    - नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि भूमि या अचल संपत्ति पर विवादों को हल करने के लिये अदालतों में औसतन 20 साल लग सकते हैं।
- जोखिम में कमी:
  - एक बार निर्णायक स्वामित्व मिलने के बाद जो निवेशक व्यावसायिक गतिविधियों के लिये ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वे निरंतर जोखिम का सामना किये बिना ऐसा कर पाएंगे। इससे उनके स्वामित्व पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही उनका पूरा निवेश बेकार हो सकता है।

नोट :

- भूमि स्वामित्व वर्तमान में लेन-देन पर आधारित हैं, इसलिये लोगों को लेन-देन के रिकॉर्ड की पूरी शृंखला रखनी पड़ती है और इस शृंखला में किसी भी बिंदु पर विवाद स्वामित्व में अस्पष्टता का कारण बनता है।

- ब्लैक मार्केटिंग में कमी:
  - भूमि के लेन-देन में स्वामित्व संबंधी अस्पष्टता के कारण एक ब्लैक मार्केट का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार करों से वंचित हो जाती है।
- विकास की गति:
  - भूमि विवाद और भूमि स्वामित्व की अस्पष्टता भी बुनियादी ढाँचे के विकास तथा आवास निर्माण में बाधा पैदा उत्पन्न करती है, जिससे इनके निर्माण में देरी होती है। शहरों में नगरीय स्थानीय निकाय संपत्ति करों पर निर्भर होते हैं जिन्हें केवल तभी वसूला जा सकता है जब कोई स्पष्ट स्वामित्व डेटा उपलब्ध हो।
  - वर्तमान में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे अदालती मामले निवेश के लिये बाधा पैदा करते हैं।
- आसान ऋण सुविधा:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। कृषि ऋण तक पहुँच भूमि को जमानत (Collateral) के रूप में उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
  - भूमि पर अपने स्वामित्व को साबित करने और बैंकों से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में अक्षम होने के कारण छोटे तथा सीमांत किसानों को अक्सर बेईमान साहूकारों की दया पर छोड़ दिया जाता है जिससे वे कर्ज़ के जाल में फँस जाते हैं।

समावेशी भूमि स्वामित्व पर मॉडल विधेयक:

- राज्य सरकारों को शक्ति:
  - इस विधेयक से राज्य सरकारों को अचल संपत्तियों के स्वामित्व के पंजीकरण प्रणाली की स्थापना करने, प्रशासन और प्रबंधन के लिये आदेश जारी करने की शक्ति मिलेगी।
- भूमि प्राधिकारी:
  - प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भूमि प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। यह प्राधिकरण मौजूदा रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों के आधार पर भूमि स्वामित्व की एक मसौदा सूची तैयार करने तथा प्रकाशित करने के लिये एक स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (Title Registration Officer) की नियुक्ति करेगा।
    - यह संपत्ति में रुचि रखने वाले सभी संभावित दावेदारों को एक वैध नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद इन दावेदारों को एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने दावे या आपत्तियाँ दर्ज करनी होंगी।
  - यदि विवादित दावे प्राप्त होते हैं तो TRO सभी संबंधित दस्तावेज़ों को सत्यापित करेगा और मामले को हल करने के लिये भूमि विवाद समाधान अधिकारी (Land Dispute Resolution Officer) को संदर्भित कर देगा।
    - हालाँकि अदालतों में पूर्व के लंबित विवादों को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता है।
  - सभी विवादित दावों पर विचार करने और उन्हें हल करने के बाद भूमि प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रकाशित किया जाएगा।
- भूमि स्वामित्व अपीलीय न्यायाधिकरण:
  - इन स्वामित्वों और TRO तथा LDRO के फैसलों को तीन साल की अवधि के बाद भूमि स्वामित्व अपीलीय न्यायाधिकरण (Land Titling Appellate Tribunal) के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इस न्यायाधिकरण को कानून के तहत स्थापित किया जाएगा।
  - स्वामित्व के रिकॉर्ड (Record of Title) में प्रविष्टियों को तीन साल की अवधि के बाद स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।
- उच्च न्यायालय की विशेष पीठ:
  - भूमि स्वामित्व अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील से निपटने के लिये उच्च न्यायालय (High Court) की एक विशेष पीठ गठित की जाएगी।

नोट :

चुनौतियाँ:

- सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दशकों से भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किये गए हैं, खासकर ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- भूमि रिकॉर्ड अक्सर वर्तमान भूमि मालिक के दादा-दादी के नाम पर होते हैं, जिसमें विरासत का कोई सबूत नहीं होता है।
- अद्यतन रिकॉर्ड पर आधारित न होने के कारण भूमि स्वामित्व का निर्णय करना और भी अधिक समस्याएँ पैदा कर सकता है।

आगे की राह

- सामुदायिक भागीदारी के साथ व्यापक ग्राम-स्तरीय सर्वेक्षण भूमि स्वामित्व प्रक्रिया के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। मौजूदा रिकॉर्ड्स और उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त सूचना की तुलना में स्थानीय सर्वेक्षण अधिक विश्वसनीय हो सकता है।
- यह आवश्यक है कि देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भूमि रिकॉर्ड की एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की जाए, जिसमें कृषि, बुनियादी अवसंरचना, आवासीय और औद्योगिक भूमि आदि व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया जाए।

पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना (SFURTI)

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये 18 राज्यों में विस्तृत 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति (SFURTI) क्लस्टर्स का उद्घाटन किया।

- MSME मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करने और उनकी आय को बढ़ाने के लिये 'स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़' (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries-SFURTI) को लागू कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- MSME मंत्रालय ने क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में इस योजना को प्रारंभ किया।
  - खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) खादी के साथ-साथ ग्रामोद्योग उत्पादों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है।
- SFURTI क्लस्टर दो प्रकार के होते हैं- नियमित क्लस्टर (500 कारीगर), जिनको 2.5 करोड़ रुपए तक की सरकारी सहायता दी जाती है। मेजर (Major) क्लस्टर (500 से अधिक कारीगर) जिनको 5 करोड़ रुपए तक की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।
- मंत्रालय कॉमन सुविधा केंद्र (Common Facility Centers- CFCs) के माध्यम से बुनियादी ढाँचे की स्थापना, नई मशीनरी की खरीद, कच्चे माल के बैंक, डिज़ाइन हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग, बेहतर कौशल और क्षमता विकास आदि सहित विभिन्न प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है।
- इसके अतिरिक्त यह योजना हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ 'क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम' को मज़बूत करने पर केंद्रित है, ताकि वे उभरती चुनौतियों और अवसरों का आकलन करने में सक्षम हों और प्रतिक्रिया दे सकें।
  - इसे नवीन और पारंपरिक कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकियों, उन्नत प्रक्रियाओं, बाज़ार समझ और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नए मॉडल के निर्माण के माध्यम से शुरू किया जाता है, ताकि धीरे-धीरे क्लस्टर-आधारित पारंपरिक उद्योगों के समान मॉडल को दोहराया जा सके।

MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये अन्य नवीन पहलें:

- उद्योग आधार ज्ञापन (UAM): यह भारत में MSMEs के लिये व्यवसाय करने में आसानी प्रदान हेतु सरल एक-पृष्ठ का पंजीकरण फॉर्म है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा हेतु एक योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्ट अप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- क्रेडिट गारंटी फंड योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये MSMEs को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।

नोट :

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और ग्रामीण एवं देश के शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS): CLCSS का उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।

पशुपालन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की नीतिगत चिंताओं और कृषि कानूनों पर चल रही चर्चाओं ने उत्पादकता स्तरों को बढ़ावा देने तथा उत्पादन क्षेत्र (विशेष रूप से पशुपालन क्षेत्र) में व्याप्त अंतराल को भरने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे में निवेश की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

- इस क्षेत्र के अधिकांश प्रतिष्ठान ग्रामीण भारत में केंद्रित हैं, इसलिये इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता को कम नहीं माना जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

पशुपालन के विषय में:

- पशुपालन से तात्पर्य पशुधन को बढ़ाने और इनके चयनात्मक प्रजनन से है। यह एक प्रकार का पशु प्रबंधन तथा देखभाल है, जिसमें लाभ के लिये पशुओं के आनुवंशिक गुणों एवं व्यवहारों को विकसित किया जाता है।
- बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिये पशुपालन पर निर्भर हैं। इससे ग्रामीण आबादी के लगभग 55% लोगों को आजीविका मिलती है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण-2021 के अनुसार सकल मूल्य वर्द्धन (निरंतर कीमतों पर) के संदर्भ में कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान 24.32% (2014-15) से बढ़कर 28.63% (2018-19) हो गया है।
- भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है।
  - भारत में 20वीं पशुधन जनगणना (20th Livestock Census) के अनुसार, देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। इस पशुधन जनगणना में वर्ष 2018 की जनगणना की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है।
- पशुपालन से बहुआयामी लाभ होता है।
  - उदाहरण के लिये डेयरी किसानों के विकास के साथ वर्ष 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) ने दूध उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि की तथा उपभोक्ताओं के लिये एक उचित मूल्य सुनिश्चित किया।

महत्त्व:

- इसने महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है और समाज में उनकी आय तथा भूमिका बढ़ी है।
- यह छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका के जोखिम को कम करता है, विशेष रूप से भारत के वर्षा-आधारित क्षेत्रों में।
- यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में समानता और आजीविका के दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, जिसके अंतर्गत अंतर-मंत्रालयी समिति ने आय के सात स्रोतों में से एक के रूप में पशुधन की पहचान की है।

चुनौतियाँ:

- बेहतर प्रजनन गुणवत्ता वाले साँड़ों (Bull) की अनुपलब्धता।
  - कई प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पादित वीर्य की खराब गुणवत्ता।
- चारे की कमी और पशु रोगों का अप्रभावी नियंत्रण।

नोट :

- स्वदेशी नस्लों के लिये क्षेत्र उन्मुख संरक्षण रणनीति की अनुपस्थिति।
- किसानों के पास उत्पादकता में सुधार के लिये आवश्यक कौशल, गुणवत्ता युक्त सेवाओं और अवसंरचना ढाँचे की कमी।

इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहलें:

- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF):
  - AHIDF के विषय में: यह सरकार द्वारा जारी किया गया पहला बड़ा फंड है, जिसमें किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization), निजी डेयरी उद्यमी, व्यक्तिगत उद्यमी और इसके दायरे में आने वाले अन्य हितधारक शामिल हैं।
  - लॉन्च: जून 2020
  - फंड: इसे 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किया गया है।
  - उद्देश्य: डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और पशु चारा, बुनियादी ढाँचा में निजी निवेश को बढ़ावा देना।
  - आला उत्पादों (Niche Product) के निर्यात को बढ़ाने के लिये संयंत्र (Plant) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
    - एक आला उत्पाद का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिये किया जाता है। सामान्य उत्पादों की तुलना में आला उत्पाद अक्सर (हमेशा नहीं) महँगे होते हैं।
  - यह विभिन्न क्षमताओं के पशुचारा संयंत्रों के स्थापना में भी सहयोग करेगा, जिसमं खनिज मिश्रण संयंत्र, सिलेज मेकिंग इकाइयाँ और पशुचारा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम:
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य 500 मिलियन से अधिक पशुओं, जिनमें भैंस, भेड़, बकरी और सूअर शामिल हैं, का 100% टीकाकरण करना है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन:
  - यह मिशन देश में वैज्ञानिक और समेकित तरीके से स्वदेशी गोवंश (Domestic Bovines) नस्लों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु प्रारंभ किया गया है।
  - इसके अंतर्गत देशी गोवंश के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर इन्हें किसानों हेतु और अधिक लाभदायक बनाना है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन:
  - इस मिशन को वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया।
  - इस मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना तथा सभी हितधारकों की क्षमता में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम:
  - इस कार्यक्रम के अंतर्गत मादा नस्लों में गर्भधारण के नए तरीकों का सुझाव दिया जाएगा।
  - इसमें कुछ लैंगिक बीमारियों के प्रसार को रोकना भी शामिल है, ताकि नस्ल की दक्षता में वृद्धि की जा सके।

आगे की राह

- यदि भारत में महामारी प्रेरित आर्थिक मंदी में पशुपालन क्षेत्र में समय पर निवेश किया जाता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ हो सकता है।
- पशुपालन क्षेत्र से जलवायु परिवर्तन और रोज़गार से संबंधित लाभ जुड़े हैं। यदि इस क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाया जाता है, तो ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

नोट :

चीन से स्टील के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने घरेलू उद्योगों की शिकायतों के बाद चीन से आयातित कुछ प्रकार के इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिये एक जाँच प्रारंभ की है।

- कुछ स्टील उत्पादों पर यह शुल्क पहली बार फरवरी, 2017 में लगाया गया था जो कि 16 मई 2021 को समाप्त होने वाला है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय:

- यह सभी डंपिंग-रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
- यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- स्टील के कुछ प्रमुख निजी घरेलू उत्पादकों ने चीन से 'सीमलेस ट्यूब' (Seamless Tubes), लोहे के खोखले पाइप और मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु के खोखले पाइप्स के आयात पर लगाए गए डंपिंग-रोधी शुल्क के 'सनसेट रिव्यू' हेतु DGTR के समक्ष आवेदन किया है।
- आवेदकों का आरोप है कि डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने के बाद भी चीन से इन उत्पादों की डंपिंग जारी है और आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- DGTR वर्तमान शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा और जाँच करेगा कि मौजूदा शुल्क की समाप्ति से डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग के प्रभावित होने की संभावना है या नहीं।

एंटी-डंपिंग शुल्क:

- डंपिंग:
  - जब किसी देश द्वारा दूसरे देश को उसकी कीमत से कम कीमत पर सामान निर्यात किया जाता है और जिसे सामान्य रूप से उसके घरेलू बाज़ार में वसूला जाता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है।
  - यह एक अनुचित व्यापार क्रिया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- उद्देश्य:
  - एंटी-डंपिंग ड्यूटी सामान की डंपिंग और उसके व्यापार के विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिये एक उपाय है।
    - दीर्घावधिक रूप से डंपिंग-रोधी शुल्क के माध्यम से समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा कम की जा सकती है।
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ (Tariff) है, जिसे एक घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है तथा यह मानती है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में एंटी-डंपिंग उपायों के उपयोग की अनुमति दी गई है।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी से भिन्न:
  - एंटी-डंपिंग शुल्क आयात पर आरोपित होने वाला एक सीमा शुल्क है जो उन सामानों की डंपिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत के होते हैं, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क है, जो मूल या निर्यातित देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करते हैं ।
- डंपिंग-रोधी शुल्क से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान:

नोट :

- वैधता: एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध होते हैं,जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो।
- सनसेट रिव्यू: इसे सनसेट रिव्यू या 'समाप्ति समीक्षा जाँच' के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।
  - एक सनसेट रिव्यू/समाप्ति समीक्षा एक कार्यक्रम या एजेंसी के निरंतर अस्तित्व की आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और उसके प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है।
  - इस तरह की समीक्षा घरेलू उद्योग की ओर से स्वत: संज्ञान द्वारा किये गए विधिवत अनुरोध के आधार पर की जा सकती है।

चीन: भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार

चर्चा में क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आँकड़ों के मुताबिक, चीन ने सीमा पर मौजूद तनाव के बीच वर्ष 2020 में एक बार पुन: भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में चीन
  - डेटा: भारत और चीन के बीच वर्ष 2020 में कुल 77.7 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
    - वहीं वर्ष 2019 में भारत और चीन के बीच कुल 85.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
  - अमेरिका का विस्थापन: हालिया आँकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के बीच वस्तुओं की मांग में कमी के बावजूद चीन ने भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका को विस्थापित कर दिया है।
    - वर्ष 2020 में भारत और अमेरिका के बीच कुल 75.9 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
  - चीन से आयात: 58.7 बिलियन डॉलर का चीन से होने वाला कुल आयात, भारत द्वारा अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से संयुक्त तौर पर की गई कुल खरीद से भी अधिक था, जो कि भारत के क्रमश: दूसरे और तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार हैं।
  - चीन को निर्यात: भारत चीन के साथ अपने निर्यात को बीते वर्ष की तुलना में केवल 11 प्रतिशत बढ़ाने में सक्षम रहा है और चीन को होने वाला भारत का निर्यात 19 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।
  - व्यापार घाटा: वर्ष 2020 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा लगभग 40 बिलियन डॉलर रहा, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है।
    - किसी देश का व्यापार घाटा उस स्थिति को दर्शाता है, जिसमें किसी अन्य देश के साथ उस देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।
- विश्लेषण
  - महामारी के बीच चीन के साथ चिकित्सा आपूर्ति के आयात में हो रही बढ़ोतरी को चीन के शीर्ष व्यापार साझेदार के रूप में उभरने के प्रमुखों कारणों में से एक माना जा रहा है।
  - ऐसा देखा गया है कि चीन विरोधी माहौल के बीच भी भारतीय ऑनलाइन क्रेता चीन के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पसंद कर रहे हैं।
    - अमेज़न के प्राइम डे 2020 डेटा के अनुसार, वनप्लस, ओप्पो, हुआवे और श्याओमी भारत में सबसे अधिक बिकने वाले स्मार्ट फोन ब्रांडों में शामिल थे।
  - इसके अलावा चीन में निर्मित भारी मशीनरी, दूरसंचार उपकरण और घरेलू उपकरणों पर भारत बहुत अधिक निर्भर है।
  - भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में ऐसे समय में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जब दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है और भारत सरकार द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आत्मनिर्भर भारत' पर ज़ोर दिया जा रहा है, ऐसे में ये आँकड़े सरकार के प्रयासों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

नोट :

- चीन पर आयात निर्भरता कम करने हेतु किये गए उपाय
  - एप्स पर प्रतिबंध: बीते दिनों सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 100 से अधिक चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।
  - जाँच एवं निगरानी में बढ़ोतरी: सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में चीन से आने वाले निवेश की जाँच और निगरानी को बढ़ा दिया है, साथ ही चीन की कंपनियों को 5G परीक्षणों में हिस्सा न लेने देने पर भी विचार किया जा रहा है।
  - अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश: सरकार ने हाल ही में घरेलू कंपनियों के 'अवसरवादी अधिग्रहण' पर अंकुश लगाने के लिये भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश हेतु पूर्व मंज़ूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है, इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य चीन से आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध लगाना है।
  - आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता बनाने और आयात बिल में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें खाद्य प्रसंस्करण, जैविक कृषि, लोहा, एल्यूमीनियम और ताँबा, कृषि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी, फर्नीचर, चमड़ा और जूते, ऑटो पार्ट्स, वस्त्र, मास्क, सैनिटाइज़र और वेंटिलेटर आदि शामिल हैं।
    - APIs (एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स) के लिये चीन पर आयात निर्भरता में कटौती करने हेतु सरकार ने मार्च 2020 में देश में ड्रग्स और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 13,760 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार योजनाओं वाले पैकेज को मंज़ूरी दी थी।

आगे की राह

- भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपने सभी संबंधों, विशेष तौर पर आर्थिक संबंधों को खराब नहीं कर सकता है। चीन के निवेशकों द्वारा किया जाने वाला वित्तपोषण भारत की स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- भारत को चीन के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व काफी सोच-विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये भारत, दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर अंकुश लगा सकता है, विशेष रूप से 5G परीक्षण को लेकर, हालाँकि यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भारत के 4G नेटवर्क की मौजूदा बुनियादी अवसंरचना में एक बड़ा हिस्सा चीन का है, इसलिये भारत को अभी भी रखरखाव और सर्विसिंग के लिये चीन की कंपनियों की आवश्यकता होगी।
- 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के माध्यम से भारत सरकार उन क्षेत्रों में चीन की कंपनियों को घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्थापित कर सकती है, जहाँ ऐसा किया जाना संभव है। इसके अलावा, भारत को अन्य देशों के साथ भी अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

ब्लैंक-चेक कंपनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अक्षय ऊर्जा उत्पादक 'रिन्यू पावर' ने आरएमजी एक्विज़िशन कारपोरेशन II नामक एक ब्लैंक-चेक कंपनी (Blank-Cheque Company) या विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (Special Purpose Acquisition Company- SPAC) के साथ विलय के लिये एक समझौते की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- ब्लैंक-चेक कंपनी के बारे में:
  - SPAC या ब्लैंक-चेक कंपनी, विशेष रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक फर्म के अधिग्रहण के उद्देश्य से स्थापित की गई इकाई होती है।
  - SPAC का उद्देश्य एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering- IPO) के माध्यम से धन जुटाना होता है लेकिन उसके पास कोई संचालन या राजस्व नहीं होता है।
  - इसके अंतर्गत निवेशकों से धन लेकर उसे एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) में रखा जाता है, जिसका उपयोग अधिग्रहण करने में किया जाता है।

नोट :

- अगर IPO के दो वर्ष के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और धन को निवेशकों को लौटा दिया जाता है।

- महत्त्व:
  - ये अनिवार्य रूप से शेल कंपनियाँ होती हैं जिनकी प्रायोजक ब्लैंक-चेक कंपनियाँ हैं, ये शेल कंपनियाँ होने के बावजूद निवेशकों के लिये आकर्षक है।
  - वर्तमान में यह विचारणीय है कि एक महँगी IPO की संरचना किस प्रकार की जाती है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा निवेशकों से धन लिया जाता है और उस धन से परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है।
- एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account)
  - एस्क्रो अकाउंट एक वित्तीय साधन है, जिसके तहत किसी संपत्ति या धन को दो अन्य पक्षों के मध्य लेन-देन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक तीसरे पक्ष के पास रखा जाता है।
  - दोनों पक्षों द्वारा अपनी अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न किये जाने तक धन तीसरे पक्ष के पास ही रहता है।
  - सामान्यत: एस्क्रो अकाउंट रियल एस्टेट लेन-देन से संबंधित होता है लेकिन धन के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरण के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है।

मान्यता प्राप्त निवेशक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में 'मान्यता प्राप्त निवेशक' (Accredited Investor) की अवधारणा पेश करने के प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है।

सेबी, सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका एक कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना तथा उनका विनियमन करना है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - वर्तमान में भारतीय बाज़ारों में योग्य संस्थागत खरीदारों (Qualified Institutional Buyer) की अवधारणा मौजूद है, इसमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ या अन्य पोर्टफोलियो निवेशक शामिल होते हैं। इन निवेशकों को बाज़ार में अधिक पहुँच प्राप्त है।
  - हालाँकि एक व्यक्तिगत निवेशक QIB का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। मान्यता प्राप्त निवेशक की अवधारणा व्यक्तिगत निवेशकों को QIB जैसी स्थिति प्रदान करेगी।
    - योग्य संस्थागत खरीदार: ये संस्थागत निवेशक होते हैं। इनको पूंजी बाज़ार में निवेश और मूल्यांकन करने में विशेषज्ञता प्राप्त होती है।
- मान्यता प्राप्त निवेशक के विषय में:
  - मान्यता प्राप्त निवेशकों को योग्य निवेशक या पेशेवर निवेशक भी कहा जाता है जो विभिन्न वित्तीय उत्पादों और उनसे जुड़े जोखिम तथा रिटर्न को समझते हैं।
  - ऐसे निवेशक अपने निवेश के विषय में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको विश्व स्तर पर कई प्रतिभूति तथा वित्तीय बाज़ार नियामकों द्वारा मान्यता दी जाती है।
  - इनको प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुमति होती है, लेकिन ये प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं हो सकती हैं।
    - वे अपनी आय, निवल मूल्य, संपत्ति का आकार आदि के विषय में संतोषजनक ढंग से ज़रूरतों को पूरा करके इस विशेषाधिकार तक पहुँच के हकदार हैं

नोट :

- सेबी की योजना:
  - सेबी ने भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी संस्थाओं के लिये पात्रता मानदंड निर्धारित किये हैं।
  - इनकी मान्यता की वैधता एक वर्ष (सेबी से मान्यता प्राप्त करने के दिन से) की होगी।
  - इस तरह की मान्यता को 'प्रत्यायन एजेंसियों' (Accreditation Agency) के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिये, जो बाज़ार की बुनियादी ढाँचा संस्थाएँ या उनकी सहायक कंपनियाँ हो सकती हैं।
- महत्त्व:
  - मान्यता प्राप्त निवेशक की अवधारणा निवेशकों और वित्तीय उत्पाद/सेवा प्रदाताओं को लाभ प्रदान कर सकती है, जैसे:
    - न्यूनतम निवेश राशि में लचीलापन।
    - विनियामक आवश्यकताओं में लचीलापन और विश्राम।
    - मान्यता प्राप्त निवेशकों को विशेष रूप से पेश किये गए उत्पादों/सेवाओं तक पहुँच।

फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर के लिये PLI योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिये 22,350 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को मंज़ूरी दी है।

- इससे पूर्व सरकार ने 51,311 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल फोन और निर्दिष्ट 'सक्रिय दवा सामग्री' (API) के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना

- इस योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में हो रही वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना होता है।
- इसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में इकाई स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया जाता है, हालाँकि इसका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र

- 7350 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत भारत में निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पादों के लिये शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20) पर 1-4 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के लक्षित सेगमेंट में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन PC और सर्वर आदि शामिल हैं।
- अवधि: 4 वर्ष
- लाभ
  - इस योजना के माध्यम से भारत स्वयं को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकेगा, जिससे भारत आईटी हार्डवेयर निर्यात हेतु एक महत्त्वपूर्ण गंतव्य बन जाएगा।
  - इससे 4 वर्षों में 1,80,000 से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोज़गार सृजन होने की संभावना है।
  - इससे आईटी हार्डवेयर के लिये घरेलू मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके वर्ष 2025 तक 20-25 प्रतिशत तक बढ़ जाने की उम्मीद है।

फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र

- वर्ष 2020 में लागू 6,940 करोड़ रुपए की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना महत्त्वपूर्ण थोक दवाओं पर केंद्रित थी, जबकि यह नवीनतम योजना अन्य प्रकार की थोक दवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।

नोट :

- इसके तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2028-29 (कुल 9 वर्षों में) के बीच प्रोत्साहन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- योजना के लिये आवेदन करने वाले दवा निर्माताओं को भारत में पंजीकृत होना अनिवार्य है और उन्हें अपने वैश्विक उत्पादन राजस्व (GMR) के आधार पर तीन श्रेणियों में से किसी एक में समाहित किया जाएगा, ताकि औषधीय उद्योग की योजना व्यापक और व्यवस्थित तरीके से लागू की जा सके।

योजना द्वारा लक्षित दवाओं की श्रेणियाँ

- श्रेणी-1
  - इसमें जैवऔषधीय; कॉम्प्लेक्स जेनेरिक औषधियाँ; पेटेंट दवाएँ; गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाएँ और वे दवाएँ जो महँगी होती हैं तथा भारत खासतौर पर उनके लिये बहुराष्ट्रीय दवा निर्माताओं पर निर्भर रहता है।
- श्रेणी-2
  - इसमें सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री (APIs), कीई स्टार्टिंग मैटेरियल (KSMs) और ड्रग इंटरमीडिएट (DIs) शामिल हैं।
- श्रेणी-3
  - इसमें ऑटो इम्यून ड्रग्स, कैंसर-रोधी दवाएँ, मधुमेह-रोधी दवाएँ, संक्रमण-रोधी दवाएँ, हृदय रोग संबंधी दवाएँ, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग्स, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरण तथा भारत में निर्मित न होने वाली अन्य औषधियाँ शामिल हैं।

प्रोत्साहन

- श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के लिये
  - योजना के अंतर्गत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दवाओं के लिये उत्पादन के पहले चार वर्षों में प्रोत्साहन की दर 10 प्रतिशत (वृद्धि संबंधी बिक्री मूल्य का), पाँचवें वर्ष के लिये 8 प्रतिशत और छठे वर्ष के लिये 6 प्रतिशत होगी।
- श्रेणी-3
  - योजना के अंतर्गत श्रेणी-3 उत्पादों के लिये उत्पादन के पहले चार वर्षों में प्रोत्साहन की दर 5 प्रतिशत (वृद्धि संबंधी बिक्री मूल्य का), पाँचवें वर्ष के लिये 4 प्रतिशत और छठे वर्ष के लिये 3 प्रतिशत होगी।

फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में योजना का लाभ

- चीन पर निर्भरता कम हुई
  - चीन के रूप में एक मितव्ययी विकल्प होने के कारण सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री (APIs) को लेकर भारत की क्षमता में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखने को मिली है।
  - भारत का फार्मास्यूटिकल्स उद्योग वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत थोक दवाओं के आयात के लिये चीन पर निर्भर है।
- निर्यात में बढ़ोतरी
  - भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा है और यह लगभग 40 बिलियन डॉलर का है।
  - भारत, वैश्विक स्तर पर निर्यात की जाने वाली कुल दवाओं और औषधियों में लगभग 3.5 प्रतिशत का योगदान देता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

चर्चा में क्यों ?

नाइजीरिया की एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala) को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

- एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है।

प्रमुख बिंदु:

विश्व व्यापार संगठन का गठन:

- WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के स्थान पर अपनाया गया।
- WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर (वर्ष1986-94) की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी, 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया।
  - जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे "मारकेश समझौते" के रूप में जाना जाता है। इसके लिये वर्ष 1994 में मोरक्को के मारकेश में हस्ताक्षर किये गए।

WTO के बारे में:

- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है।
- GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है कि GATT जहाँ ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीँ WTO और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे- व्यापार चिन्हों, डिज़ाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है।
- WTO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।

सदस्य:

- WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।

शासी संरचना:

- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:
  - WTO की संरचना में मंत्री सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसका गठन WTO के सभी सदस्यों देशों से मिलकर होता है, इसके सभी सदस्यों को कम-से-कम हर दो वर्ष में मिलना आवश्यक है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- सामान्य परिषद:
  - इसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी है।

नोट :

- विवाद समाधान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय:
  - सामान्य परिषद का आयोजन मुख्यत: दो विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है:
    - विवाद समाधान निकाय: इसके माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है।
    - व्यापार नीति समीक्षा निकाय: इसके द्वारा WTO के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है।

उद्देश्य:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना।
- व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिये बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना।
- व्यापार विवादों का समाधान करना।
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना।
- वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना।
- विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना।

WTO की उपलब्धियाँ:

- व्यापार की वैश्विक सुविधा:
  - WTO वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार हेतु बाध्यकारी नियमों का निर्माण और सीमा पार व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करता है।
  - WTO ने न केवल व्यापार मूल्यों को बढ़ाया है, बल्कि व्यापार और गैर-व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में भी मदद की है।
- बेहतर आर्थिक विकास :
  - वर्ष 1995 के बाद से विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है, जबकि विश्व व्यापार में वास्तविक वृद्धि 2.7 गुना तक हुई है।
  - घरेलू सुधारों और खुले बाज़ार की प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में स्थायी वृद्धि हुई है।
- वैश्विक मूल्य शृंखला में वृद्धि:
  - WTO के अनुमानित बाज़ार को वैश्विक मूल्य शृंखला के साथ बढ़ावा देने हेतु बेहतर संचार व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल व्यापार का लगभग 70% इन मूल्य शृंखलाओं के अंतर्गत आता है।
- गरीब देशों का उत्थान:
  - WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। WTO के सभी समझौतों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिये और जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में हैं उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

वर्तमान चुनौतियाँ:

- चीन का राज्य पूंजीवाद:
  - मुक्त बाज़ार वैश्विक व्यापार प्रणाली के समक्ष चीन के राज्य-स्वामित्व (China's State-Owned) वाले उद्यम एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं और WTO की नियम पुस्तिका इन चुनौतियों से निपटने हेतु अपर्याप्त है।
    - इसका कारण अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध है।
- संस्थागत मुद्दे:
  - अपीलीय निकाय का संचालन दिसंबर 2019 से प्रभावी रूप से निलंबित है क्योंकि तभी से अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नियुक्तियों पर रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण निकाय में सुनवाई करने के लिये आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो रहा है।
  - विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र की विफलता इसके बातचीत/परक्रामण (Negotiation) तंत्र की विफलता से काफी हद तक जुड़ी हुई है।

नोट :

- पारदर्शिता का अभाव:
  - WTO की वार्ताओं के संदर्भ में एक समस्या यह है कि WTO में शामिल विकसित या विकासशील देशों के संगठन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है।
  - वर्तमान में सदस्य देशों द्वारा WTO से विशेष रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को विकासशील देशों के रूप में पदांकित किया जा रहा है।
- ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड:
  - पिछले 25 वर्षों में वैश्विक व्यापार परिदृश्य में काफी बदलाव आया है बावजूद इसके WTO के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
  - 1998 में यह महसूस करते हुए कि ई-कॉमर्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, WTO के सदस्यों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित सभी व्यापार-संबंधी मुद्दों की जाँच करने के लिये WTO ई-कॉमर्स स्थगन (WTO E-Commerce Moratorium) की स्थापना की।
  - लेकिन शुल्क स्थगन/ऋण स्थगन के राजस्व एकत्रित करने जैसे निहितार्थ के चलते हाल ही में विकासशील देशों ने इस पर प्रश्न उठाए।
- कृषि और विकास:
  - भारत जैसे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा और विकास आवश्यकताओं के कारण कृषि पर समझौते का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह:

- WTO के आधुनिकीकरण हेतु डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स के लिये नियमों के नए सेट विकसित करने की आवश्यकता होगी।
- WTO के सदस्य देशों को चीन की व्यापार नीतियों और प्रथाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से निपटना होगा, ताकि राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों और औद्योगिक सब्सिडी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके।
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता को संरेखित करने के प्रयासों में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने तथा WTO को फिर से मज़बूत करने में मदद मिल सकती है।

दक्षिण एशिया के साथ सहयोग में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि भारत समेत दक्षिण एशिया के तमाम देशों को डॉक्टरों और नर्सों के लिये एक विशेष वीज़ा योजना शुरू करनी चाहिये, ताकि स्वास्थ्यकर्मी आपात स्थिति में जल्द-से-जल्द अन्य देशों में यात्रा कर सकें।

- प्रधानमंत्री द्वारा यह सुझाव 'कोविड-19 मैनेजमेंट: एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिसेज़ एंड वे फॉरवर्ड' विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान दिया गया, जिसमें पाकिस्तान सहित भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल थे।
- कार्यशाला में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्यों और मॉरीशस तथा सेशल्स ने हिस्सा लिया।
- सार्क में निम्नलिखित सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

प्रमुख बिंदु

कार्यशाला में भारत द्वारा प्रस्तावित उपाय:

- डॉक्टरों और नर्सों के लिये एक विशेष वीज़ा योजना बनाना।
- विभिन्न देशों के नागरिक उड्डयन मंत्रालयों को चिकित्सा आकस्मिकताओं के लिये एक क्षेत्रीय वायु एम्बुलेंस समझौते पर विचार करना चाहिये।
- कोरोना वायरस के टीकों की प्रभावशीलता के बारे में आँकड़ों के एकत्रीकरण, संकलन और अध्ययन के लिये एक क्षेत्रीय मंच बनाया जाना चाहिये।

नोट :

- भविष्य में महामारियों को रोकने के लिये प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए एक क्षेत्रीय नेटवर्क का निर्माण करना।
- सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं को साझा करना।
  - भारत की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना इस लिहाज़ से उपयोगी केस-स्टडी हो सकती हैं।

अन्य बिंदु

- पाकिस्तान जिसने भारत से अभी तक वैक्सीन की मांग नहीं की है, को छोड़कर इस कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने महामारी के बीच वैक्सीन, दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिये भारत को धन्यवाद दिया।
- दक्षिण एशिया उन पहले क्षेत्रों में से एक है, जिन्होंने कोरोना वायरस को एक खतरे के रूप में मान्यता दी है और उससे लड़ने के लिये प्रतिबद्धता जाहिर की है।
  - हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों ने एक 'कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष' स्थापित किया है।
- यह क्षेत्र कई सामान्य चुनौतियों जैसे- जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक तथा लैंगिक असंतुलन आदि साझा करता है और साथ ही दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक जुड़ाव भी है।

महत्त्व

- इस कार्यशाला के दौरान पाकिस्तान सहित सभी सार्क सदस्यों की भागीदारी ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच मौजूद विभिन्न मुद्दों को हल करने और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसे क्षेत्रीय विकास सहयोग पहल को फिर से शुरू करने का अवसर प्रदान किया है।

सार्क से संबंधित मुद्दे

- सर्वसम्मति का अभाव
  - सार्क सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेना अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण विषय है। उदाहरण के लिये वर्ष 2014 में काठमांडू में आयोजित 18वें सार्क सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित सार्क मोटर वाहन समझौता (MVA) पाकिस्तान की अस्वीकृति के कारण प्रभावी नहीं हो सका था।
- देशों के बीच संघर्ष
  - कई छोटे देशों और बाहरी अभिकर्त्ताओं का मानना है कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने सार्क की स्थिति को कमज़ोर किया है।
  - पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के साधन के रूप में विकसित करने से इस क्षेत्र की सामान्य गतिविधियों को भी मुश्किल बना दिया है। यही कारण है कि भारत ने उरी आतंकी हमले के बाद वर्ष 2016 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन से स्वयं को अलग कर लिया था।
  - इसके अलावा डूरंड रेखा को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद विवाद भी सार्क की मौजूदा स्थिति को प्रभावित कर रहा है।
- भारत का वर्चस्व
  - सार्क के अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप प्राय: कई आलोचक यह मानते रहे हैं कि भारत इस संगठन में एक रणनीतिक साझेदार के बजाय एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है।

आगे की राह

- भारत को दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने सहयोग में वृद्धि करनी चाहिये, उदाहरण के लिये हाल ही में भारत ने सार्क 'कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष' में 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया और सार्क क्षेत्र में विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की है।
- सार्क के सदस्य देशों के बीच विश्वास निर्माण उपायों (CDM) को बढ़ावा देकर संगठन का पुनरुद्धार करना, भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है, साथ ही ये उपाय 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के माध्यम से चीन द्वारा किये जा रहे क्षेत्रीय रणनीतिक अतिक्रमण की चुनौती से निपटने में भी सहायता करेंगे।

नोट :

NAVDEX 21 और IDEX 21

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज़ प्रलय (Pralaya) 20 से 25 फरवरी, 2021 तक निर्धारित NAVDEX 21 (नौसेना रक्षा प्रदर्शनी) और IDEX 21 (अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी) में भाग लेने के लिये संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के आबू धाबी पहुँच गया है।

- इस प्रदर्शनी में INS मैसूर (INS Mysore- फारस की खाड़ी में तैनात एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक) भी भाग ले रहा है।

प्रमुख बिंदु

- NAVDEX 21 और IDEX 21 के विषय में:
  - अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी कंपनी (ADNEC) द्वारा IDEX, NAVDEX और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलनों का आयोजन रक्षा मंत्रालय तथा संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के जनरल कमांड के सहयोग से किया जाता है।
  - IDEX/NAVDEX का आयोजन द्विवार्षिक रूप से होता है जो वैश्विक रक्षा क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन, यूएई के रक्षा उद्योग का विकास का समर्थन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच नए संबंधों का निर्माण करती हैं।
  - IDEX, MENA क्षेत्र में होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जहाँ रक्षा, भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है।
    - MENA क्षेत्र: MENA मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का एक संक्षिप्त नाम है। इस क्षेत्र में लगभग 19 देश आते हैं।
    - MENA क्षेत्र में वैश्विक आबादी का लगभग 6%, वैश्विक तेल भंडार का 60% और विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का 45% हिस्सा मौजूद है।
    - इस क्षेत्र के देश अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।
- INS प्रलय:
  - स्वदेश निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वैसल (Prabal Class Missile Vessel) के दूसरे जहाज़ आईएनएस प्रलय को वर्ष 2002 में भारतीय नौसेना में कमीशन (Commission) किया गया था।
  - इस जहाज़ का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया जो भारतीय जहाज़ निर्माण उद्योग की क्षमताओं का प्रमाण है। यह एक बहुमुखी स्वरूप में इस्तेमाल होने वाला जहाज़ है जो विभिन्न प्रकार के युद्ध मिशन को अंजाम देने में सक्षम है।
- भारत और यूएई के बीच रक्षा संबंध:
  - भारत और यूएई के बीच रक्षा संबंध वर्ष 2017 में द्विपक्षीय संबंधों की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं।
  - अबू धाबी (यूएई की राजधानी) के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान वर्ष 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।
  - दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संपर्क और बातचीत को बढ़ाने के लिये मार्च 2018 में द्विपक्षीय अभ्यास GULF STAR-1 का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का अगला संस्करण इसी वर्ष (2021 में) आयोजित होने की संभावना है।

भारत की रक्षा प्रदर्शनी

- DefExpo: DefExpo का 11वाँ संस्करण वर्ष 2020 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में पहली बार आयोजित किया गया था।
  - यह रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- एयरो इंडिया: एयरो इंडिया शो का 13वाँ संस्करण बंगलूरू के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन (कर्नाटक) में आयोजित किया गया था।
  - एयरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो (Airshow) है।
  - यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सैन्य तथा नागरिक विमान निर्माताओं, उनके सहायक उद्योगों, व्यापारियों आदि को आकर्षित करता है।

नोट :

क्वाड बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने क्वाड समूह (Quadrilateral Group) के मंत्रिस्तरीय बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भाग लिया। इस बैठक में भारत-प्रशांत और म्याँमार में सैन्य अधिग्रहण के मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक की मुख्य बातें
  - इस बैठक में समकालीन चुनौतियों पर चर्चा की गई, विशेष रूप से कोविड-19 के सस्ते टीकों, दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों तक पहुँच बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।
  - इस बैठक में आतंकवाद निरोधी, समुद्री सुरक्षा और व्यापक क्षेत्र में लोकतांत्रिक मज़बूती को प्राथमिकता देने पर भी चर्चा की गई।
  - क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, कानून का शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश आदि के संबंध में प्रतिबद्धता को बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया।
  - क्वाड ने अपने साझा दृष्टिकोण (Common Vision) को आसियान की एकता और एक मुक्त, स्वतंत्र तथा समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हेतु व्यक्त किया। इस बात का उल्लेख किया गया कि इंडो-पैसिफिक अवधारणा (Indo-Pacific Concept) पर यूरोप जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त हो रहा है।
  - इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, मानवीय सहायता, आपदा राहत और आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने में सहयोग पर चर्चा की गई।
  - क्वाड की मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आयोजित करने और एक स्वतंत्र तथा मुक्त भारत-प्रशांत क्षेत्र पर सहयोग बढ़ाने के लिये वरिष्ठ एवं वर्किंग स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- महत्त्व
  - चीनी बलों की वास्तविक नियंत्रण रेखा से वापसी की पृष्ठभूमि में आयोजित बैठक यह रेखांकित करती है कि भारत की क्वाड में रुचि सामरिक नहीं है, लेकिन रणनीतिक रूप से है।
    - भारत को क्वाड की वजह से चीन के साथ सुरक्षा, समृद्धि, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते शक्ति असंतुलन को दूर करने में सहायता मिलेगी।
  - क्वाड का गठन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक नए यूएसए प्रशासन की प्रतिबद्धता का संकेत है।
    - क्वाड की गतिविधियों में वर्ष 2020 के कोविड-19 संकट, चीन की बढ़ती मुखरता और इसका सभी क्वाड साझेदारों के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण तेज़ी आई है।
  - चीनी अधिकारियों ने क्वाड की तुलना एक "मिनी नाटो" से की है और कहा है कि इसकी गतिविधियों का उद्देश्य तीसरे पक्ष (चीन) को लक्षित करना है। क्वाड सदस्यों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।
    - नाटो (NATO- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा तथा उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक शांति को बनाए रखना है।
- क्वाड
  - चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। यह 'मुक्त, खुले और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थन के लिये इन देशों को एक साथ लाता है।
  - क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
  - शिंज़ो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' (Democratic Security Diamond) स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया।

नोट :

- 'क्वाड' समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति (विशेषकर चीन) के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिये हुई और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया।
- क्वाड के सभी चार देशों (जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए) द्वारा वर्ष 2020 में मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise) में भाग लिया गया।
  - मालाबार अभ्यास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसे भारतीय तथा प्रशांत महासागरों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।

परमाणु निरीक्षण पर IAEA - ईरान समझौता

चर्चा में क्यों ?

ईरान ने एक समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु कार्यक्रम तक सीमित पहुँच की इजाज़त दे दी है।

- दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में ढील न दिये जाने पर ईरान की संसद ने कुछ निरीक्षणों को निलंबित करने की मांग करते हुए एक कानून पारित किया।

प्रमुख बिंदु:

- व्यापक सुरक्षा उपायों के तहत IAEA का अधिकार और दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में सभी परमाणु सामग्री पर सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है तथा वह पुष्टि करे कि यह सामग्री अनन्य उद्देश्य के लिये राज्य के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में है और ऐसी सामग्री को परमाणु हथियारों या अन्य नाभिकीय विस्फोटकों के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- परमाणु अप्रसार संधि के तहत सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त IAEA को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ईरान कुछ स्थलों पर स्थापित निगरानी कैमरों की फुटेज की 'रियल टाइम एक्सेस' देने से इनकार कर देगा और अगर तीन महीने के भीतर प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है तो वह इन्हें डिलीट कर देगा।

समझौते का महत्त्व:

- यह निश्चित रूप से ईरान की परमाणु गतिविधियों और वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को नए प्रकार से लागू करने के प्रयासों पर बढ़ते संकट को कम करेगा।
- यह वर्ष 2020 में पारित एक नए ईरानी कानून के प्रभाव को काफी कम कर देता है, जिससे IAEA की कार्य करने की क्षमता में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही थी।

वर्ष 2015 का परमाणु समझौता:

- वर्ष 2015 में ईरान ने वैश्विक शक्तियों P5 + 1 के समूह (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी) के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की।
- इसे संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA) और सामान्यत: 'ईरान परमाणु समझौता' के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते के तहत ईरान ने प्रतिबंधों को हटाने और वैश्विक व्यापार तक पहुँच स्थापित करने के बदले अपनी परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सहमति व्यक्त की।
- इस समझौते के तहत ईरान को शोध के लिये थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई लेकिन यूरेनियम के संवर्द्धन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका उपयोग रिएक्टर ईंधन और परमाणु हथियार बनाने के लिये किया जाता है।
- ईरान को एक भारी जल-रिएक्टर (Heavy-Water Reactor) के निर्माण की भी आवश्यकता थी, जिसमें ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु भारी मात्रा में प्लूटोनियम (Plutonium) की आवश्यकता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देना भी आवश्यक था।

नोट :

वर्ष 2018 में समझौते से अमेरिका का अलग होना:

- मई 2018 में अमेरिका ने इस समझौते को दोषपूर्ण बताते हुए इससे अलग हो गया और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने शुरू कर दिये।
- प्रतिबंधों को कड़ा कर दिये जाने के बाद से ईरान प्रतिबंधों में राहत का रास्ता खोजने के लिये शेष हस्ताक्षरकर्त्ताओं पर दबाव बनाने हेतु अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं का लगातार उल्लंघन कर रहा है।
- अमेरिका ने कहा कि वह सभी देशों को ईरान से तेल खरीदने से रोकने और नए परमाणु समझौते हेतु दबाव बनाने के लिये ईरान को मजबूर करने का प्रयास करेगा।

IAEA का पक्ष:

- वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के यूरेनियम और भारी जल के भंडार के साथ-साथ इसके द्वारा अतिरिक्त प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन, समझौते के अनुरूप था।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

- इसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर व्यापक रूप से दुनिया में 'शांति और विकास हेतु संगठन' के रूप में जाना जाता है, IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है।

स्थापना:

- IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी के विविध उपयोगों से उत्पन्न आशंकाओं और खोजों की प्रतिक्रिया में की गई थी।

मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)

उद्देश्य:

- यह एजेंसी अपने सदस्य राज्यों और कई भागीदारों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, निश्चिंत और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिये काम करती है।
  - वर्ष 2005 में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में इसके योगदान के लिये IAEA को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कार्य:

- यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा को वार्षिक रूप से रिपोर्ट करता है।
- जब भी आवश्यक हो IAEA सदस्यों की सुरक्षा और सुरक्षा दायित्वों के अनुपालन मामलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है।

भारत-मालदीव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और मालदीव ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत के विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु:

लाइन ऑफ क्रेडिट:

- समुद्री निगरानी में मालदीव के रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने हेतु भारत के समर्थन और सहयोग के लिये अप्रैल 2013 में मालदीव सरकार के अनुरोध तथा अक्तूबर 2015 एवं मार्च 2016 में इस अनुरोध को दोहराए जाने के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- इसे भारत और मालदीव के रणनीतिक हितों की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से वर्तमान में जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप में वृद्धि देखी गई है।

नोट :

डॉकयार्ड्स बनाने में सहायता:

- माले के उत्तर-पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर उथुरु थिला फालु (Uthuru Thila Falhu- UTF) नौसेना बेस पर भारत की सहायता से एक डॉकयार्ड का निर्माण किया जाएगा, जो मालदीव की रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करेगा।
  - यह समझौते पर वर्ष 2016 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गए जो कि रक्षा कार्य योजना का हिस्सा है।
- भारत और मालदीव के बीच सिफावारु (Sifavaru) में एक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर विकसित करने तथा इसे समर्थन प्रदान करने और इसके रखरखाव के लिये एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गए, जो दोनों देशों के बीच मज़बूत होते सुरक्षा सहयोग का संकेत देता है।
  - भारत इस बंदरगाह के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे (जैसे- संचार संसाधनों और रडार सेवाओं) के विकास में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

आतंकवाद का मुकाबला:

- दोनों देशों ने शीघ्र ही 'जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज़्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म एंड डी-रेडिकलाइजेशन' (Joint Working Group on Counter Terrorism, countering Violent Extremism and De-radicalisation) की बैठक आयोजित करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा:

- भारतीय विदेश मंत्री ने इस यात्रा के दौरान 'नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज़' सहित कई भारत समर्थित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की।

बहुपक्षीय निकायों में सहयोग:

- इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री और मालदीव की ओर से उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे बहुपक्षीय निकायों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
  - मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये समर्थन का आश्वासन दिया।
  - भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता के लिये मालदीव की उम्मीदवारी के समर्थन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

पुलिस सुधार में सहयोग:

- दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण प्रबंधन और प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं के आदान-प्रदान में सहयोग एवं सहभागिता बढ़ाने के लिये पुलिस संगठनों के बीच संपर्क को संस्थागत बनाने की प्रगति को रेखांकित किया।

भारत-मालदीव संबंध:

- भारत के लिये मालदीव का भू-सामरिक महत्त्व:
  - इस द्वीप शृंखला के दक्षिणी और उत्तरी भाग में दो महत्त्वपूर्ण 'सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन' (Sea Lines Of Communication- SLOCs) स्थित हैं।
  - ये SLOC पश्चिम एशिया में अदन और होर्मुज़ की खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरूमध्य के बीच समुद्री व्यापार प्रवाह के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और इसकी ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में इन SLOCs से होकर गुज़रता है।
- महत्त्वपूर्ण समूहों का हिस्सा: इसके अलावा भारत और मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) के सदस्य है।

नोट :

भारत और मालदीव के बीच सहयोग:

- रक्षा सहयोग: दशकों से भारत ने मालदीव की मांग पर उसे तात्कालिक आपातकालीन सहायता पहुँचाई है।
  - वर्ष 1988 में जब हथियारबंद आतंकवादियों ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गय्यूम के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की, तो भारत ने 'ऑपरेशन कैक्टस' (Operation Cactus) के तहत पैराट्रूपर्स और नेवी जहाज़ों को भेजकर वैध सरकार को पुन: बहाल किया।
  - भारत और मालदीव 'एकुवेरिन' (Ekuverin) नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन करते हैं।
- आपदा प्रबंधन: वर्ष 2004 में सुनामी और इसके एक दशक बाद मालदीव में पेयजल संकट कुछ अन्य ऐसे मौके थे जब भारत ने उसे आपदा सहायता पहुँचाई।
  - मालदीव, भारत द्वारा अपने सभी पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराई जा रही COVID-19 सहायता और वैक्सीन के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है।
  - COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के अवरुद्ध रहने के दौरान भी भारत ने मिशन सागर (SAGAR) के तहत मालदीव को महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखी।
- नागरिक संपर्क: मालदीव के छात्र भारत के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और भारत द्वारा विस्तारित उदार वीज़ा-मुक्त व्यवस्था का लाभ लेते हुए मालदीव के मरीज़ उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिये भारत आते हैं।
- आर्थिक सहयोग: पर्यटन, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और कई अन्य भारतीय वहाँ रोज़गार के लिये जाते हैं।
  - एक द्वीपीय देश के रूप में मालदीव की भौगोलिक सीमाओं को देखते हुए भारत ने इस राष्ट्र को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के मामले में प्रतिबंधों में छूट दी है।

चुनौतियाँ और तनाव:

- राजनीतिक अस्थिरता: भारत की सुरक्षा और विकास पर मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता का संभावित प्रभाव, एक बड़ी चिंता का विषय है।
  - गौरतलब है कि फरवरी 2015 में आतंकवाद के आरोपों में मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी और इसके बाद के राजनीतिक संकट ने भारत की नेबरहुड पॉलिसी के लिये वास्तव में एक कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया था।
- कट्टरपंथ: मालदीव में पिछले लगभग एक दशक में इस्लामिक स्टेट (आईएस) जैसे आतंकवादी समूहों और पाकिस्तान स्थित मदरसों तथा जिहादी समूहों की ओर झुकाव वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता इस द्वीपीय राष्ट्र में इस्लामी कट्टरपंथ के उदय को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक हैं।
  - यह पाकिस्तानी आतंकी समूहों द्वारा भारत और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिये मालदीव के सुदूर द्वीपों को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने की संभावना को जन्म देता है।
- चीनी पक्ष: हाल के वर्षों में भारत के पड़ोस में चीन के सामरिक दखल में वृद्धि देखने को मिली है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है।
  - चीन-भारत संबंधों की अनिश्चितता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चिंता का विषय है।
  - इसके अलावा मालदीव ने भारत के साथ सौदेबाज़ी के लिये 'चाइना कार्ड' का उपयोग शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग मालदीव के आस-पास वाले क्षेत्रों में संपर्क/आवागमन के महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग के साथ ही चीन की समुद्री एवं नौसैनिक गतिविधियों पर नज़र रखने के संदर्भ में भारत की क्षमता में वृद्धि करेगा।
- सरकार की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" के अनुसार, मालदीव जैसे स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण देश के विकास के लिये भारत एक प्रतिबद्ध भागीदार बना हुआ है।

नोट :

भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement- CECPA) पर हस्ताक्षर करने हेतु मंज़ूरी दी है।

- CECPA पहला व्यापार समझौता है, जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- CECPA के विषय में:
  - यह एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।
  - CECPA समझौते के अंतर्गत संबंधित देशों के उत्पादों पर शुल्कों (Duties) को कम या समाप्त कर दिया जाता है और ये देश सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिये निर्धारित मानदंडों में छूट भी देते हैं।

व्यापार समझौतों के प्रकार

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
  - FTA के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
  - भारत ने कई देशों, जैसे- श्रीलंका के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक समूहों यथा- आसियान (ASEAN) से FTA पर बातचीत की है।
- अधिमान्य व्यापार समझौता:
  - इस प्रकार के समझौते में दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों के आयात को प्राथमिकता देते हैं। इसे निर्धारित तटकर पर शुल्कों को कम करके किया जाता है।
  - अधिमान्य व्यापार समझौते में भी कुछ उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य किया जा सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता:
  - यह समझौता एफटीए से अधिक व्यापक है।
  - इस समझौते के अंतर्गत सेवाओं, निवेश और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार को कवर किया जाता है।
  - भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता:
  - यह समझौता आमतौर पर व्यापार प्रशुल्क और TRQ (टैरिफ दर कोटा) दरों को कवर करता है। यह व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता की तरह व्यापक नहीं है। भारत ने मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत-मॉरीशस और CECPA:
  - इस समझौते के विषय में:
    - यह एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क जैसे चुनिंदा क्षेत्रों को कवर करेगा।
  - भारत को लाभ:
    - मॉरीशस के बाज़ार में भारत के कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 300 से अधिक घरेलू सामानों को रियायती सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी।

नोट :

- भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे- पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, मनोरंजन, योग आदि के अंतर्गत लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुँच प्राप्त होगी।

- मॉरीशस को लाभ:
  - मॉरीशस को विशेष प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा उपकरण तथा परिधान सहित अपने 615 उत्पादों के लिये भारतीय बाज़ार में पहुँच से लाभ मिलेगा।
  - भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जिनमें पेशेवर सेवाएँ, आर एंड डी, अन्य व्यावसायिक सेवाएँ, दूरसंचार, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मनोरंजन सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र पर बातचीत:
  - भारत और मॉरीशस ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो साल के भीतर कुछ अति संवेदनशील उत्पादों के लिये एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (Automatic Trigger Safeguard Mechanism) पर बातचीत करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
  - ATSM किसी देश को उसके आयात में होने वाली अचानक वृद्धि से बचाता है।
  - इस तंत्र के अंतर्गत भारत, मॉरीशस से किसी उत्पाद का आयात अत्यधिक बढ़ने पर उस पर एक निश्चित सीमा के बाद आयात शुल्क लगा सकता है। मॉरीशस भी भारत से आयातित वस्तुओं पर ऐसा प्रावधान लागू कर सकता है।

- भारत-मॉरीशस आर्थिक संबंध:
  - भारत ने वर्ष 2016 में मॉरीशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 'विशेष आर्थिक पैकेज' दिया था। इस पैकेज के अंतर्गत लागू की गई परियोजनाओं में से एक है- न्यू मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। इसका उद्घाटन वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
  - भारत और मॉरीशस ने संयुक्त रूप से विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मॉरीशस में निर्मित मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, चरण -I तथा 100-बेड वाले अत्याधुनिक ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (International Trade Centre) के अनुसार, वर्ष 2019 में मॉरीशस के मुख्य आयात भागीदार थे- भारत (13.85%), चीन (16.69%), दक्षिण अफ्रीका (8.07%) और यूएई (7.28%)।
  - भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2005-06 के 206.76 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 690.02 मिलियन डॉलर (233% की वृद्धि) हो गया है।
  - मॉरीशस वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का दूसरा शीर्ष स्रोत था।
- हाल के अन्य घटनाक्रम:
  - भारत और मॉरीशस के बीच 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा समझौता हुआ है।
  - मॉरीशस को एक डोर्नियर विमान और एक उन्नत लाइट हेलीकाप्टर ध्रुव पट्टे पर मिलेगा जो उसकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा।
  - दोनों पक्षों द्वारा चागोस द्वीपसमूह (Chagos Archipelago) विवाद पर भी चर्चा की गई जो संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के समक्ष संप्रभुता और सतत् विकास का मुद्दा था।
- भारत ने वर्ष 2019 में इस मुद्दे पर मॉरीशस के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया। भारत उन 116 देशों में से एक था, जिसने इस द्वीपसमूह पर ब्रिटेन के "औपनिवेशिक प्रशासन" को समाप्त करने के लिये वोटिंग की मांग की थी।
- भारत द्वारा मॉरीशस को 1,00,000 कोविशील्ड के टीके प्रदान किये गए हैं।

आगे की राह

- हिंद महासागर (Indian Ocean) के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने इस महासागर और सीमावर्ती देशों के लिये नई चुनौतियों के साथ-साथ अवसर को जन्म दिया है। मॉरीशस, भारत के अन्य छोटे द्वीपीय पड़ोसियों के साथ अपनी समुद्री पहचान और भू-स्थानिक मूल्य के विषय में गहराई से जानता है। ये पड़ोसी भली-भाँति समझते हैं कि एक बड़े पड़ोसी देश के रूप में भारत उनके लिये क्या मायने रखता है।

नोट :

- भारत का रुझान मॉरीशस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है जैसा कि मिशन सागर (Mission Sagar) के अंतर्गत भारत की पहल को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 से संबंधित सहायता प्रदान करने में देखा जा सकता है। भारत को इस जुड़ाव को आगे भी बनाए रखने के लिये मॉरीशस, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव और श्रीलंका जैसे समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सक्रिय रहने की आवश्यकता है।

सेनकाकू द्वीप विवाद

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका द्वारा जापान के दावाकृत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति की आलोचना किये जाने के बाद चीन ने अमेरिका-जापान की आपसी सुरक्षा संधि को शीत युद्ध का एक परिणाम बताया है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - वर्ष 1960 में जापान और अमेरिका के बीच हुई पारस्परिक सहयोग एवं सुरक्षा संधि के तहत यह आश्वासन दिया गया है कि अमेरिका, जापानी बलों या क्षेत्र पर किसी बाहरी शक्ति द्वारा किये गए हमले की स्थिति में जापान की सहायता करेगा।
  - हाल ही में अमेरिका ने जापान के दावाकृत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति की आलोचना की थी, क्योंकि चीन के जहाज़ बार-बार सेनकाकू द्वीप के आसपास के जापानी क्षेत्रीय जल में अनधिकार प्रवेश कर रहे थे।
  - चीन लंबे समय से अमेरिका पर 'शीत युद्ध की मानसिकता' बनाए रखने का आरोप लगाता रहा है, चीन का मानना है कि इसी मानसिकता के कारण अमेरिका, जापान को चीन के खिलाफ अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करता है।
- सेनकाकू द्वीप विवाद:
  - परिचय
    - सेनकाकू द्वीप विवाद आठ निर्जन द्वीपों संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद है, इस द्वीपसमूह को जापान में सेनकाकू द्वीपसमूह, चीन में दियाओयू द्वीपसमूह और हॉन्गकॉन्ग में तियायुतई द्वीपसमूह के नाम से जाना जाता है।
    - जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं।
  - अवस्थिति
    - ये आठ निर्जन द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है और ये ताइवान के उत्तर-पूर्व में स्थित हैं।
  - सामरिक महत्त्व
    - ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेनों के काफी करीब हैं, साथ ही मत्स्य पालन की दृष्टि से भी ये द्वीप काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं, इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक, यहाँ तेल का काफी समृद्ध भंडार मौजूद है।
  - जापान का दावा
    - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने सैन फ्रांसिस्को की वर्ष 1951 की संधि में ताइवान सहित कई क्षेत्रों और द्वीपों पर अपने दावों को त्याग दिया था।
    - इस संधि के तहत नानसेई शोटो द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन आ गया और फिर वर्ष 1971 में यह जापान को वापस लौटा दिया गया।
    - जापान का कहना है कि सेनकाकू द्वीप, नानसेई शोटो द्वीप का हिस्सा है और इसलिये इस पर जापान का स्वामित्व है।
    - हाल ही में दक्षिण जापान की एक स्थानीय परिषद ने सेनकाकू द्वीपसमूह वाले क्षेत्र का नाम टोंकशीरो से टोंकशीरो सेनकाकू में बदलने से संबंधित एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी।
    - इसके अलावा चीन ने सैन फ्रांसिस्को संधि पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। चीन और ताइवान का दावा 1970 के दशक में तब आया जब क्षेत्र में तेल संसाधनों के भंडार की खोज की गई।

नोट :

- चीन का दावा
  - चीन का मत है कि यह द्वीप प्राचीन काल से उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा है और इसे ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासित किया जाता था।
  - जब सैन फ्रांसिस्को की संधि में चीन को ताइवान वापस लौटा दिया गया था, तो इस द्वीप को भी वापस लौटा दिया जाना चाहिये।

श्रीलंका के खिलाफ UNHRC का नया प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के सदस्य राज्यों से इस द्वीपीय राष्ट्र में मानवाधिकार को लेकर जवाबदेही और सामंजस्य पर आगामी प्रस्ताव को खारिज करने की अपील है।

- श्रीलंका अपने 26 वर्षीय गृहयुद्ध (1983-2009) के पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं मानवाधिकारों का हनन करने वालों को पकड़ने के लिये नए प्रस्ताव का सामना कर रहा है।
  - यह युद्ध मुख्य रूप से सिंहली प्रभुत्व वाली श्रीलंकाई सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) विद्रोही समूह के बीच एक संघर्ष था, जिसके बाद तमिल अल्पसंख्यकों के लिये एक अलग राज्य की स्थापना की उम्मीद की गई थी।
- श्रीलंकाई सेना और तमिल विद्रोहियों पर युद्ध के दौरान अत्याचार करने का आरोप लगाया गया, इस युद्ध में कम-से-कम 1,00,000 लोग मारे गए थे।

प्रमुख बिंदु:

- नया मसौदा प्रस्ताव/शून्य मसौदा:
  - इसमें UNHRC रिपोर्ट के कुछ तत्त्व शामिल हैं, जिनमें साक्ष्य को संरक्षित करने में मानवाधिकार आयोग की क्षमता को मज़बूत करना, भविष्य की जवाबदेही प्रक्रियाओं के लिये रणनीति तैयार करना और सदस्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली न्यायिक कार्यवाही का समर्थन करना शामिल है।
    - UNHRC की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका की सरकार ने ऐसे समानांतर सैन्य बलों और आयोगों का निर्माण किया जो नागरिक कार्यों के अतिक्रमण के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण संस्थागत शक्ति संतुलन का अतिक्रमण करते थे। इससे लोकतांत्रिक लाभों, न्यायपालिका और अन्य प्रमुख संस्थानों की स्वतंत्रता को खतरा था।
  - यह पिछले 30/1 प्रस्ताव से संबंधित आवश्यकताओं को लागू करने के लिये श्रीलंकाई सरकार को प्रोत्साहित करने के बारे में भी बात करता है।
    - प्रस्ताव 30/1:
    - यह प्रस्ताव इस बात की मांग करता है कि श्रीलंका एक विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रिया स्थापित करे, जिसमें अधिकारों के हनन के लिये राष्ट्रमंडल और अन्य विदेशी न्यायाधीशों, रक्षा वकीलों, अधिकृत अभियोजकों और जाँचकर्त्ताओं की भागीदारी हो।
    - हाल ही में श्रीलंका ने कहा कि प्रस्ताव 30/1 देश के खिलाफ था। इस प्रस्ताव ने उन प्रतिबद्धताओं की चर्चा की है जो श्रीलंकाई संविधान के अनुरूप नहीं थीं।
  - यह उच्चायुक्त कार्यालय को राष्ट्रीय सुलह और जवाबदेही तंत्र पर प्रगति की निगरानी करने के लिये प्रेरित करता है और मार्च में नई अद्यतित स्थिति के साथ सितंबर 2022 में पूरी रिपोर्ट जारी करने का प्रावधान करता है।
- UNHRC का पक्ष:
  - वर्तमान श्रीलंका सरकार जवाबदेही को रोकने के लिये पिछले अपराधों की जाँच में बाधा डाल रही थी, जिससे सत्य, न्याय और मुआवज़े की लड़ाई लड़ रहे परिवारों पर 'विनाशकारी प्रभाव' पड़ रहा है।
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) के सदस्य राज्यों को आने वाले दिनों में और अधिक उल्लंघनों के शुरुआती चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिये और उनके खिलाफ "अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई" करनी चाहिये, जैसे कि परिसंपत्ति मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर प्रतिबंध लगाना और उनकी संपत्ति ज़ब्त करना।

नोट :

- राज्यों को श्रीलंका में सभी पक्षों द्वारा किये गए अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के स्वीकृत सिद्धांतों के तहत अपने राष्ट्रीय न्यायालयों में जाँच करानी चाहिये।

- श्रीलंका के खिलाफ पिछले प्रस्तावों पर भारत का रुख:
  - भारत ने वर्ष 2012 में श्रीलंका के खिलाफ मतदान किया था।
  - वर्ष 2014 में भारत इससे दूर रहा।

आगे की राह:

- राज्य ही ऐतिहासिक समस्याओं के मूल में है, चाहे वह दमनकारी सैन्यीकरण हो, हितों की मज़बूती हो या कोलंबो में सत्ता का केंद्रीकरण। राज्य में सुधारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बजाय अपने नागरिकों द्वारा उत्पन्न की गईं प्रत्यक्ष चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है।
- चीन-श्रीलंका संबंध, श्रीलंकाई नृजातीय मुद्दा और UNHRC प्रस्ताव ने भारत तथा श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारत को श्रीलंका के साथ संबंध सुधारने के लिये अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक
- संबंधों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक-दूसरे की चिंताओं और हितों की आपसी समझ से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं।

FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) ने फैसला लिया है कि वह पाकिस्तान को आगामी जून सत्र तक " ग्रे सूची" (Grey List) में बनाए रखेगा।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- अक्तूबर 2020 सत्र के दौरान FATF द्वारा पाकिस्तान के लिये निर्धारित 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को पूर्ण करने की समय-सीमा को कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2021 तक विस्तारित कर दिया गया था।
  - तब इसने 27 निर्देशों में से 6 का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया था।
- FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' में रखने के बाद 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना जारी की थी। यह कार्रवाई योजना धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।

पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखने के विषय में:

- FATF आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान की उल्लेखनीय प्रगति को स्वीकार करता है, हालाँकि पाकिस्तान ने अभी भी इन 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना में से तीन को पूरा नहीं किया है।
- ये तीन बिंदु आतंकी फंडिंग के बुनियादी ढाँचे और शामिल संस्थाओं के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध तथा दंड के संदर्भ में प्रभावी कदम से संबंधित हैं।
- FATF जून 2021 सत्र के दौरान पाकिस्तान द्वारा किये गए उपायों और सुधारों की स्थिरता का परीक्षण करेगा। इसके बाद FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने या निकालने की समीक्षा की जाएगी।

महत्त्व:

- FATF ने पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों के लिये धन जुटाने में शामिल कई प्रतिबंधित संगठनों जैसे- जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद आदि पर कार्रवाई में निष्क्रियता के मामले में संज्ञान लिया है।

नोट :

- भारत ने कई मौकों पर 26/11 के मुंबई और पुलवामा हमलों सहित कई आतंकी मामलों में पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की संलिप्तता को उजागर किया है।
- पाकिस्तान का FATF की ग्रे सूची में बना रहना उसके समक्ष यह दबाव बनाएगा कि वह भारत में इस तरह के आतंकवादी हमलों को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करे।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के विषय में:

- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- FATF मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।

उद्देश्य:

- FATF का उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

मुख्यालय:

- इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।

सदस्य देश:

- वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

- ग्रे लिस्ट:
  - किसी भी देश का FATF की 'ग्रे' लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है।
- ब्लैक लिस्ट:
  - किसी भी देश का FATF की 'ब्लैक लिस्ट' (Black List) में शामिल होने का अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी।

सत्र: अध्यक्ष FATF प्लैनरी (FATF Plenary) की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। FATF प्लैनरी ही FATF की निर्णय निर्माण संस्था है जिसकी हर वर्ष तीन बार बैठक होती है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिकिनसोनिया: प्राचीनतम ज्ञात प्राणी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने भीमबेटका में तकरीबन 550 मिलियन-वर्ष पुराने प्रारंभिक ज्ञात जानवर 'डिकिनसोनिया' के तीन जीवाश्मों की खोज की है।

- ये जीवाश्म 'भीमबेटका शैलाश्रय में 'ऑडीटोरियम केव' नामक स्थान के ऊपरी हिस्से में पाए गए हैं।

नोट

- अब तक यह माना जाता था कि स्पंज सबसे पुराना जीवित जीव था, किंतु वर्तमान में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि 540 मिलियन वर्ष पूर्व स्पंज जैसे जानवर मौजूद थे।
- पृथ्वी पर जानवरों के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य अब 558 मिलियन साल पुराना 'डिकिनसोनिया' अथवा अन्य एडिएकरन जानवर के हैं।

प्रमुख बिंदु

'डिकिनसोनिया' के बारे में

- खोज
  - सितंबर 2018 में शोधकर्त्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म 'डिकिनसोनिया' की खोज करने का दावा किया था, जो कि पहली बार 571 मिलियन से 541 मिलियन वर्ष पूर्व दिखाई दिया था।
- अवधि और क्षेत्र
  - यह बेसल जानवर की एक विलुप्त प्रजाति है, जो एडिएकरन काल के दौरान वर्तमान ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूक्रेन में रहती थी।
    - बेसल जानवर ऐसे जानवर होते हैं, जिनके शरीर की संरचना में रेडियल समरूपता होती है। इनकी शारीरिक संरचना काफी सरल होती है और ये प्राय: डिप्लोब्लासटिक (केवल दो भ्रूण कोशिका परतों से व्युत्पन्न) होते हैं।
- संरचना
  - पृथ्वी पर जटिल बहुकोशिकीय जीवन के शुरुआती दौर में प्राय: सभी जीवों को शिकारी रहित वातावरण के कारण सख्त सुरक्षात्मक आवरण की आवश्यकता नहीं थी।
    - उनकी सरल और स्क्विशी संरचना, नली तथा क्विलटीड पिलोज़ (Quilted Pillows) के आकार की होती थी तथा वे वर्तमान समय के जानवरों की शारीरिक संरचना से समानता रखते थे।
- वर्गीकरण
  - इसकी विशेषताओं के बारे में वर्तमान में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसकी वृद्धि का तरीका एक स्टेम-ग्रुप बिलेटेरियन के समान है, हालाँकि कुछ शोधकर्त्ताओं का सुझाव है कि यह कवक या यहाँ तक कि एक 'विलुप्त प्राणीजगत' से संबंधित है।
  - 'डिकिनसोनिया' के जीवाश्मों में कोलेस्ट्रॉल के अणुओं की खोज इस विचार का समर्थन करती है कि 'डिकिनसोनिया' एक जानवर था।

महत्त्व

- यह अतीत के वातावरण यानि पेलियोएनवायरनमेंट (Paleoenvironments) का एक साक्ष्य है और तकरीबन 550 मेगा वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड (Gondwanaland) की उपस्थिति की पुष्टि करता है।
  - पेलियोएनवायरनमेंट का आशय प्राय: एक ऐसे परिवेश से है, जिसे चट्टानों के माध्यम से संरक्षित रखा गया है।

नोट :

- मेगा वर्ष एक मिलियन वर्ष के बराबर समय की एक इकाई है।
  - इस इकाई को अतीत में आमतौर पर वैज्ञानिक विषयों जैसे- भू-विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और आकाशीय यांत्रिकी में बहुत लंबे समय को संदर्भित करने हेतु प्रयोग किया जाता है।
- यह खोज वैज्ञानिकों को भू-विज्ञान और जीव विज्ञान के मध्य पारस्परिक संबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकास की शुरुआत हुई।

भीमबेटका गुफाएँ

- इतिहास और काल अवधि
  - भीमबेटका गुफाएँ मध्य भारत का एक पुरातात्त्विक स्थल है, जिसकी काल अवधि प्रागैतिहासिक पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक है।
  - यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती सकेतकों और पाषाण युग के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है।
  - तकरीबन 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैले यूनेस्को के इस विश्व धरोहर स्थल में कुल सात पहाड़ियाँ और 750 से अधिक गुफाएँ शामिल हैं।
- खोज
  - इसकी खोज 1957-58 में डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी।
- अवस्थिति
  - यह मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल के बीच रायसेन ज़िले में स्थित है।
    - यह विंध्य पर्वत की तलहटी में भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है।
- चित्र
  - भीमबेटका की कुछ गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल की विशेषताओं वाले गुफा चित्र मौजूद हैं जो कि लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं।
  - अधिकांश चित्रों को गुफा की दीवारों पर लाल और सफेद रंग से बनाया गया है।
  - यहाँ मौजूद चित्रों में कई तरह के विषयों को कवर किया गया था, जिसमें गायन, नृत्य, शिकार और वहाँ रहने वाले लोगों की अन्य सामान्य गतिविधियाँ आदि शामिल हैं।
    - भीमबेटका में सबसे प्राचीन गुफा चित्र लगभग 12,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है।

भुवन पोर्टल

चर्चा में क्यों ?.

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और 'मैप माई इंडिया' ने एक स्वदेशी भू-स्थानिक पोर्टल "भुवन' को प्रारंभ करने के लिये आपस में भागीदारी की है।

- यह भारत में लागू भू-स्थानिक क्षेत्र से संबंधित नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

प्रमुख बिंदु:

भू-स्थानिक पोर्टल 'भुवन':

- यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी (भू-स्थानिक जानकारी) और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं (प्रदर्शन, संपादन, विश्लेषण आदि) को खोजने और उनका उपयोग करने के लिये किया जाता है।

सहयोग:

- इस पोर्टल के अंतर्गत मैप माई इंडिया का डेटाबेस इसरो के 'उच्च-अंत: उपग्रह कैटालॉग' और पृथ्वी अवलोकन संबंधी डेटा के साथ जुड़ेगा जो इसरो के उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त होता है।
- पृथ्वी से संबंधित प्रेक्षण डेटासेट, नेविगेशन इन इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC), वेब सर्विसेज़ और 'मैप माई इंडिया' में उपलब्ध एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का प्रयोग करके एक संयुक्त भू-स्थानिक पोर्टल तैयार किया जा सकेगा।

नोट :

- एपीआई एक सॉफ्टवेयर मध्यस्थ है जो दो एप्लीकेशंस (Applications) को एक-दूसरे से जोड़ने की अनुमति देता है।
- यह एक कंप्यूटिंग इंटरफेस है जो कई सॉफ्टवेयर मध्यस्थों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है।

पोर्टल का महत्त्व:

- शुद्ध मानचित्रण:
  - यह पोर्टल भारत सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश की वास्तविक सीमाओं को दर्शाएगा।
- निजता की रक्षा:
  - विदेशी मानचित्र एप्स के बजाय 'मैप माई इंडिया' के एप्लीकेशन का उपयोग कर उपयोगकर्त्ता अपनी गोपनीयता की बेहतर ढंग से सुरक्षा कर सकते हैं।
  - विदेशी सर्च इंजन और कंपनियाँ फ्री मानचित्र पेश करने का दावा करती हैं, परंतु वास्तव में वे विज्ञापन के साथ एक उपयोगकर्त्ता को लक्षित कर एवं उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता पर हमला कर उसकी अवस्थिति और निजी जानकारी संबंधी डेटा की नीलामी करके पैसा कमाते हैं। 'मैप माई इंडिया' में विज्ञापन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- आत्मनिर्भर भारत: एक भारतीय पोर्टल होने के नाते यह सरकार के आत्मनिर्भर मिशन को मज़बूती प्रदान करेगा।
- 'मैप माई इंडिया'
  - यह एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डिजिटल मानचित्र संबंधी डेटा, टेलीमैटिक्स सेवाओं, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमता संबंधी सेवाएँ प्रदान करती है।
  - यह 'गूगल मैप' का एक विकल्प है, जिसमें 7.5 लाख भारतीय गाँव और 7,500 शहर शामिल हैं।
- डेटाबेस:
  - इसके डेटाबेस में 63 लाख किमी. का एक सड़क नेटवर्क है और संस्था का दावा है कि यह देश का सबसे विस्तृत डिजिटल मानचित्र डेटाबेस है।
- प्रयोग:
  - भारत में लगभग सभी वाहन निर्माता जो 'बिल्ट-इन नेविगेशन सिस्टम' प्रदान करते हैं, वे 'मैप माई इंडिया' का उपयोग कर रहे हैं।
- अन्य प्रयास:
  - 'मूव' नामक एप भी 'रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट' और नेविगेशन सुविधा प्रदान करता है।

नेविगेशन इन इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC)

- यह एक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित किया गया है।
  - IRNSS में आठ उपग्रह हैं, इसके अंतर्गत भूस्थैतिक कक्षा में तीन उपग्रह और भू-समकालिक कक्षा में पाँच उपग्रह शामिल हैं।
- यह स्थापित और लोकप्रिय अमेरिकी 'ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम' (Global Positioning System- GPS) की तरह ही काम करता है, लेकिन यह उप-महाद्वीप के लगभग 1,500 किलोमीटर क्षेत्र को ही कवर करता है।
- इसे मोबाइल टेलीफोन मानकों के समन्वय के लिये वैश्विक संस्था '3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट' (3GPP) द्वारा प्रमाणित किया गया है।

उद्देश्य:

- इसका मुख्य उद्देश्य भारत और उसके पड़ोसियों को विश्वसनीय नेविगेशन सुविधाएँ और समय सबंधी सेवाएँ प्रदान करना है।

संभावित उपयोग :

- स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन
- आपदा प्रबंधन

नोट :

- वाहन ट्रैकिंग और पोत प्रबंधन (विशेष रूप से खनन और परिवहन क्षेत्र के लिये)
- मोबाइल फोन के साथ संयोजन
- सटीक समय (एटीएम और पावर ग्रिड हेतु)
- मैपिंग और जियोडेटिक डेटा

अन्य वैश्विक नेवीगेशनल प्रणालियाँ:

- बाइडू (चीन)
- गैलीलियो (यूरोप)
- ग्लोनास (रूस)
- क्वासी-ज़ेनिथ सैटेलाइट (जापान)

बीमा बाँस क्रैश बैरियर

चर्चा में क्यों ?

विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Visvesvaraya National Institute of Technology- VNIT) नागपुर के विशेषज्ञ 'बीमा' बाँस और कॉयर (नारियल की जटा) से बने क्रैश बैरियर के डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं।

- इन्हें राजमार्गों पर दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने के लिये स्टील बैरियर की तुलना में कम लागत वाले विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- सड़क दुर्घटना:
  - भारत में हर वर्ष 5 लाख के करीब सड़क दुर्घटनाओं में लगभग डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। उन दुर्घटनाओं में से लगभग एक-तिहाई राजमार्गों पर घटित होती हैं।
  - वर्तमान में भारत एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त 14,000 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से दुर्घटना संभावित "ब्लैक स्पॉट्स' की समस्या को दूर करने और राजमार्गों पर सड़क के डिज़ाइन में सुधार के लिये एक परियोजना में संलग्न है।
- पारंपरिक क्रैश बैरियर की कीमत:
  - क्रैश बैरियर आमतौर पर वाहनों को राजमार्गों पर जाने से रोकने के लिये होते हैं ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
  - धातु और मिश्र धातु से बने पारंपरिक क्रैश बैरियर की कीमत लगभग 2,000 रुपए प्रति मीटर हो सकती है, भारत में राजमार्गों में लगने वाली कुल लागत का 5% भाग सड़क संबधी उपकरणों में व्यय हो जाता है।

बीमा बाँस क्रैश बैरियर

- क्रैश बैरियर:
  - कंक्रीट के खंडों में बाँस की पाँच फीट बाड़ लगाने का कार्य किया जाएगा तथा उन्हें मज़बूत कॉयर रस्सियों से एक साथ बाँधा जाएगा।
  - बीमा बाँस क्रैश बैरियर की अनुमानित लागत पारंपरिक क्रैश बैरियर की तुलना में एक-तिहाई है।
- बीमा बाँस:
  - बीमा या भीमा बाँस का एक प्रकार है जो भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से उत्तर-पूर्व में पाए जाने वाले पारंपरिक बाँस, जो कि मज़बूत, टिकाऊ, तेज़ी से विकसित होने वाला और लंबा होता है , का प्रतिरूप है। बाँस की इस किस्म की दक्षिण भारत में अच्छी पैदावार है।
    - यह मुख्य रूप से कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों का स्थानीय उत्पाद है।

नोट :

कॉयर:

- कॉयर या 'कोकोनट फाइबर' एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे नारियल की बाहरी जटा से प्राप्त किया जाता है और फर्शमैट, डोरमैट, ब्रश एवं गद्दे आदि उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- कॉयर शब्द तमिल और मलयालम में कॉर्ड या रस्सी के लिये प्रयुक्त होने वाले शब्द 'कायर' से लिया गया है।

महत्त्व:

- तन्यता (लचीलापन):
  - बाँस में स्टील की तुलना में अधिक तन्यता होती है क्योंकि इसके फाइबर गतिशील होते हैं।
- अग्नि प्रतिरोधक:
  - अग्नि प्रतिरोधक के रूप में बाँस की क्षमता बहुत अधिक होती है और यह 400 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना कर सकता है।
- लोचनीयता:
  - बाँस अपनी लोचदार विशेषताओं के कारण भूकंप प्रवण क्षेत्रों में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है।
- बाँस का भार:
  - कम वज़न के कारण बाँस का आसानी से विस्थापन हो जाता है जो परिवहन और निर्माण क्षेत्र के लिये बहुत आवश्यक है।

नासा का मंगल 2020 मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) का 'पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover) मंगल पर उतरा है।

- यह 'मार्स 2020' मिशन के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक था।

प्रमुख बिंदु:

- 'मार्स 2020' मिशन:
  - इस मिशन को मंगल ग्रह के भू-विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने तथा जीवन के प्राचीनतम संकेतों की तलाश करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- उद्देश्य:
  - प्राचीनतम जीवन के साक्ष्यों का पता लगाना।
  - भविष्य में रोबोट और मानव अन्वेषण हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- अवधि: कम-से-कम एक मंगल वर्ष (मंगल ग्रह पर एक वर्ष की अवधि पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होती है)
- मिशन के विभिन्न चरण:
  - नमूने एकत्रित करना: सिगार के आकार की एक नली में कठोर चट्टानों एवं मिट्टी के नमूनों को एकत्र किया जाएगा। इन नमूनों को एकत्र कर कनस्तरों (टीन का एक छोटा डब्बा) में बंद करके ज़मीन पर लाया जाएगा।
  - नमूने वापस लाना: एक 'मार्स फैच रोवर' (जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित है) मंगल की सतह पर उतरकर तथा घूमकर विभिन्न स्थानों के नमूनों को एकत्र कर उन्हें वापस पृथ्वी पर लाएगा।
  - स्थानांतरण: इन नमूनों को 'मार्स एसेंट व्हीकल' में स्थानांतरित किया जाएगा जो ऑर्बिटर के साथ जुड़ा होगा।
  - वापसी: ऑर्बिटर एकत्रित नमूनों को वापस पृथ्वी पर लाएगा।

नोट :

पर्सिवरेंस रोवर

- पर्सिवरेंस रोवर के बारे में:
  - पर्सिवरेंस अत्यधिक उन्नत, महँगी और परिष्कृत चलायमान प्रयोगशाला है जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया है।
  - यह मिशन पिछले मिशनों से भिन्न है क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण चट्टानों और मिट्टी के नमूनों की खुदाई करने एवं उन्हें एकत्रित करने में सक्षम है और इन्हें मंगल की सतह पर एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित कर सकता है।
- प्रक्षेपण: 30 जुलाई, 2020
- लैंडिग: 18 फरवरी, 2021
- लैंडिग का स्थान:
  - जेज़ेरो क्रेटर (एक प्राचीन नदी डेल्टा जिसमें चट्टानें और खनिज विद्यमान हैं तथा जिनका निर्माण केवल पानी में होता हैं)।
- शक्ति का स्रोत:
  - रोवर में विद्युत आपूर्ति हेतु एक 'मल्टी-मिशन रेडियोआईसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर' (Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator- MMRTG) का प्रयोग किया गया है जो प्लूटोनियम (प्लूटोनियम डाइऑक्साइड) के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय के कारण उत्पन्न गर्मी को बिजली में परिवर्तित करता है।
  - मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन एक्सपेरिमेंट (MOXIE):
    - इसके द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ऑक्सीजन उत्पादन करने हेतु विद्युत का उपयोग किया जाएगा।
    - यदि यह उपकरण सही प्रकार से कार्य करने में सफल रहता है तो इसके द्वारा मनुष्यों की दो और महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी जिनमें शामिल हैं: साँस लेने हेतु ऑक्सीजन और पृथ्वी पर वापस आने हेतु रॉकेट ईंधन।
  - रडार इमेज़र फॉर मार्स' सबसर्फेस एक्सपेरिमेंट (RIMFAX):
    - RIMFAX उच्च रिज़ॉल्यूशन मैपिंग (High Resolution Mapping) प्रदान करते हुए मंगल की ऊपरी सतह पर पानी की खोज करेगा।
  - मार्स हेलीकाप्टर: उपकरण: यह रोवर मंगल ग्रह पर विज्ञान तथा नई तकनीक के अभूतपूर्व परीक्षण करने के उद्देश्य से भेजा गया है। इसमें कुल सात उपकरण, दो माइक्रोफोन और 23 कैमरे प्रयुक्त हुए हैं। इस रोवर में प्रयुक्त कुछ महत्त्वपूर्ण उपकरण इस प्रकार हैं:
    - यह परीक्षण हेतु एक छोटा ड्रोन है जो इस बात का पता लगाएगा कि क्या एक हेलीकॉप्टर मंगल के विरल वातावरण में उड़ान भरने में सक्षम है। मंगल ग्रह के वायुमंडल का घनत्व एक हेलीकॉप्टर या विमान के उड़ान भरने के लिये आवश्यक घनत्व से बहुत ही कम है।
  - मास्टकैम-Z:
    - यह पैनोरमिक (Panoramic) और त्रिविमीय चित्रण (Stereoscopic Imaging) क्षमता वाली एक उन्नत कैमरा प्रणाली है जो खनिजों का निर्धारण करने में मदद करेगी।
  - सुपरकैम:
    - यह चित्र लेने, रासायनिक संरचनाओं के विश्लेषण और दूर से ही खनिजों का पता लगाने में सक्षम है।
  - प्लेनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्स-रे लिथोकैमिस्ट्री (PIXL):
    - एक 'एक्स-रे प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोमीटर' और 'उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजर' पहले से कहीं अधिक विस्तृत रूप से रासायनिक तत्त्वों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम होगा।
  - स्कैनिंग हैबिटेबल एन्वायरनमेंट्स विद रमन ल्युमिनेसेंस फॉर आर्गेनिकस एंड केमिकल्स (SHERLOC):
    - स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा 'फाइन-स्केल इमेजिंग' प्राप्त करने तथा खनिज और कार्बनिक यौगिकों की माप करने हेतु एक पराबैंगनी (UV) लेज़र का उपयोग किया जाएगा।
  - SHERLOC मंगल की सतह पर उड़ान भरने वाला पहला UV रमन स्पेक्ट्रोमीटर होगा जो पेलोड में अन्य उपकरणों के साथ मापन कार्य करेगा।

नोट :

- मार्स एन्वायरनमेंट डायनिमिक एनालाइज़र (MEDA):
  - इस सेंसर द्वारा तापमान, हवा की गति, दिशा, दबाव, सापेक्षिक आर्द्रता और धूल के आकार का मापन किया जाएगा।

मंगल ग्रह:

आकार और दूरी:

- यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है।
- मंगल ग्रह आकार में पृथ्वी का लगभग आधा है।

पृथ्वी से समानता (कक्षा और घूर्णन):

- मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन करता है जो पृथ्वी के एक दिन (23.9 घंटे) के समय के अधिक नज़दीक है।
- सूर्य की परिक्रमा करते समय मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका रहता है। मंगल का यह अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है, जो कि 23.4 डिग्री पर झुकी होती है।
- पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी अलग-अलग मौसम विद्यमान होते हैं, परंतु मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में मौसम की अवधि लंबी होती है, क्योंकि मंगल की सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इसका परिक्रमण काल अधिक होता है।
- मंगल ग्रह पर दिनों को 'सोल्स' (सोलर डे- Solar Day) कहते हैं।
- सतह: मंगल ग्रह की सतह भूरे, सोने और पीले जैसे रंगों की दिखती है। मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना और धूल कणों की उपस्थिति है, इसलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
- मंगल पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी 'ओलंपस मॉन्स' स्थित है। यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट पर्वत से तीन गुना ऊँचा तथा आकार में न्यू मैक्सिको राज्य के समान है।

वातावरण:

- मंगल ग्रह पर वातावरण अत्यधिक क्षीण/दुर्बल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसों की अधिकता है।

मैग्नेटोस्फेयर:

- अभी तक मंगल पर कोई चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं है, लेकिन इसके दक्षिणी गोलार्द्ध में मार्टियन क्रस्ट का क्षेत्र अत्यधिक चुंबकीय है।

उपग्रह:

- फोबोस और डीमोस मंगल के दो छोटे उपग्रह है।

पूर्ववर्ती मंगल मिशन:

- वर्ष 1971 में सोवियत संघ विश्व का पहला देश बना, जिसने मंगल पर 'मार्स 3' (Mars 3) को उतारा।
- मंगल की सतह तक पहुँचने वाला दूसरा देश अमेरिका है। वर्ष 1976 के बाद से इसने 8 बार सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंडिंग की है, जिनमें वर्ष 2019 में 'इनसाइट' (InSight) की लेंडिंग नवीनतम है।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 'मार्स एक्सप्रेस मिशन' (Mars Express Mission) के माध्यम से मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्षयान को उतारा है।

भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान:

- इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- इसे पीएसएलवी सी -25 रॉकेट द्वारा मंगल ग्रह की सतह और खनिज संरचना के अध्ययन के साथ-साथ मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन (मंगल पर जीवन का एक संकेतक) की उपस्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

मंगल ग्रह से संबंधित लगातार मिशनों के कारण: इसके दो प्राथमिक कारण हैं

नोट :

पृथ्वी से समानता:

- मंगल एक ऐसा ग्रह है जहाँ अतीत में जीवन के विकसित होने के संकेत प्राप्त होते हैं, लगभग 4 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह की शुरुआती परिस्थितियाँ पृथ्वी से बहुत मिलती-जुलती थीं।
- मंगल का वातावरण अत्यधिक सघन है जहाँ पानी की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं।
- यदि वास्तव में मंगल ग्रह पर स्थितियाँ पृथ्वी के समान थीं तो इस बात की संभावना बन सकती है कि मंगल ग्रह पर सूक्ष्म स्तर पर ही सही परंतु जीवन विद्यमान रहा होगा।

अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक उपयुक्त:

- मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है, जहाँ मानव दीर्घ अवधि हेतु जा सकता है या निवास कर सकता है। शुक्र और बुध ग्रह का औसत तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक है बाहरी सौरमंडल के सभी ग्रह जो कि बृहस्पति से शुरू होते हैं- सिलिकेट या चट्टान से निर्मित न होकर गैसों से निर्मित हैं जो कि बहुत ठंडे हैं।
- ध्रुवों पर -125 डिग्री सेल्सियस से लेकर भूमध्य रेखा पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की अनुमानित सीमा के साथ मंगल ग्रह तापमान के मामले में तुलनात्मक रूप से अनुकूल है।

हेलिना और ध्रुवास्त्र: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने पोखरण रेंज, थार रेगिस्तान (राजस्थान) में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम 'हेलिना' (Helina) और 'ध्रुवास्त्र' (Dhruvastra) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

प्रमुख बिंदु:

- हेलिना' और 'ध्रुवास्त्र' के बारे में:
  - हेलिना (सेना संस्करण) और ध्रुवास्त्र (भारतीय वायुसेना संस्करण) तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (नाग मिसाइल सिस्टम) के हेलीकॉप्टर-लॉन्च संस्करण हैं।
  - इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है तथा यह पारंपरिक कवच और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को भेदने में सक्षम है।
- स्वदेशी:
  - इन मिसाइल प्रणालियों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
- संचालन:
  - हेलिना 'और 'ध्रुवास्त्र' डायरेक्ट हिट मोड (Hit Mode) के साथ-साथ टॉप अटैक मोड (Top Attack Mode) दोनों को लक्ष्य बना सकते हैं।
  - टॉप अटैक मोड: इसमें मिसाइल लॉन्च होने के बाद तीव्र गति के साथ एक निश्चित ऊँचाई तक जाती है तथा फिर नीचे की तरफ मुड़कर निर्धारित लक्ष्य को भेदती है।
  - डायरेक्ट हिट मोड: इसमें मिसाइल कम ऊँचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेदती है।

नाग मिसाइल

- नाग तीसरी पीढ़ी की 'दागो और भूल जाओ' (Fire-and-Forget) के सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टेंक मिसाइल है, इसे DRDO द्वारा भारतीय सेना के मैकेनाइज़्ड इन्फैंट्री (Mechanized Infantry) और एयरबोर्न (Airborne) दोनों बलों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

नोट :

- यह सभी मौसम तथा दिन-रात किसी भी समय कार्य करने में सक्षम है तथा कम-से-कम 500 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है।
- नाग को स्थल और वायु-आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। वर्तमान में इसका स्थल संस्करण एकीकरण 'नाग मिसाइल कैरियर ' (Nag missile carrier- NAMICA) उपलब्ध है।
- नाग मिसाइलों को DRDO ने एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Program-IGMDP) के तहत विकसित किया है।

एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):

- IGMDP की परिकल्पना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। IGMDP का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में किया गया तथा इसे मार्च 2012 में पूरा किया गया।
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित पाँच मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:
  - पृथ्वी: यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
  - अग्नि: यह विभिन्न श्रेणियों (I, II, III, IV, V)। में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है।
  - त्रिशूल: यह सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है।
  - नाग: तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है।
  - आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।

समुद्र तल की एयरलाइन मैपिंग

चर्चा में क्यों ?

इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS) समुद्र तल की बेहतर छवि/तस्वीर प्राप्त करने के लिये अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह की एयरलाइन मैपिंग की योजना बना रहा है।

- लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। यह केरल के तट से दूर स्थित एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।

प्रमुख बिंदु

इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS)

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- हैदराबाद में स्थित इस संस्थान को वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था।
- यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO), नई दिल्ली की एक इकाई है।
  - ESSO पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये कार्यकारी विंग के रूप में कार्य करता है।
- जनादेश
  - समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को निरंतर महासागर अवलोकन तथा व्यवस्थित एवं केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से सर्वोत्तम संभव महासागर सूचना व सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना।

हालिया पहलें

- इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में 'बाथिमेट्रिक' (Bathymetric) अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) की सहायता लेने की योजना बना रहा है।
  - NRSC: यह अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्राथमिक केंद्रों में से एक है।

नोट :

- बाथिमेट्री
  - इसका अभिप्राय समुद्र, नदियों और झीलों समेत सभी प्रकार के जल निकायों के 'तल' के अध्ययन से है।
  - 'बाथिमेट्री' मूल रूप से समुद्र की सतह के सापेक्ष समुद्र की गहराई को संदर्भित करता है, हालाँकि इसका अर्थ पानी के नीचे के इलाके की गहराई और आकार से भी है।

- राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) पहले ही देश के पूरे तटीय क्षेत्रों की टोपोग्राफिक एयरबोर्न लेज़र टेरेन मैपिंग (ALTM) कर चुका है।
  - ALTM एक सक्रिय रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो विशाल क्षेत्रों में उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर स्थलाकृति को मापने के लिये लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग (LIDAR) का प्रयोग करती है।
  - ALTM एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म तथा पृथ्वी की सतह के बीच की सीमा/विस्तार को मापने के लिये प्रति सेकंड कई हज़ार बार लेज़र स्पंदित करता है।
  - लेज़र ट्रांसमीटर के अंदर एक घूर्णी दर्पण या किसी अन्य स्कैनिंग तंत्र का उपयोग कर लेज़र स्पंदनों को एक कोण बनाते हुए तेज़ी से गुज़रने दिया जाता है जिससे परावर्तक सतह पर किसी रेखा या अन्य पैटर्न/प्रतिरूप का पता लगाया जा सकता है।
- वैज्ञानिक द्वारा समुद्र तल के अधिक सटीक चित्र प्राप्त करने के लिये पूर्व और पश्चिम दोनों तटों की 3D मल्टी-हैज़ार्ड मैपिंग हेतु डेटा को एकीकृत किया जा रहा है।

महत्त्व

- हालिया सुनामी की चेतावनी के मद्देनज़र इस प्रकार का अध्ययन काफी महत्त्वपूर्ण है।
- हाल ही में इंडोनेशिया के तटों पर समुद्र तल में हुए भूस्खलन के कारण आम लोगों को जान-माल की काफी क्षति हुई थी और इस दौरान प्रशासन को आम लोगों को सचेत करने के लिये पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया था।

अन्य पहलें

- आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर ऐसे कई स्थानों की पहचान की गई है, जहाँ समुद्र की बेहतर निगरानी और चक्रवातों जैसी आपदाओं की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिये टाइड गेज (Tide Gauge) स्थापित किया जा सके।
- चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसी, मैसाचुसेट्स-आधारित वुड्स होल ओशनग्राफिक इंस्टीट्यूट (WHOI) के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS) के शोधकर्त्ता कलकत्ता तट से दूर बंगाल की खाड़ी से प्राप्त आँकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण कर रहे हैं, इन आँकड़ों को 'फ्लक्स बॉय' (Flux Buoy) के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
  - इस उपकरण को समुद्र की गहराई में विभिन्न स्तरों पर तापमान, दबाव, लवणता, विकिरण और भू-रासायनिक परिवर्तनों की निगरानी के लिये रखा गया गया था।

वैश्विक पहलें

- सीबेड 2030 (Seabed 2030) जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और जनरल बाथिमेट्री चार्ट ऑफ ओशंस (GEBCO) की संयुक्त परियोजना है।
- परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक विश्व महासागर तल के निश्चित मानचित्र का निर्माण करने के लिये अब तक उपलब्ध बाथमीट्रिक डेटा का एकत्रण और इसे सभी के लिये उपलब्ध कराना है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

कोयला दहन से प्रदूषण: IEACCC

चर्चा में क्यों ?

'इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर' (International Energy Agency's Clean Coal Centre-IEACCC) के एक अध्ययन में कहा गया है कि कोयला दहन भारत में होने वाले अत्यधिक वायु प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार है।

- हाल ही में दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक 'सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट' (Centre for Science and Environment-CSE) ने भारत के कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) फुटप्रिंट को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की है और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) को देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों हेतु उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

प्रमुख बिंदु:

निष्कर्ष:

- कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों से प्रदूषण:
  - कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन कुल सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के आधे के लिये, कुल नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) के 30% के लिये और कुल पार्टिकुलेट मैटर (PM) के लगभग 20% उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - ताप विद्युत स्टेशनों में लगातार कोयला दहन और नवीनतम 'कार्बन कैप्चर स्टोरेज' तकनीक के कार्यान्वयन में देरी, भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।
- अन्य क्षेत्रों से होने वाला प्रदूषण:
  - वायु प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार क्षेत्रों में परिवहन और अन्य औद्योगिक क्षेत्र कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

सुझाव:

- पुराने ताप विद्युत स्टेशनों की सेवानिवृत्ति:
  - स्वच्छ कोयला तकनीक अपनाकर प्रदूषण को सीमित करना और वर्तमान ताप विद्युत स्टेशनों की दक्षता में सुधार करना।
- स्वच्छ और उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश:
  - भारत में नए उन्नत प्रौद्योगिकी संयंत्र - जैसे गुजरात में मुंद्रा और सासन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ और उन्नत तकनीक में निवेश करने के लिये हितधारकों में आत्मविश्वास नहीं होता है।
- अधिक महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ प्रारंभ करना:
  - मौजूदा ऊर्जा दक्षता योजनाएँ जिनमें 'परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड' योजनाएँ, दक्षता मानक योजनाएँ और कार्बन मूल्य निर्धारण योजनाएँ शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण सुधार लाने के लिये पर्याप्त रूप से महत्त्वाकांक्षी नहीं हैं।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) को अपनाना:

- यह उत्सर्जन कम करने के बराबर ही महत्त्वपूर्ण है। भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में इसे शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
- CCUS अपशिष्ट CO_2 को एकत्रित कर इसे एक भंडारण स्थल पर ले जाने और वहाँ जमा करने की प्रक्रिया है, जिससे यह वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकेगी।

नोट :

कोयला दहन एवं प्रदूषण:

कोयले का निर्माण:

- ये अत्यधिक ताप और दबाव के कारण हज़ारों वर्षों में निर्मित भूमिगत कोयले की कार्बन युक्त काली चट्टानें हैं जो जलने पर ऊर्जा का उत्पादन करती हैं।

वायु प्रदूषण:

- जब कोयले को जलाया जाता है, तो यह कई वायुवाहित विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है।
- इनमें पारा, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट और अन्य विभिन्न भारी धातुएँ शामिल हैं।
- इन सभी प्रदूषकों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे- अस्थमा, साँस लेने में कठिनाई, मस्तिष्क क्षति, हृदय संबंधी समस्याएँ, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार और समय से पहले मृत्यु तक हो सकती है।

जल प्रदूषण:

- कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हर वर्ष लगभग 100 मिलियन टन से अधिक 'कोल एश' का उत्पादन करते हैं।
  - इस कचरे का आधा से अधिक हिस्सा तालाबों, झीलों, लैंडफिल और अन्य स्थलों में निर्गत होता है, जहाँ समय के साथ यह जलमार्ग और पेयजल आपूर्ति को दूषित कर सकता है।
- जल प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार अन्य कारकों में कोयला खदानों से एसिड रॉक जल निकासी, 'माउंटेन स्टॉप माइनिंग' द्वारा पहाड़ों और घाटियों का विनाश एवं कोयला संयंत्रों के स्थानीय जल आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर होने के कारण पेयजल संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

जलवायु परिवर्तन:

- ग्लोबल वार्मिंग के लिये कोयला एक बड़ा उत्तरदायी कारक है।

विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये पहल:

- CCUS का क्रियान्वयन:
  - भारत अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक औद्योगिक बंदरगाह पर एक संयंत्र ने अपने स्वयं के कोयले से चलने वाले बॉयलर से CO_2 को एकत्रित करना शुरू कर दिया है और इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने के लिये किया जा रहा है।
- उत्सर्जन मानक:
  - भारत ने ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्सर्जित ज़हरीले सल्फर डाइऑक्साइड में कटौती करने वाली 'फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन' (Flue Gas Desulphurization- FGD) इकाइयों को स्थापित करने के लिये उत्सर्जन मानकों का पालन करने के आदेश जारी किये हैं।
- ग्रेडेड एक्शन प्लान:
  - विद्युत मंत्रालय ने एक 'ग्रेडेड एक्शन प्लान' प्रस्तावित किया है, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ संयंत्रों को प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, इसमें क्षेत्र-1 में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों का विवरण है और क्षेत्र-5 सबसे कम प्रदूषित है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर

क्लीन कोल सेंटर के विषय में:

- यह एक प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) के तहत किया जाता है।

नोट :

सदस्य:

- इस सेंटर में कुल 17 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों (Contracting Party) और प्रायोजक संगठनों (Sponsoring Organisation) में से होता है।
- इसका प्रायोजक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) है।

अवस्थिति:

- यह इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम के साथ लंदन में स्थित है।

सहयोग:

- इसका वित्तपोषण राष्ट्रीय सरकारों (कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों) और कॉर्पोरेट औद्योगिक संगठनों द्वारा किया जाता है।

कार्य:

- कोयले को संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (United Nations Sustainable Development Goal) के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करना।
- ऊर्जा में कोयले की भूमिका और आपूर्ति, सामर्थ्य तथा पर्यावरणीय मुद्दों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता पर ध्यान देना।
- कोयले के उपयोग से CO_2 और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन को उच्च दक्षता - कम उत्सर्जन (High Efficiency - Low Emission) प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कम करने पर ध्यान केंद्रित करना।

गंगा डॉल्फिन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में एक गंगा डॉल्फिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

- गौरतलब है कि गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दंडनीय अपराध है।

प्रमुख बिंदु:

संक्षिप्त परिचय:

- वैज्ञानिक नाम: प्लैटनिस्टा गैंगेटिका (Platanista gangetica)
- गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी।
- गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्नाफुली-सांगु नदी प्रणालियों में रहती है।
  - गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है।
  - ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि "देखने" में सक्षम बनाती है। इन्हें 'सुसु' (Susu) भी कहा जाता है।
- गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 1200-1800 के बीच है।

महत्त्व:

- यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है।
- गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal) के रूप में मान्यता दी थी।

गंगा डॉल्फिन के लिये खतरे:

- अवांछित शिकार: लोगों की तरह ही ये डॉल्फिन नदी के उन क्षेत्रों को पसंद करती हैं जहाँ मछलियाँ बहुतायत मात्रा में हों और पानी का प्रवाह धीमा हो। इसके कारण लोगों को मछलियाँ कम मिलती हैं और मछली पकड़ने के जाल में गलती से फँस जाने के कारण गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है, जिसे बायकैच (Bycatch) के रूप में भी जाना जाता है।

नोट :

- प्रदूषण : औद्योगिक, कृषि एवं मानव प्रदूषण इनके प्राकृतिक निवास स्थान के क्षरण का एक और गंभीर कारण है।
- बाँध: बाँधों और सिंचाई से संबंधित अन्य परियोजनाओं का निर्माण उन्हें सजातीय प्रजनन (Inbreeding) के लिये संवेदनशील बनाने के साथ अन्य खतरों के प्रति भी सुभेद्य बनाता है क्योंकि ऐसे निर्माण के कारण वे अन्य क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं।
  - एक बाँध के अनुप्रवाह में भारी प्रदूषण, मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि और पोत यातायात से डॉल्फिन के लिये खतरा उत्पन्न होता है। इसकी वजह से उनके लिये भोजन की भी कमी होती है क्योंकि बाँध मछलियों और अन्य शिकारों के प्रवासन, प्रजनन चक्र तथा निवास स्थान को प्रभावित करता है।

संरक्षण स्थिति:

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है।
- गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
- गंगा डॉल्फिन को 'वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
- वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट II (प्रवासी प्रजातियाँ जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ होगा)।

संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन (Project Dolphin): भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस-2020 पर दिये गए अपने भाषण में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करने की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिसने बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद की।
- डॉल्फिन अभयारण्य: बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है।
- संरक्षण योजना:'गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020' गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों में से एक है, इसके तहत गंगा डॉल्फिन और उनकी आबादी के लिये प्रमुख खतरों के रूप में नदी में यातायात, सिंचाई नहरों और शिकार की कमी आदि की पहचान की गई है।.
- राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्तूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पादप प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। अन्य प्रावधानों के अलावा यह अधिनियम कई पशु प्रजातियों के शिकार को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया था।
- इस अधिनियम की छह अनुसूचियाँ बनाईं गई हैं जिसके माध्यम से वनस्पतियों और जीवों को उनकी श्रेणी के अनुरूप अलग-अलग सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इसके तहत अनुसूची I और अनुसूची II में शामिल जीवों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है तथा इन अनुसूचियों से जुड़े अपराध के मामलों में अधिकतम दंड दिया जा सकता है।
- अनुसूची 5 में वे प्रजातियाँ शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 48 (A):
  - यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के साथ वन्यजीवों तथा जंगलों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद को वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 51 (A):
  - अनुच्छेद 51(A) भारत के लोगों के लिये कुछ मूलभूत कर्तव्यों को लागू करता है। इनमें से एक जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना है।

नोट :

वायु प्रदूषण के कारण आर्थिक क्षति विश्लेषण 2021

चर्चा में क्यों ?

ग्रीनपीस दक्षिण पूर्व एशिया (गैर-सरकारी संगठन) द्वारा प्रकाशित 'वायु प्रदूषण के कारण आर्थिक क्षति का विश्लेषण 2021' (Cost to Economy Due to Air Pollution Analysis 2021) नामक रिपोर्ट के अनुसार, पीएम 2.5 वायु प्रदूषण वर्ष 2020 में दिल्ली में लगभग 54,000 लोगों की मृत्यु का कारण बना।

पीएम 2.5: यह 2.5 माइक्रोमीटर व्यास से छोटे सूक्ष्म पदार्थ को संदर्भित करता है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है और दृश्यता को भी कम करता है। यह एक अंत:स्रावी व्यवधान है जो इंसुलिन स्राव और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है तथा इस प्रकार यह मधुमेह का कारण भी बन सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय शहरों की स्थिति:
  - दिल्ली:
    - जुलाई 2020 में ग्रीनपीस ने पाया कि अध्ययन में शामिल 28 वैश्विक शहरों में से दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे अधिक आर्थिक प्रभाव पड़ा। COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु लागू सख्त लॉकडाउन के बावजूद वर्ष 2020 की पहली छमाही में अनुमानित 24,000 लोगों की मृत्यु (प्रदूषण के कारण) हुई।
    - वर्ष 2020 में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित सीमा (10 $\mu g/m3$ वार्षिक औसत) से लगभग छह गुना अधिक था।
    - इस दौरान वायु प्रदूषण से संबंधित आर्थिक क्षति अनुमानित 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि दिल्ली के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13% है।
  - मुंबई:
    - वर्ष 2020 में मुंबई में अनुमानित 25,000 असामयिक मौतों (Avoidable Deaths)के लिये पीएम 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के कारण वायु प्रदूषण को उत्तरदायी बताया गया है।
  - अन्य शहर:
    - अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण के कारण हुआ नुकसान उतना ही चिंताजनक है,ये शहर हैं मुंबई, बंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ जिन्हें वैश्विक विश्लेषण में शामिल किया गया है।
    - प्रदूषित हवा के कारण बंगलूरू, चेन्नई और हैदराबाद में क्रमश: 12,000, 11,000 और 11,000 असामयिक मौतों का अनुमान है।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - वैश्विक स्तर पर पाँच सबसे अधिक आबादी वाले शहरों - दिल्ली (भारत), मैक्सिको सिटी (मैक्सिको), साओ पाउलो (ब्राज़ील), शंघाई (चीन) और टोक्यो (जापान) में लगभग 1,60,000 लोगों की मृत्यु के लिये पीएम 2.5 को उत्तरदायी बताया गया है।
  - वर्ष 2020 में इस विश्लेषण में शामिल 14 शहरों में पीएम 2.5 वायु प्रदूषण की अनुमानित आर्थिक क्षति 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।
  - टोक्यो (जापान):
    - इस विश्लेषण में शामिल शहरों में से वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक अनुमानित वित्तीय क्षति टोक्यो में दर्ज की गई, जहाँ वर्ष 2020 में पीएम 2.5 वायु प्रदूषण के कारण लगभग 40,000 असामयिक मौतें और 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।
  - लॉस एंजेल्स (USA):
    - इस विश्लेषण में शामिल सभी शहरों की तुलना में लॉस एंजेल्स में पीएम 2.5 वायु प्रदूषण की उच्चतम प्रति व्यक्ति वित्तीय क्षति (लगभग 2,700 अमेरिकी डॉलर प्रति निवासी) दर्ज की गई।

नोट :

- अध्ययन में प्रयुक्त संकेतक:
  - पीएम 2.5 मापन:
    - विभिन्न स्थानों से रियल-टाइम ग्राउंड-लेबल PM 2.5 मापन द्वारा आँकड़े एकत्र किये गए और प्राप्त आँकड़ों को IQAir के डेटाबेस में एक साथ जोड़ा गया।
    - IQAir एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है।
    - विलिंग्नेस टू पे:
    - अर्थव्यवस्था पर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों के प्रभाव को दिखाने के लिये ग्रीनपीस द्वारा उपयोग किये जाने वाले दृष्टिकोण को 'विलिंग्नेस-टू-पे' (Willingness To Pay) कहा जाता है - इसकी गणना धन की उस मात्रा के आधार पर की जाती है जिसे लोग 'जीवन के खोए हुए एक वर्ष या विकलांगता की स्थिति में जिये एक वर्ष के बदले में भुगतान करने को तैयार हों।
    - कॉस्ट एस्टीमेटर:
    - कॉस्ट एस्टीमेटर (Cost Estimator) एक ऑनलाइन टूल है जो विश्व के प्रमुख शहरों में वास्तविक समय में पीएम 2.5 वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और इसकी आर्थिक क्षति का आकलन करता है। इस आकलन के लिये कॉस्ट एस्टीमेटर को ग्रीनपीस दक्षिण-पूर्व एशिया, IQAir और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के सहयोग से तैनात किया गया था।
- वायु प्रदूषण की घातक स्थिति:
  - वैश्विक स्तर पर:
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO):
    - WHO के अनुसार, विषाक्त हवा अब असामयिक मृत्यु से जुड़ा सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम है, जो प्रति नौ में से एक मृत्यु के लिये उत्तरदायी है।
    - यह प्रतिवर्ष 7 मिलियन लोगों की मृत्यु के लिये उत्तरदायी है, जो एचआईवी, तपेदिक और मलेरिया से होने वाली मौतों के योग से कहीं अधिक है।
  - विश्व बैंक:
    - विश्व बैंक (World Bank) की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें और स्वास्थ्य क्षति भी एक बड़ा आर्थिक भार है: वर्ष 2013 में 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर की श्रम आय की क्षति हुई या यदि लोगों की देखभाल पर लगे खर्च को जोड़ लिया जाए तो यह हानि बढ़कर 5.11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष (लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति मिनट) हो जाती है।
  - भारत में प्रदूषण से हुई क्षति:
    - कुल क्षति: भारत में वर्ष 2019 में लंबे समय तक बाहरी और घरेलू (इनडोर) वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों के पुराने रोगों आदि के कारण 1.67 मिलियन से अधिक वार्षिक मौतें दर्ज की गईं।
    - शिशु संबंधित डेटा: पार्टिकुलेट मैटर का स्तर बहुत अधिक होने के कारण लगभग 1,16,000 से अधिक भारतीय शिशुओं की मृत्यु में हो गई जो अपने जीवन के पहले माह को भी पार नहीं कर सके।
    - जीवन के पहले माह में शिशु एक सुभेद्य अवस्था में होते हैं और भारत में कई वैज्ञानिक साक्ष्य-समर्थित अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान पार्टिकुलेट मैटर युक्त वायु प्रदूषण के संपर्क में आने को कम वज़न वाले और अपरिपक्व शिशु के जन्म से जोड़कर देखा जा सकता है।
- भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास:
  - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है। यह वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये राज्य सरकारों का समन्वित प्रयास है और इस क्षेत्र के लिये वायु गुणवत्ता के मापदंडों का निर्धारण करेगा।

नोट :

- भारत स्टेज मानक/मानदंड: ये वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिये सरकार द्वारा जारी उत्सर्जन नियंत्रण मानक हैं।
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड: यह एक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) आधारित डैशबोर्ड है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (NAAQS) नेटवर्क के डेटा के आधार पर बनाया गया है, गौरतलब है कि NAAQS को वर्ष 1984-85 में शुरू किया गया था और यह 29 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों के 344 शहरों/कस्बों को कवर करता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): यह देश के 102 शहरों के लिये एक व्यापक अखिल भारतीय वायु प्रदूषण उन्मूलन योजना है, इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI): यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में साँस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव कर सकता है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक: ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अधिसूचित विभिन्न प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं।
- ब्रीद (Breathe): यह नीति आयोग द्वारा वायु प्रदूषण के मुकाबले के लिये 15 पॉइंट एक्शन प्लान है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना है।

सांभर झील: राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने कहा कि वह सांभर नमक झील (Sambhar Salt Lake) में पर्यटन के नए बिंदुओं की पहचान करेगी।

- यह झील केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan Scheme) के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) द्वारा वर्ष 2014-15 में पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिये शुरू किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- अवस्थिति:
  - यह झील जयपुर से लगभग 80 किमी. दूर पूर्व-मध्य राजस्थान में स्थित है।
- विशेषताएँ:
  - नमक झील: यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली रेंज (Aravalli Range) के गर्त को दर्शाती है।
    - मुगल वंश (1526-1857) को इस झील से नमक की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन बाद में इस झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का संयुक्त रूप से स्वामित्व हो गया था।
  - रामसर साइट: इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व' की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है।
  - आकार और गहराई:
    - इस झील का आकार सभी मौसमों में एक समान नहीं होता बल्कि मौसम-दर-मौसम बदलता रहता है। अत: इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 190 से 230 वर्ग किमी. के बीच है।
    - सांभर झील की गहराई भी इसके व्यापक खारे आर्द्रभूमि के कारण मौसम-दर- मौसम बदलती रहती है। इसकी गहराई ग्रीष्मकाल (शुष्क समय) के दौरान 60 सेमी. और मानसून के दौरान 3 मीटर तक कम हो जाती है।
  - नदियाँ: इसे छह नदियों यथा- मेड़ता, समौद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला से पानी प्राप्त होता है।

नोट :

- वनस्पति: इसके जलग्रहण क्षेत्र में मौजूद ज़्यादातर वनस्पतियाँ ज़ेरोफाइटिक (Xerophytic) प्रकार की हैं।
  - ज़ेरोफाइटिक एक प्रकार के पौधे होते हैं जिनका विकास शुष्क परिस्थितियों में अच्छे से हो सकता है।
- जीव-जंतु: आमतौर पर सांभर झील में फ्लेमिंगो (Flamingo), पेलिकन (Pelican) और जलपक्षी (Waterfowl) देखे जाते हैं।
  - इस झील में वर्ष 2019 में बॉटुलिज़्म (Botulism) के कारण लगभग 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी।
  - इस झील के पास राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020 की सर्दियों से पहले प्रवासी पक्षियों के लिये अस्थायी आश्रयों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।
- नमक का उत्पादन: यह झील देश में नमक के उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है।
- अन्य निकटवर्ती स्थान: शाकम्बरी देवी मंदिर, सांभर वन्यजीव अभयारण्य आदि।

- राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएँ:
  - सांभर झील में नए पर्यटन बिंदुओं पर वनस्पतियों, जीवों और नमक बनाने की प्रक्रिया की एक झलक दिखाई जाएगी।
  - एक "नमक ट्रेन", जिससे रिफाइनरी तक नमक पहुँचाया जाता है, को फिर से शुरू किया जाएगा।
  - इस झील के आसपास के नमक संग्रहालय, कारवां पार्क, साइकिल ट्रैक और उद्यान सहित नए स्थलों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
  - इस झील में अवैध नमक उत्पादन करने वाले अनधिकृत बोरवेल और पाइपलाइनों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जबकि पुलिस की मदद से भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

मेकिंग पीस विद नेचर: UNEP रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5) के पाँचवें सत्र से पहले 'मेकिंग पीस विद नेचर' (Making Peace with Nature) रिपोर्ट जारी की गई है।

- रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण तथा प्रदूषण तीनों स्व-स्फूर्त तौर पर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से जुड़े हैं जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये अवांछनीय जोखिम उत्पन्न करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट से प्राप्त परिणाम:

- ग्रहीयआपातस्थिति
  - जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल में आर्कटिक महासागर की बर्फ के मुक्त होने की संभावना बढ़ रही है, जिससे सागरीय परिसंचरण (Ocean Circulation) और आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र (Arctic Ecosystems) बाधित हो रहां है।
    - जलवायु परिवर्तन के कारण वनाग्नि (Wildfires) और जल तनाव में परिवर्तन आता है तथा कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता का नुकसान भूमि क्षरण और सूखे की बारंबारता के साथ जुड़ा है।
  - जैव विविधता हानि:
    - रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि अनुमानित 8 मिलियन पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से एक मिलियन से अधिक के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है।
    - कोरल रीफ (Coral Reefs) विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वार्मिंग के स्तर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी इनके द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र को 10-30% तक कम कर सकती है और यदि वार्मिंग का स्तर बढ़कर 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है तो इनके द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र 1% से भी कम होने का अनुमान लगाया गया है, जो खाद्य प्रावधान, पर्यटन और तटीय संरक्षण को जोखिम में डाल सकता है।

नोट :

- प्रदूषण:
  - प्रदूषण के कारण हर साल नौ लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है।
  - हर वर्ष 400 मिलियन टन तक भारी धातु, विलयन , विषाक्त कीचड़ और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट वैश्विक जल में प्रवेश करते समानताएँ:
  - मानव की समृद्धि व्यापक असमानताओं की उपज है, जिससे पर्यावरणीय गिरावट का बोझ गरीबों और कमज़ोर वर्ग पर अधिक पड़ता है और आज की युवा एवं भावी पीढ़ियों पर भी इसका भार देखा जाता है।
  - आर्थिक विकास में असमानता ने 1.3 बिलियन लोगों को गरीब बना दिया है।
- SDGs पर प्रदर्शन:
  - जलवायु में हुए वर्तमान और अनुमानित बदलाव, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण ने सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) को प्राप्त करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
  - विकास की वर्तमान विधा मानव कल्याण को बनाए रखने हेतु पृथ्वी की परिमित क्षमता को कम करती है।
- विभिन्न लक्ष्यों पर प्रदर्शन:
  - पर्यावरणीय क्षति को सीमित करने के मामले में समाज अपनी अधिकांश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल है।
  - निश्चित रूप से वैश्विक समाज भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality), आइची लक्ष्य (Aichi Targets) और पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है।

सुझाव

- मानव ज्ञान, सरलता/विदग्धता, प्रौद्योगिकी और सहयोग समाज तथा अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तित कर एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन की परस्पर प्रकृति, जैव विविधता की हानि, भूमि क्षरण और वायु एवं जल प्रदूषण को देखते हुए यह आवश्यक है कि एकजुट होकर इन समस्याओं से निपटा जाए।
- सरकारों को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा जलवायु परिवर्तन को सीमित करने हेतु तीव्रता से कार्रवाई करनी होगी।
- आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों को स्थिरता प्रदान करने तथा स्थानांतरित करने हेतु नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की ओर हस्तांतरण, जो कि संसाधनों का पुन: उपयोग करने, उत्सर्जन को कम करने और लाखों लोगों की मौत के लिये उत्तरदायी रसायनों तथा विषाक्त पदार्थों को समाप्त करने के साथ-साथ रोज़गार सृजन में मदद करती है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:

- 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- कार्य: इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- प्रमुख रिपोर्ट्स: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।
- प्रमुख अभियान: 'बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या)।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (The United Nations Environment Assembly- UNEA) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाय है।
- यह पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निकाय है।
- यह पर्यावरणीय सभा वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के लिये द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।

नोट :

- सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया। धातव्य है कि सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO + 20 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

कार्बन वॉच एप: चंडीगढ़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चंडीगढ़ ने 'कार्बन वॉच' नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश/राज्य बन गया है।

- कार्बन फुटप्रिंट का आशय किसी विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीनहाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से है।

प्रमुख बिंदु

एप्लीकेशन के बारे में

- यह एप्लीकेशन मुख्य तौर पर व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसमें कुल चार श्रेणियों यथा- जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन से संबंधित विवरण के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट की गणना की जाएगी।
- यह उत्सर्जन के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय औसत स्तर एवं व्यक्तिगत उत्सर्जन से संबंधित सूचना प्रदान करेगा।
- यह आम लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करने के साथ-साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीकों पर भी सुझाव देगा।
- यह लोगों को उनकी विशिष्ट जीवनशैली के कारण होने वाले उत्सर्जन, प्रभाव और उससे निपटने के लिये संभावित उपायों के बारे में भी जागरूक करेगा।

कार्बन फुटप्रिंट

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कार्बन फुटप्रिंट जीवाश्म ईंधन के कारण उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर आम लोगों की गतिविधियों के प्रभाव को मापने का एक उपाय है, इसे CO_2 उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- आमतौर पर इसे प्रतिवर्ष उत्सर्जित CO_2 (टन में) के रूप में मापा जाता है। यह एक ऐसी मात्रा है जिसके लिये CO_2 समतुल्य गैसें (मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें) पूरक के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- इस अवधारणा को किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक घटना, एक संगठन, यहाँ तक कि एक संपूर्ण राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है।

कार्बन फुटप्रिंट बनाम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट

- कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से अलग होता है। जहाँ एक ओर कार्बन फुटप्रिंट उन गैसों के उत्सर्जन को मापता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं, वहीं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 'बायो-प्रोडक्टिव स्पेस' के उपयोग को मापने पर केंद्रित है।

उच्च कार्बन फुटप्रिंट का प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन को उच्च कार्बन फुटप्रिंट का महत्त्वपूर्ण प्रभाव माना जा सकता है। ग्रीनहाउस गैसें, चाहे वे प्राकृतिक हों अथवा मानव निर्मित, पृथ्वी को और अधिक गर्म करने में योगदान देती हैं।
  - वर्ष 1990 से वर्ष 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2008 से उत्सर्जन ने विकिरण वार्मिंग में 35 प्रतिशत की वृद्धि की है।
  - विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से 2011-2020 अब तक का सबसे गर्म दशक था।
- संसाधनों का ह्रास: वनों की कटाई से लेकर एयर कंडीशनिंग के उपयोग तक अत्यधिक कार्बन फुटप्रिंट व्यापक पैमाने पर संसाधनों के ह्रास में योगदान देते हैं।

नोट :

कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उपाय

- 4A [उपयोग के लिये मना करना (Refuse) कम करना (Reduce), पुन: उपयोग (Reuse) तथा पुनर्चक्रण (Recycle)] की अवधारणा को अपनाना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, अधिक कुशलता से वाहन चलाना अथवा यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान वाहन ठीक स्थिति में रहें।
- व्यक्ति और कंपनियाँ द्वारा कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कुछ कमी की जा सकती है, उनके द्वारा खरीदे गए कार्बन क्रेडिट का उपयोग वृक्षारोपण या नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिये किया जा सकता है।
- पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन कन्वेंशनों के कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलों में और तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
  - भारत द्वारा शुरू की गई पहलों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission-NHM) की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा। इस पहल में परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता है।

- NHM पहल के तहत स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक (हाइड्रोजन) का लाभ उठाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:
  - हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन उत्पादन पर ज़ोर।
  - भारत की बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना।
    - वर्ष 2022 तक भारत के 175 GW के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को केंद्रीय बजट 2021-22 से प्रोत्साहन मिला है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास और NHM के लिये 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
    - हाइड्रोजन का उपयोग न केवल भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा, बल्कि यह जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा।
- हाइड्रोजन:
  - आवर्त सारणी पर हाइड्रोजन पहला और सबसे हल्का तत्त्व है। चूँकि हाइड्रोजन का वज़न हवा से भी कम होता है, अत: यह वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है और इसलिये यह शुद्ध रूप में बहुत कम ही पाई जाती है।
  - मानक तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन एक गैर-विषाक्त, अधातु, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणुक गैस है।
  - हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है (ऑक्सीजन के साथ दहन के दौरान)। इसका उपयोग फ्यूल सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। यह अंतरिक्षयान प्रणोदन के लिये ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
  - हाइड्रोजन के प्रकार:
    - ग्रे हाइड्रोजन:
    - भारत में होने वाले हाइड्रोजन उत्पादन में सबसे अधिक ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है।

नोट :

- इसे हाइड्रोकार्बन (जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस) से निकाला जाता है।
- उपोत्पाद: CO_2
- ब्लू हाइड्रोजन:
- जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है।
- इसके उत्पादन में उपोत्पाद को सुरक्षित रूप से संग्रहीत कर लिया जाता है अत: यह ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में बेहतर होता है।
- उपोत्पाद: CO, CO_2
- हरित हाइड्रोजन:
- इसके उत्पादन में अक्षय ऊर्जा (जैसे- सौर या पवन) का उपयोग किया जाता है।
- इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H_2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है।
- उपोत्पाद: जल, जलवाष्प।

- एशिया-प्रशांत का रुख:
  - एशिया-प्रशांत उप-महाद्वीप में जापान और दक्षिण कोरिया हाइड्रोजन नीति बनाने के मामले में पहले पायदान पर हैं।
  - वर्ष 2017 में जापान ने बुनियादी हाइड्रोजन रणनीति तैयार की, जो इस दिशा में वर्ष 2030 तक देश की कार्ययोजना निर्धारित करती है और जिसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना भी शामिल है।
  - दक्षिण कोरिया अपनी 'हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकास और हाइड्रोजन का सुरक्षित प्रबंधन अधिनियम, 2020' के तत्त्वावधान में हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा हाइड्रोजन फ्यूल सेल (Hydrogen Fuel Cell) उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रहा है।
    - दक्षिण कोरिया ने 'हाइड्रोजन का आर्थिक संवर्द्धन और सुरक्षा नियंत्रण अधिनियम' भी पारित किया है, जो तीन प्रमुख क्षेत्रों - हाइड्रोजन वाहन, चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल सेल से संबंधित है। इस कानून का उद्देश्य देश के हाइड्रोजन मूल्य निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
- भारतीय संदर्भ:
  - भारत को अपनी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रचुर प्राकृतिक तत्त्वों की उपस्थिति के कारण हरित हाइड्रोजन उत्पादन में भारी बढ़त प्राप्त है।
  - सरकार ने पूरे देश में गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया है और स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत सहित पावर ग्रिड के सुधार हेतु प्रस्ताव पेश किया है। वर्तमान ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिये इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
  - अक्षय ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और संचरण के माध्यम से भारत में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन लागत प्रभावी हो सकता है, जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देगा, बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करेगा।
- नीतिगत चुनौतियाँ:
  - उद्योगों द्वारा व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने में हरित या ब्लू हाइड्रोजन के निष्कर्षण की आर्थिक वहनीयता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
    - हाइड्रोजन के उत्पादन और दोहन में उपयोग की जाने वाली तकनीकें जैसे-कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तथा हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी आदि अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं एवं ये महँगी भी हैं। जो हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को बढ़ाती हैं।
  - एक संयंत्र के पूरा होने के बाद फ्यूल सेल के रखरखाव की लागत काफी अधिक हो सकती है।
  - ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन के व्यावसायिक उपयोग के लिये अनुसंधान व विकास , भंडारण, परिवहन एवं मांग निर्माण हेतु हाइड्रोजन के उत्पादन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे में काफी अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह:

- वर्तमान में भारत एक समायोजित दृष्टिकोण के साथ अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने, क्षमता निर्माण, संगत कानून तथा अपनी विशाल आबादी के बीच मांग उत्पन्न कर इस अवसर का लाभ उठाने के लिये एक विशिष्ट स्थान बना सकता है। इस तरह की पहल भारत को उसके पड़ोसियों और उससे भी परे हाइड्रोजन निर्यात करके सबसे पसंदीदा राष्ट्र बनने की दिशा में प्रेरित कर सकती है।

नोट :

शीतकालीन प्रदूषण पर रिपोर्ट: CSE

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट' (Centre for Science and Environment- CSE) ने एक रिपोर्ट में बताया कि 99 में से 43 शहरों में PM2.5 का स्तर बहुत खराब पाया गया है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 और 2020 की शीतकालीन वायु गुणवत्ता में तुलना की गई थी।

- PM2.5 का आशय 2.5 माइक्रोमीटर व्यास से छोटे सूक्ष्म पदार्थों से है, यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है और दृश्यता को भी कम करता है। यह एक अंत:स्रावी व्यवधान है जो इंसुलिन स्राव और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है, इस कारण यह मधुमेह का कारण बन सकता है।
- CSE नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है। यह ऐसे विषयों पर शोध करता है, जिनके लिये स्थायी और न्यायसंगत दोनों तरह के विकास की तात्कालिक आवश्यकता होती है।

प्रमुख बिंदु:

- निष्कर्ष:
  - सबसे खराब प्रदर्शन:
    - वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, विशाखापत्तनम, आगरा, नवी मुंबई और जोधपुर शामिल हैं।
    - अगर शहरों को रैंक प्रदान की जाए तो सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 23 शहर उत्तर भारत के हैं।
    - उत्तरी क्षेत्र में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है।
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन:
    - केवल 19 पंजीकृत शहरों के PM2.5 स्तर में 'पर्याप्त सुधार देखा गया। इनमें से एक चेन्नई है।
    - केवल चार शहर (सतना, मैसूर, विजयपुरा और चिक्कमंगलूरु) ऐसे हैं जो शीतकालीन मौसम के दौरान 'नेशनल 24 ऑवर स्टैंडर्ड' (60 $\mu g/m3$) से मेल खाते हैं।
    - मध्य प्रदेश में सतना और मैहर एवं कर्नाटक में मैसूर देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं।
  - चरम मौसमी स्तर:
    - 37 ऐसे शहर हैं जिनमें प्रदूषण का मौसमी औसत स्तर स्थिर या गिरता हुआ देखा गया, सर्दियों के दौरान उनके प्रदूषण स्तर में काफी वृद्धि हुई है।
    - इनमें औरंगाबाद, इंदौर, नासिक, जबलपुर, रूपनगर, भोपाल, देवास, कोच्चि, और कोझीकोड शामिल हैं।
    - उत्तर भारत में दिल्ली सहित अन्य शहरों ने विपरीत स्थिति का अनुभव किया है, अर्थात् मौसमी औसत स्तर में तो वृद्धि हुई लेकिन चरम मौसमी स्तर में गिरावट आई।
- शीतकालीन प्रदूषण में परिवर्तन का कारण:
  - लॉकडाउन और अन्य क्षेत्रीय कारक: लॉकडाउन के बाद कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया लेकिन सर्दियों में जब लॉकडाउन में काफी ढील दी गई, प्रदूषण का स्तर पूर्व कोविड-19 के स्तर पर वापस आ गया।
    - यह शहरों के प्रदूषण स्तर में स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों के महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है।
  - शांत मौसम: उत्तर भारतीय शहरों के इंडो गंगेटिक प्लेन में स्थित होने के कारण सर्दियों के दौरान यहाँ के शांत और स्थिर मौसम से दैनिक प्रदूषण में वृद्धि होती है।
    - वर्ष 2020 में गर्मियों और मानसून के महीनों के दौरान PM 2.5 का औसत स्तर लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था।
    - हालाँकि विभिन्न क्षेत्रों के कई शहरों में वर्ष 2019 की सर्दियों की तुलना मंर शीतकाल में PM2.5 की सांद्रता बढ़ी है।

नोट :

- विश्लेषण का आधार:
  - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का विश्लेषण: यह विश्लेषण CSE की वायु प्रदूषण ट्रैकर पहल का एक हिस्सा है। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वास्तविक समय आधारित आँकड़ों पर आधारित है।
  - CAAQMS के आँकड़े: यह डेटा 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 115 शहरों में विस्तृत 'निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली' (CAAQMS) के तहत 248 आधिकारिक स्टेशनों से प्राप्त किया गया है।
    - CAAQMS वायु प्रदूषण की वास्तविक समय निगरानी सुविधा प्रदान करता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर भी शामिल है, यह वर्ष भर कार्य करता है।
    - यह हवा की गति, दिशा, परिवेश का तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, सौर विकिरण, बैरोमीटर का दबाव और वर्षा गेज को शामिल करते हुए डिजिटल रूप से मौसम के अन्य आँकड़ों को भी प्रदर्शित करता है।
- महत्त्व:
  - इस रिपोर्ट में ज़ोर दिया गया कि बड़े शहरों के बजाय छोटे और तीव्रता से विकास कर रहे शहर प्रदूषण के केंद्र के रूप में उभरे हैं।
  - इस रिपोर्ट में प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों- वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्रों और अपशिष्ट प्रबंधन में त्वरित सुधार और शीतकालीन प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा वार्षिक वायु प्रदूषण को कम करने की सलाह दी गई है।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये विभिन्न पहलें:
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों हेतु वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।
  - भारत स्टेज (BS) VI मानक।
  - वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड।
  - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम।
  - राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)।
  - वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)।

सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व (Sitanadi Udanti Tiger Reserve) के कोर एरिया (Core Areas) में स्थित गाँवों में रहने वाले हज़ारों आदिवासी अपने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (Community Forest Resource Rights) को मान्यता प्रदान करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA)] के तहत सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resource-CFR) अधिकार प्रदान किये जाते हैं।
- टाइगर रिज़र्व का गठन एक कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। कोर एरिया को एक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की कानूनी स्थिति प्राप्त होती है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र में वन और गैर-वन भूमि शामिल होती है जिसे बहु-उपयोगी क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रावधान:

- FRA के बारे में:
  - वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 (Forest Rights Act -FRA, 2006) वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति (FDST) और अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFD) के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जो कि वर्षों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।

नोट :

- यह FDST और OTFD की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण हेतु शासन व्यवस्था को मज़बूत करता है।
- ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकारों (Individual Forest Rights- IFR) या सामुदायिक वन अधिकारों (Community Forest Rights- CFR) की प्रकृति और सीमा के निर्धारण हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान करती है जो FDST और OTFD दोनों को दिया जा सकता है।

- व्यक्तिगत अधिकार: इसमें स्वत: खेती और निवास का अधिकार शामिल है।
- सामुदायिक अधिकार: इसमें चराई, मत्स्य पालन और वनों में जल निकायों तक पहुँच, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) हेतु आवास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार स्थायी उपयोग आदि के लिये किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का पुन: निर्माण या संरक्षण तथा उनका प्रबंधन करना शामिल है।
- सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार: ये ग्राम की परंपरागत अथवा रूढ़िगत सीमाओं के भीतर अथवा चरवाहा समुदायों द्वारा ऋतुगत प्रयोग किये जाने वाले स्थलों परआदिवासियों तथा OTFDs के अधिकार हैं।
  - इनमें आरक्षित वन तथा आरक्षित क्षेत्र जैसे- अभयारण्य (Sanctuaries) एवं राष्ट्रीय उद्यान (National Park) शामिल हैं ।

सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व:

- स्थापना:
  - सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व वर्ष 2008-09 में अस्तित्व में आया जिसमे दो अलग-अलग रिज़र्व (उदंती और सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य) को एक साथ मिलाया गया।
- अवस्थिति: यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में स्थित है।
- पारिस्थितिक विविधता:
  - इसमें साल वन के साथ वनों में उगने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल हैं।
  - एशियाई जंगली भैंस कोर एरिया में पाई जाने वाली प्रमुख लुप्तप्राय प्रजाति है।
  - बाघ के अलावा अन्य लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों में भारतीय वुल्फ (Indian Wolf), तेंदुआ, स्लॉथ बीयर (Sloth Bear) और माउस हिरण (Mouse Deer) शामिल हैं।
- नदियाँ:
  - सीतानदी नदी का उद्गम स्थल सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य से होता है।
  - उदंती नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को कवर करती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।

छत्तीसगढ़ में अन्य टाइगर रिज़र्व:

- अचानकमार टाइगर रिज़र्व
- इंद्रावती टाइगर रिज़र्व।

स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा सेंटर फॉर एन्वायरनमेंट रिपोर्ट, 2021 (State of Environment Report, 2021) जारी की गई है।

- CSE नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक हित अनुसंधान और परामर्शकारी संगठन है, जो सतत् और न्यायसंगत विकास की वकालत करता है और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- पेंडिमिक जनरेशन
  - भारत में 375 मिलियन बच्चों (नवजात शिशुओं से लेकर 14 साल के बच्चों तक) में 'पेंडिमिक जनरेशन' की शुरूआत देखी जा सकती है, जिसके दीर्घकालीन प्रभाव हो सकते हैं। कम वज़न, स्टंटिंग (कम ऊँचाई के साथ कम उम्र) तथा शिक्षा और कार्य उत्पादकता में कमी के चलते बाल मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि:
  - कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर 500 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया जिनमें आधे से अधिक भारत के थे।
- गरीबी में अत्यधिक वृद्धि:
  - कोविड -19 ने विश्व के गरीबों को और अधिक निर्धन बना दिया है। महामारी के चलते 115 मिलियन से अधिक अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में आ सकते हैं जिनमें से अधिकांश दक्षिण एशिया में रहते हैं।
- प्रदूषण का बिगड़ता स्तर:
  - वर्ष 2009 और 2018 के मध्य भारत में वायु, जल और भूमि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, देश में 88 प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर/समूहों (Industrial Clusters) में से 35 में समग्र पर्यावरणीय गिरावट, 33 में वायु गुणवत्ता का बिगड़ता स्तर, 45 में अधिक प्रदूषित जल और 17 में भूमि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को चिह्नित किया गया है।
  - महाराष्ट्र का तारापुर सबसे प्रदूषित क्लस्टर के रूप में उभरा है।

सतत् विकास रैंकिंग के संबंध में:

- सतत् विकास के मामले में भारत 192 देशों में 117वें स्थान पर रहा जो पाकिस्तान के अलावा सभी दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पीछे था।
- सतत् विकास लक्ष्यों में राज्यों का प्रदर्शन:
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य: केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना।
  - सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य : बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश।

अन्य रिपोर्टस:

- बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट।
- शीतकालीन प्रदूषण पर रिपोर्ट: सी.एस.ई.।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल के एक अध्ययन में चेरापूंजी (मेघालय) और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पिछले 119 वर्षों के दौरान वर्षा के पैटर्न में घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई।

- मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी ज़िले का मासिनराम गाँव चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है। मासिनराम में एक वर्ष में 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
- चेरापूंजी से मासिनराम की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 81 किलोमीटर है, हालाँकि दोनों के बीच सीधी दूरी 15.2 किमी. है।

प्रमुख बिंदु;

वर्षा में कमी:

- वर्ष 1973-2019 की अवधि के दौरान वार्षिक औसत वर्षा में लगभग 0.42 मिमी. प्रति दशक की घटती प्रवृत्ति देखी गई।
  - यह सात स्टेशनों (अगरतला, चेरापूंजी, गुवाहाटी, कैलाशहर, पासीघाट, शिलॉन्ग और सिलचर) के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण था।

कारण:

- बढ़ता हुआ तापमान:
  - हिंद महासागर के तापमान में परिवर्तन का इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
    - जून 2020 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पहली जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट में उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि को इंगित किया गया था।
- मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि:
  - उपग्रह संबंधी आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में पूर्वोत्तर भारत के वानस्पतिक क्षेत्र में कमी आई है, जिसका अर्थ है कि बदलते वर्षा पैटर्न में मानवीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - कृषि का पारंपरिक तरीका जिसे झूम खेती (Shifting Cultivation) के रूप में जाना जाता है, का उपयोग अब कम हो गया है और इसे अन्य तरीकों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
    - इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। अध्ययन में मुख्य रूप से वर्ष 2006 के बाद वनस्पति आवरण में कमी और कृषि भूमि क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है।
    - इस विश्लेषण में प्रतिवर्ष वानस्पतिक क्षेत्र में 104.5 वर्ग किमी. की कमी देखी गई।
    - दूसरी ओर, वर्ष 2001-2018 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में (182.1 वर्ग किमी. प्रतिवर्ष) और शहरी एवं निर्मित/बिल्ट-अप क्षेत्र (0.3 वर्ग किमी. प्रतिवर्ष) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अध्ययन का महत्त्व:

- चूँकि उत्तर-पूर्व भारत का ज़्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है और सिंधु-गंगा के मैदानों का विस्तार है, इसलिये यह क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में बदलाव के लिये अत्यधिक संवेदनशील है।
- यह ध्यान रखना होगा कि जलवायु परिवर्तन के लक्षण चेरापूंजी में कम वर्षा जैसी घटनाओं से ही स्पष्ट होंगे।
- उत्तर-पूर्व भारत, देश के सर्वाधिक वानस्पतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें दुनिया की 18 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट शामिल हैं, जो इसकी हरियाली और जलवायु-परिवर्तन संवेदनशीलता के संदर्भ में इसके महत्त्व को दर्शाते है।

नोट :

चेरापूंजी और मासिनराम में उच्च वर्षा का कारण:

- चेरापूंजी (ऊँचाई-1313 मीटर) और मासिनराम (ऊँचाई-1401.5 मीटर) मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है।
  - मेघालय एक पहाड़ी राज्य है जिसमें कई घाटियाँ और उच्चभूमि पठार हैं।
  - पठारी क्षेत्र में ऊँचाई 150 मीटर से 1,961 मीटर के बीच होती है। इसके मध्य भाग में खासी पहाड़ियाँ हैं, जिनकी ऊँचाई सर्वाधिक है।
- चेरापूंजी-मासिनराम में वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है।
- बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्रों से गुज़रने वाली एवं बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर चलने वाली आर्द्र पवनें खासी पहाड़ियों की संकीर्ण घाटियों में प्रवाहित होती हैं, जिनका आरोहण होने के कारण संघनन की प्रक्रिया होती है, इसकी वजह से ढलान की ओर बादलों की उत्पत्ति होती है एवं अंततः वर्षा होती है।

स्थानांतरित कृषि:

- शिफ्टिंग खेती, जिसे स्थानीय रूप से 'झूम खेती' कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी समुदायों के बीच कृषि की एक व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। इस प्रथा को 'स्लैश-एंड-बर्न' एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि किसान इस भूमि को कृषि उद्देश्यों हेतु परिवर्तित करने के लिये जंगलों और वनों को जलाते हैं।
- यह कृषि भूमि को तैयार करने का एक बहुत आसान और तेज़ तरीका है।
- इसमें झाड़ियों और खरपतवारों को आसानी से हटाया जा सकता है। वहीं अपशिष्ट पदार्थों के जलने से खेती के लिये आवश्यक पोषक तत्त्व मिलते हैं।
- यह एक परिवार को भोजन, चारा, ईंधन और आजीविका प्रदान करता है और उनकी पहचान से निकटता से जुड़ा होता है।
- जंगलों और पेड़ों को काटने से मिट्टी का क्षरण होता है और यह नदियों के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है।

The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

IITs में SC और ST छात्रों की संख्या में कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सूचना के अधिकार (Right to Information- RTI) के माध्यम से एकत्रित देश के पाँच पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) से संबंधित आँकड़ों से यह संकेत मिलता है कि इन संस्थानों में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste- SC), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe- ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC) समुदाय के छात्रों की अनुमोदन दर (Acceptance Rate) काफी कम है।

- IITs में पीएचडी प्रोग्राम हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के चयन होने की संभावना सामान्य श्रेणी (General Category-SC) के उम्मीदवारों से आधी है।

प्रमुख बिंदु:

RTI आवेदनों से प्राप्त डेटा :

- अनुमोदन दर:
  - अनुमोदन दर आवेदन करने वाले प्रत्येक 100 छात्रों में से चयनित छात्रों की संख्या को संदर्भित करता है।
    - सामान्य श्रेणी के छात्रों हेतु यह दर 4% थी।
    - वही OBC छात्रों हेतु 2.7%, SC के लिये 2.16% और ST हेतु यह दर केवल 2.2% है।
  - RTI के माध्यम से प्राप्त यह डेटा ऐसे समय में आया है, जब संसद में शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तुत आँकड़े पीएचडी की सीटें भरने में IITs की विफलता को दर्शाते हैं।
    - सरकार की आरक्षण नीति के तहत SC श्रेणी से छात्रों हेतु 15% सीटें, ST श्रेणी के छात्रों के लिये 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% सीटों का आवंटन अनिवार्य है।

महत्त्व:

- IITs द्वारा अक्सर समाज के वंचित वर्ग और समुदायों के आवेदकों की कमी का हवाला दिया जाता रहा है। हालाँकि RTI से प्राप्त आँकड़े इसके काफी विपरीत हैं।
- प्रवेश लेने वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों का प्रतिशत आवेदन करने वाले छात्रों से हमेशा अधिक रहा है। हालाँकि SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों की स्थिति इसके विपरीत देखी गई है।

शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त डेटा:

- वर्ष 2015 से 2019 तक सभी IITs द्वारा दिये गए कुल प्रवेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिशत क्रमश: 9.1% तथा 2.1% था।
- केवल 23.2% सीटें OBC के आवेदकों हेतु तथा शेष 65.6% या सभी सीटों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा जनरल श्रेणी के आवेदकों के लिये आरक्षित था।

स्वीकृति दर में कमी का कारण:

- IITs के अनुसार:
  - पात्रता से संबंधित मुद्दे:
    - कुछ संस्थान सामान्य श्रेणी की भी सभी सीटें नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं।

नोट :

- आर्थिक कारण:
  - योग्य छात्र पीएचडी में शामिल होने के बजाय अच्छी नौकरियों में चले जाते हैं, क्योंकि पीएचडी और पोस्ट पीएचडी में अनिश्चितताओं के साथ आय का निम्न स्तर बना रहता है।
  - यह संभव है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्तर का पीएचडी हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर प्रभाव पड़ सकता है।

'मेरिट' का तर्क

- आरक्षण को लेकर आईआईटी प्रशासकों (IIT Administrators) और संकायों (Faculty) के मध्य लंबे समय से विरोध देखा जा रहा है, जिसे वे संस्थानों में अन्यायपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की हालिया रिपोर्ट में संकाय की भर्ती में आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
  - समिति ने अपनी सिफारिशों में मुख्य रूप से उन तर्कों को शामिल किया जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखने हेतु IITs की आवश्यकता के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने हेतु मानदंडों पर बल देते हैं।

प्रणालीगत समस्या:

- समस्या का कारण अभ्यास और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुँच भी है, जो गरीबों के लिये एक आधार निर्मित करने हेतु आवश्यक है।

आरक्षण नीति का पालन करने के लाभ:

- अन्य संस्थानों हेतु एक उदाहरण:
  - IIT को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान बने रहने देना चाहिये हालाँकि उनके कुछ सामाजिक उतरदायित्व भी हैं।
  - इन्हें अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता का स्तर प्राप्त करने हेतु अल्प विकसित समुदायों को अवसर प्रदान कर अन्य संस्थानों के समक्ष एक उदाहरण स्थापित करना चाहिये।
- विषमताओं को कम करना:
  - सकारात्मक कार्रवाई और जाति-आधारित आरक्षण समाज में असमानता को घटाने में मदद कर सकता है, वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान कर सकता है, विविधता को बढ़ावा दे सकता है और इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि समानता को बढ़ावा देने के लिये बाधाओं को दूर कर पिछली गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- शिक्षा के अवसरों में बराबरी का स्तर कायम करने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों में ही नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा SC/ST समूहों से संबंधित छात्रों की क्षमता के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण, धारणा और रूढ़ियाँ आदि बड़ी बाधाओं के रूप में हैं। नीतियों के निर्माण में इस बात की पहचान करना ज़रूरी होगा कि इस प्रकार की धारणाएँ व्यक्तियों और समूहों को किस प्रकार से जकड़ लेती हैं ताकि इनको बदलने के तरीकों के बारे में गंभीरता से विचार किया जा सके।
- जागरुक अभियानों के माध्यम से विविध मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है।

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder-ASD) से ग्रसित महाराष्ट्र की एक 12 वर्षीय लड़की ने अरब सागर को बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link) से गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई) तक सफलतापूर्वक तैरकर पार किया।

प्रमुख बिंदु:

- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में:
  - ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD) सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी, प्रतिबंधित, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टिरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाना जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है।

नोट :

- यह एक जटिल मस्तिष्क विकास विकलांगता (Brain Development Disability) है जो व्यक्ति के जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पन्न होती है।
- यह मानसिक मंदता की स्थिति नहीं है क्योंकि ऑटिज़्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखा सकते हैं। ASD के साथ व्यक्तियों में बौद्धिक कामकाज का स्तर अत्यंत परिवर्तनशील होता है, जो अत्यधिक नुकसान से लेकर श्रेष्ठ स्तर तक होता है।

- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के कारण:
  - एक बच्चे में ASD के संभवत: कई कारक होते हैं जिनमें पर्यावरण और आनुवंशिक कारक शामिल हैं।
- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के लक्षण:
  - ASD से ग्रसित बच्चों में सामाजिक संचार और सहभागिता का अभाव, सीमित रुचियों का होना तथा एक ही व्यवहार को बार-बात दोहराना आदि कुछ मुख्य लक्षण विद्यमान होते हैं।
- उपचार:
  - हालाँकि ASD का कोई इलाज़ नहीं है फिर भी इसके लक्षणों को देखते हुए उचित चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जा सकता है। इनमें लक्षणों के आधार पर मनोवैज्ञानिक सलाह, माता-पिता और अन्य देखभालकर्त्ताओं हेतु स्वास्थ्य संवर्द्धन, देखभाल, पुनर्वास सेवाओं आदि के लिये व्यवहार उपचार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।
- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के संबंध में जागरूकता हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय पहल:
  - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD), सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) ऑटिज़्म सहित विकलांग लोगों के अधिकारों से संबंधित है।
  - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ने विकलांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया जिसमें ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार भी शामिल था। इसे पहले के अधिनियम में काफी हद तक नज़रअंदाज़ किया गया था।
  - वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) द्वारा 'ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकारों के प्रबंधन हेतु व्यापक और समन्वित प्रयासों' (Comprehensive and Coordinated Efforts for the Management of Autism Spectrum Disorders) से संबंधित एक संकल्प को अपनाया गया जिसे 60 से अधिक देशों द्वारा समर्थन दिया गया।
  - वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 अप्रैल को 'विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस' (World Autism Awareness Day) के रूप में घोषित किया।

नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) के साथ 'नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़' (NAFLD) के एकीकरण को लेकर परिचालन दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- NPCDCS को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत लागू किया जा रहा है। इसे गैर-संचारी रोगों (NCD) की रोकथाम और नियंत्रण हेतु वर्ष 2010 में शुरू किया गया था।

प्रमुख बिंदु

नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ (NAFLD)

- इसका आशय फैटी लीवर के माध्यमिक कारणों जैसे- हानिकारक शराब का उपयोग, वायरल हैपेटाइटिस की अनुपस्थिति में यकृत में वसा का असामान्य संचय है।

नोट :

- फैटी लिवर की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब यकृत कोशिकाओं में बहुत अधिक वसा एकत्रित हो जाती है।

- यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह यकृत की कई अन्य बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें सामान्य नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFL- साधारण फैटी लिवर) से लेकर ज़्यादा गंभीर नॉन-अल्कोहलिक स्टेटोहैपेटाइटिस (NASH), सायरोसिस और यहाँ तक कि लिवर कैंसर आदि शामिल हैं।
  - स्टेटोहैपेटाइटिस, यकृत में वसा संचय के साथ-साथ उसमें सूजन को संदर्भित करता है।
  - सिरोसिस(Cirrhosis) यकृत रोग की जटिलता है, जिसमें यकृत कोशिकाओं की स्थायी क्षति शामिल होती है
- 'नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़' (NAFLD) भविष्य में हृदय रोगों, टाइप-2 मधुमेह और अन्य उपापचयी सिंड्रोम जैसे- उच्च रक्तचाप, मोटापा, डिस्लिपिडीमिया, ग्लूकोज़ इनटॉलेरेंस आदि के जोखिम को गंभीर रूप से बढ़ा देता है।

NAFLD के जोखिम:

- उच्च मृत्यु दर:
  - पिछले दो दशकों में NASH का वैश्विक बोझ दोगुना से अधिक हो गया है। वर्ष 1990 में NASH के कारण सिरोसिस के 40 लाख प्रचलित मामले देखने को मिले हैं, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 94 लाख हो गए।
- मोटापे और मधुमेह से ग्रसित व्यक्तियों के लिये खतरा:
  - एक अध्ययन के अनुसार, भारत की 9 से 32 प्रतिशत तक आबादी में 'नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़' (NAFLD) का प्रसार है, इसमें भी सबसे अधिक प्रसार उच्च वज़न वाले और मधुमेह या पूर्व-मधुमेह से पीड़ित लोगों में है।
- लाइलाज:
  - एक बार जब बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो इसका कोई विशिष्ट इलाज उपलब्ध नहीं है, स्वस्थ जीवन शैली और वज़न घटाने जैसे उपायों आदि के माध्यम से NAFLD के कारण होने वाली मृत्यु और रुग्णता पर कुछ हद तक काबू करने का प्रयास किया जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- विभिन्न स्तरों पर व्यावहारिक परिवर्तन, शीघ्र निदान और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित कर NAFLD को रोकने और नियंत्रित करने हेतु NPCDCS कार्यक्रम के अनुरूप रणनीति तैयार करना।
- आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat scheme) के तहत कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जाँच को बढ़ावा देना।
- 'ईट राइट इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' के साथ स्वास्थ्य निवारक/निरोधक नैदानिक इलाज (Diagnostic Cure to Preventive Health) के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 (Intensified Mission Indradhanush- IMI 3.0) योजना शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- सघन मिशन इन्द्रधनुष (IMI) 3.0 योजना के बारे में:
  - उद्देश्य:
    - सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme- UIP) के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुँचना जहाँ टीकों के वितरण का अभाव है और जिससे सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण किया जा सके, साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके ।

नोट :

- कवरेज:
  - यह टीकाकरण कार्य इस वर्ष दो चरणों में संपन्न होगा जिसे 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 250 पूर्व-चिह्नित ज़िलों/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।
  - टीकाकरण हेतु 313 ज़िलों को कम जोखिम, 152 को मध्यम जोखिम और 250 को उच्च जोखिम वाले ज़िलों में वर्गीकृत किया गया है।
  - प्रव्रजन क्षेत्रों (Migration Areas) और दूरदराज़ के क्षेत्रों में उन लभार्तियों को लक्षित किया जाएगा जो महामारी के दौरान टीके की खुराक से वंचित रह गए हैं।
- महत्त्व: यह सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में वृद्धि करेगा।

- सर्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:
  - प्रारंभ/शुरुआत:
    - भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization- EPI) के रूप में शुरू किया गया था।
    - वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य:
    - टीकाकरण कवरेज को तेज़ी से बढ़ाना।
    - सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
    - स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम (Reliable Cold Chain System) की स्थापना।
    - टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी हेतु ज़िलेवार प्रणाली की स्थापना।
    - टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
  - विश्लेषण:
    - UIP 12 वैक्सीन- रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर एवं रुग्णता को रोकती है लेकिन अतीत में यह देखा गया कि टीकाकरण कवरेज में धीमी वृद्धि रही जो वर्ष 2009 से 2013 के मध्य प्रतिवर्ष 1% की दर से ही बढ़ी।
    - टीकाकरण कवरेज में तेज़ी लाने हेतु वर्ष 2015 से पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन इन्द्रधनुष की परिकल्पना और उसका कार्यान्वयन किया गया था।

- मिशन इन्द्रधनुष:
  - उद्देश्य:
    - इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है जिनका UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं।
    - इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।
  - टीकाकरण के तहत कवर की जाने वाली बीमारियाँ:
    - मिशन इन्द्रधनुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ (Vaccine-Preventable Diseases- VPD) के खिलाफ टीकाकरण शामिल है जिनमें डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली खाँसी (Whooping Cough), टेटनस (Tetanus), पोलियो (Polio), क्षय (Tuberculosis), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis B), मैनिन्जाइटिस (Meningitis), निमोनिया (Pneumonia), हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण (Haemophilus Influenzae Type B Infections), जापानी एनसेफेलाइटिस(Japanese Encephalitis), रोटावायरस वैक्सीन (Rotavirus Vaccine), न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) और खसरा-रूबेला (Measles-Rubella) शामिल हैं।
    - हालाँकि जापानी एनसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम देश के चुनिंदा ज़िलों में किया जा रहा है।

नोट :

- सघन मिशन इन्द्रधनुष 1.0:
  - प्रारंभ:
    - इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया।
  - कवरेज:
    - MI के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इन्द्रधनुष के तहत छूट गए थे।
    - इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा ज़िलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0:
  - प्रारंभ:
    - यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (2019-20) के 25 वर्षों को चिह्नित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।
  - कवरेज:
    - इसमें 27 राज्यों के कुल 272 ज़िलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया।
    - इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम-से-कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने और स्वस्थ भारत के लिये एक चार-स्तरीय रणनीति को अपनाने की आवश्यकता के बारे में बात की, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागू करना शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

- स्वस्थ भारत के लिये चार-स्तरीय रणनीति:
  - स्वच्छ भारत अभियान, योग, गर्भवती महिलाओं बच्चों की समय पर देखभाल एवं उपचार जैसे उपायों सहित बीमारी की रोकथाम व स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना।
  - समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सस्ता और प्रभावी इलाज मुहैया कराना।
  - स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गुणवत्ता को बढ़ाना।
  - बाधाओं को दूर करने के लिये एक मिशन मोड पर काम करना, जैसे-मिशन इंद्रधनुष, जिसे देश के जनजातीय और दूरदराज़ के क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना:
  - संक्षिप्त परिचय:
    - इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।
    - इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों (अंतिम मील तक) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है।
    - देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिये एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- फंडिंग:
  - यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसके लिये लगभग 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- अवधि: 6 वर्ष।
- लक्ष्य:
  - 17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के लिये समर्थन प्रदान करना तथा सभी ज़िलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करना।

नोट :

- 602 ज़िलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में 'क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक' स्थापित करने में सहायता करना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) तथा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मज़बूत करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिये सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना।
- COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के साथ-साथ वितरण प्रणाली को मज़बूत करने और भविष्य की किसी भी महामारी से निपटने के लिये बेहतर क्षमता और योग्यता केनिर्माण में सहायता करना।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य पहलें:
  - आयुष्मान भारत कार्यक्रम।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
  - जन-औषधि योजना।

दृष्टि The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 809वें उर्स के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री की ओर से एक 'चादर' भेंट की गई।

- उर्स त्योहार राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

सूफीवाद का संक्षिप्त परिचय:

- यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो वैराग्य पर ज़ोर देता है।
- इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भौतिकता से दूर रहने पर बल दिया गया है।
- सूफीवाद में बोध की भावना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिये आत्म अनुशासन को एक आवश्यक शर्त माना जाता है।
- रूढ़िवादी मुसलमानों के विपरीत जो कि बाहरी आचरण पर ज़ोर देते हैं, सूफियों ने आंतरिक शुद्धता पर ज़ोर दिया।
- सूफी मानते हैं कि मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है।

शब्द व्युत्पत्ति:

- 'सूफी' शब्द संभवत: अरबी के 'सूफ' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'वह जो ऊन से बने कपड़े पहनता है'। इसका एक कारण यह है कि ऊनी कपड़ों को आमतौर पर फकीरों से जोड़कर देखा जाता था। इस शब्द का एक अन्य संभावित मूल 'सफा' है जिसका अरबी में अर्थ 'शुद्धता' है।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती:

- मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म वर्ष 1141-42 ई. में ईरान के सिज़िस्तान (वर्तमान सिस्तान) में हुआ था।
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 ई. में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया, जब मुहम्मद गोरी (मुईज़ुद्दीन मुहम्मद बिन साम) ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लिया था।
- आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर उनके शिक्षाप्रद प्रवचनों ने शीघ्र ही स्थानीय आबादी के साथ-साथ सुदूर इलाकों में राजाओं, रईसों, किसानों और गरीबों को आकर्षित किया।
- अजमेर में उनकी दरगाह पर मुहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, दारा शिकोह और औरंगज़ेब जैसे शासकों ने जियारत की।

चिश्ती सिलसिला (चिश्तिया):

- भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी।
- इसने ईश्वर के साथ एकात्मकता (वहदत अल-वुजुद) के सिद्धांत पर ज़ोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य शांतिप्रिय थे।
- उन्होंने सभी भौतिक वस्तुओं को ईश्वर के चिंतन से भटकाव/विकर्षण के साधन के रूप में खारिज कर दिया।
- उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ संबंधों से दूरी बनाए रखने पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने ईश्वर के नाम को ज़ोर से बोलकर और मौन रहकर (dhikr jahrī, dhikr khafī) जपने, दोनों द्वारा चिश्ती सिलसिले की आधारशिला स्थापित की।

नोट :

- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों जैसे- ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदउद्दीन गंज-ए-शकर, निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चराग आदि ने चिश्ती की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने तथा इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया।

अन्य प्रमुख सूफी सिलसिले:

- सुहरावर्दी सिलसिला (Suhrawardi Order):
  - इसकी स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावार्दी मकतूल द्वारा की गई थी।
  - चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले को मानने वालों ने सुल्तानों/राज्य के संरक्षण/अनुदान को स्वीकार किया।
- नक्शबंदी सिलसिला:
  - इसकी स्थापना ख्वाजा बहा-उल-दीन नक्सबंद द्वारा की गई थी।
  - भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी।
  - शुरुआत से ही इस सिलसिले के फकीरों ने शरियत के पालन पर ज़ोर दिया।
- क़दिरिया सिलसिला:
  - यह पंजाब में लोकप्रिय था।
  - इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर गिलानी द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी ।
  - वे अकबर के अधीन मुगलों के समर्थक थे।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

अर्जुन मेन बैटल टैंक 'MK-1A'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित 'अर्जुन मेन बैटल टैंक' (MBT) 'MK-1A' भारतीय सेना को सौंप दिया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- लॉन्च: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 'अर्जुन मेन बैटल टैंक' परियोजना की शुरुआत वर्ष 1972 में की गई थी तथा लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (CVRDE) को इसकी प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया था।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य बेहतर फायर पावर, उच्च गतिशीलता और उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ एक अत्याधुनिक टैंक बनाना है।

अर्जुन टैंक की विशेषताएँ

- 'अर्जुन मेन बैटल टैंक' में स्वदेशी रूप से विकसित 120mm राइफल और आर्मर पियर्सिंग फिन-स्टैबिलाइज़्ड डिस्कर्रिंग सबोट (FSAPDS) युद्धोपकरण शामिल हैं।
  - FSAPDS प्रत्यक्ष शूटिंग रेंज में सभी ज्ञात टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है।
- इसमें एक कंप्यूटर-नियंत्रित एकीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली भी है।
- अर्जुन टैंक में गौण युद्धक हथियारों में एंटी-पर्सोनल लक्ष्यों (सॉफ्ट लक्ष्य यानी अपेक्षाकृत कम सुरक्षित लक्ष्य) के लिये 7.62mm मशीन गन और एंटी-एयरक्राफ्ट तथा ज़मीनी लक्ष्यों के लिये 12.7mm मशीन गन का प्रयोग किया गया है।

Mk1A और MkII

- अर्जुन 'Mk1' के विकास के बाद इसके उन्नत संस्करण यथा- 'Mk1A' तथा 'MkII का विकास किया गया है।
- अर्जुन 'Mk1', जिसमें बेहतर मारक क्षमता और ट्रांसमिशन सिस्टम शामिल है, ने वर्ष 2019 में अपना अंतिम एकीकरण परीक्षण पूरा किया था और इसके उत्पादन के लिये मंज़ूरी दे दी गई है।
- अर्जुन 'MkII' इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर और हाई-पावर लेज़र के साथ एक हल्के वज़न वाला फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक (FMBT) है।

'Mk1A' की विशेषता

- 'Mk1A' संस्करण में पूर्व के संस्करण पर 14 प्रमुख अपग्रेड विशेषताएँ शामिल हैं। डिज़ाइन के अनुसार, इसमें मिसाइल फायरिंग क्षमता भी मौजूद है।
- हालाँकि सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस नवीनतम संस्करण में 54.3 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जबकि पूर्व के संस्करण में 41 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया था।
- नव विकसित 'कंचन' मॉड्यूलर आर्मर, इस टैंक को सभी प्रकार के टैंक-रोधी युद्धोपकारणों से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - 'कंचन' का निर्माण 'डिफेंस मेटैलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी' (DMRL)- एक DRDO प्रयोगशाला द्वारा किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रयोगशाला है।

नोट :

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- DRDO भारत के लिये एक विश्व स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी प्रणाली एवं समाधान प्रस्तुत कर भारत के सशस्त्र बलों को निर्णायक बढ़त प्रदान करना है।
- DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDEs) तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (DTDP) के संयोजन के बाद की गई थी।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

अरुणाचल सीमा पर अवसंरचना विकास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में महत्त्वपूर्ण अवसंरचना विकास के लिये 1,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की मंज़ूरी दी है।

- सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने 'भारत-चीन सीमा सड़क' (ICBR) योजना के चरण II के तहत 32 सड़कों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
- इससे पूर्व सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक नीति का पालन किया जा रहा था और चीन की सीमा के साथ लगे क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- अरुणाचल प्रदेश में महत्त्वपूर्ण अवसंरचना विकास
  - अधिकांश परियोजनाओं की शुरुआत अरुणाचल के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्से में चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में चलाई जा रही है।
  - इसके तहत 598 किलोमीटर लंबी सड़कों और 18 फुट-ट्रैक्स के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
    - यह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की क्षमता में वृद्धि करेगा। इन ट्रैक्स का उपयोग सेना द्वारा सैनिकों और आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिये मुख्य सीमा सड़कों के पूरक के रूप में किया जा सकता है।
- भारत-चीन सीमा सड़क योजना
  - इस योजना का पहला चरण वर्ष 2005 में तब शुरू किया गया था, जब गृह मंत्रालय ने चीन से लगे क्षेत्रों में 912 करोड़ रुपए की लागत के साथ 608 किलोमीटर लंबी कुल 27 सड़कों का निर्माण करने और सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा 14 सड़कों का निर्माण किये जाने की योजना बनाई गई थी।
    - कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में लद्दाख की दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क और रोहतांग सुरंग तथा पूर्वोत्तर मे सेला सुरंग शामिल हैं।
  - भारत-चीन सीमा सड़क योजना के दूसरे चरण के तहत कुल 12,434.90 करोड़ रुपए की लागत से 638.12 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेंगी।
- अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास सड़कों का महत्त्व
  - अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसके बाद म्याँमार और भूटान का स्थान है।
    - इसके अलावा चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में मान्यता देता है।
  - सीमा क्षेत्रों में उचित संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव न केवल स्थानीय आबादी को प्रभावित करता है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चिंता का एक प्रमुख कारण है।
  - उत्तर-पूर्व में उग्रवाद, तस्करी और अवैध प्रवासन भी सीमा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
  - अतिक्रमण: चीन ने अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों सहित नए गाँवों और सड़क नेटवर्क की स्थापना में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

नोट :

- अन्य संबंधित कदम
  - भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) का 10 प्रतिशत फंड केवल चीन की सीमा के साथ लगे क्षेत्रों की बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिये खर्च किया जाएगा।
  - सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण किया है।
    - यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है।
  - रक्षा मंत्री ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में नेचिपु में एक सुरंग की आधारशिला रखी है।
  - अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में 10 जनगणना शहरों (Census Towns) के चयन की सिफारिश की है।
  - वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल (Sisseri River Bridge) का उद्घाटन किया गया था, जो दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है।
  - वर्ष 2019 में भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गाँव-विजयनगर (चांगलांग ज़िले) में पुनर्निर्मित हवाई पट्टी का उद्घाटन किया।
  - वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नए 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स' (IBG) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में 'हिमविजय' (HimVijay) अभ्यास किया था।
  - बोगीबील पुल जो भारत का सबसे लंबा सड़क-रेल पुल है, असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।

The Vision

नोट :

चर्चा में

थार मरुस्थल

पाकिस्तानी सेना थार मरुस्थल में एक महीने का सैन्याभ्यास 'जिदर-उल-हदीद' (Jidar-ul-Hadeed) का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य दुर्गम मरुस्थलीय वातावरण में संघर्ष के लिये तैयार होना है।

- पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 'अमन -2021' भी अरब सागर में प्रारंभ हो गया है। इस अभ्यास में अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की सहित 45 देश हिस्सा लेंगे।

प्रमुख बिंदु:

नाम:

- थार नाम 'थुल' से लिया गया है जो कि इस क्षेत्र में रेत की लकीरों के लिये प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है।

अवस्थिति:

- यह उत्तर-पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तृत है।

सामान्य जानकारी:

- थार रेगिस्तान एक शुष्क क्षेत्र है जो 2,00,000 वर्ग किमी. में फैला हुआ है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है।
- इसकी सतह पर वातोढ़ (पवन द्वारा एकत्रित) रेत पाई जाती है जो पिछले 1.8 मिलियन वर्षों में जमा हुई है।
- मरुस्थल में तरंगित सतह होती है, जिसमें रेतीले मैदानों और बंजर पहाड़ियों या बालू के मैदानों द्वारा अलग किये गए उच्च और निम्न रेत के टीले (जिन्हें टिब्बा कहते हैं) होते हैं, जो आसपास के मैदानों में अचानक वृद्धि करते हैं।
  - टिब्बा गतिशील होते हैं और अलग-अलग आकार एवं आकृति ग्रहण करते हैं।
  - 'बरचन' जिसे 'बरखान' भी कहते हैं, मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्द्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले हैं। सबसे आम प्रकार के बालुका स्तूपों में से एक यह आकृति दुनिया भर के रेगिस्तानों में उपस्थित होती है।

आस-पास का क्षेत्र:

- यह पश्चिम में सिंधु नदी के सिंचित मैदान, उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण-पूर्व में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा है।

जलवायु:

- उपोष्ण-कटिबंधीय रेगिस्तान की जलवायु संबंधित अक्षांश पर लगातार उच्च दबाव और अवतलन के परिणामस्वरूप निर्मित होती है।
  - प्रचलित दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ जो गर्मियों में उपमहाद्वीप के बहुत से क्षेत्रों में वर्षा के लिये उत्तरदायी हैं, पूर्व की ओर स्थित थार मरुस्थल में वर्षा नही करती हैं।

लवणीय झील:

- कई 'प्लाया' (खारे पानी की झीलें), जिन्हें स्थानीय रूप से 'धंड' के रूप में जाना जाता है, पूरे क्षेत्र में विस्तृत हैं।

वनस्पति और जीव:

- इस क्षेत्र में कैक्टस, नीम, खेजड़ी, अकेसिया नीलोटिका (Acacia Nilotica) जैसे जड़ी-बूटी के पौधे पाए जाते हैं। ये सभी पौधे खुद को उच्च या निम्न तापमान और कठिन जलवायु परिस्थितियों में समायोजित कर सकते हैं।

नोट :

- इस मरुस्थल में तेंदुए, एशियाई जंगली बिल्ली (Felis silvestris Ornata), चाउसिंघा (Tetracerus Quadricornis), चिंकारा (Gazella Bennettii), बंगाली रेगिस्तानी लोमड़ी (Vulpes bengalensis), ब्लैकबक (Antelope) और सरीसृप की कई प्रजातियाँ निवास करती हैं।

करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा

हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टीसीमिया (HS) के कारण छह हाथियों की मौत हो गई।

प्रमुख बिंदु:

हेमरिज सेप्टीसीमिया (HS)

- संक्षिप्त परिचय:
  - यह बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो 'पाश्चरेला मल्टोसिडा' (Pasteurella Multocida) नामक एक संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आते हैं।
  - इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो सकता है।
- प्रभावित/संक्रमित पशु:
  - यह बीमारी मुख्य रूप से भैंस, मवेशी और बाइसन को प्रभावित करती है तथा इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में मृत्यु दर काफी अधिक होती है।
  - हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा में इस बीमारी के कारण लगभग 40 भैंसों की मृत्यु हो गई थी।
- मौसम:
  - यह बीमारी आमतौर पर मानसून से पहले और बाद की अवधि में फैलती है।

करलापट वन्यजीव अभयारण्य (Karlapat Wildlife Sanctuary):

- अवस्थिति: यह ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- वनस्पति: शुष्क पर्णपाती वन।
- प्रणिजात:
  - स्तनधारी: हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, काकड़-हिरण, भारतीय भेड़िया, मालबार विशाल गिलहरी, पैंगोलिन आदि।
  - पक्षी: मोर, हॉर्नबिल, लाल जंगली मुर्गा आदि।
  - सरीसृप: मगर, घडियाल, मॉनिटर लिज़र्ड आदि।
- वनस्पतिजात: साल, बीजा, बाँस, औषधीय पौधे आदि।
- जल निकाय: फुरलीझरन झरना अभयारण्य के भीतर स्थित है।

ओडिशा के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:

- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks):
  - भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान (Bhitarkanika National Park): इस उद्यान में देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है।
  - सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान: इस उद्यान का नाम सेमल या लाल रेशमी कपास के पेड़ों से प्रेरित है जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं।
- वन्यजीव अभयारण्य:
  - बदरमा वन्यजीव अभयारण्य: यह आर्द्र साल वनों की उपस्थिति के लिये जाना जाता है।

नोट :

- चिलिका (नलबण) वन्यजीव अभयारण्य: चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
- हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: सालंदी नदी इस अभयारण्य से होकर गुज़रती है।
- बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य: यह बाघों, तेंदुओं, हाथियों और कुछ शाकाहारी जानवरों जैसे-चौसिंगा की एक महत्त्वपूर्ण संख्या के साथ बड़ी मात्रा में साल (Sal) वन से आच्छादित है।
- कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: इसमें घास के मैदानों के साथ घने पर्णपाती वन भी हैं।
- नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य: यह विश्व में सफेद बाघ (White Tiger) और मैलेनिस्टिक टाइगर (Melanistic Tiger) का सबसे पहला प्रजनन केंद्र है।
- लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य: लखारी घाटी अभयारण्य हाथियों की एक बड़ी संख्या का निवास स्थान है।
- गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य: यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा सामूहिक प्रजनन केंद्र और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। ओलिव रिडले कछुए गहिरमाथा के तट पर प्रजनन के लिये दक्षिण प्रशांत की यात्रा कर यहाँ आते हैं।

संदेश:गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने 'व्हाट्सएप' की तर्ज पर 'संदेश' (Sandes) नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्त्वावधान में यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को नेटवर्क और ई-गवर्नेंस में सहायता प्रदान करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है।

प्रमुख बिंदु

'संदेश' एप

- परिचय
  - यह एक 'गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम' (GIMS) है, जिसे किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपयोगकर्त्ता द्वारा वैध मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी के माध्यम से आधिकारिक या आकस्मिक स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- विशेषता
  - इस एप में ग्रुप बनाने, संदेश भेजने, मैसेज फॉरवर्ड करने और इमोजीज़ जैसी तमाम सुविधाएँ मौजूद हैं।
  - हालाँकि दो प्लेटफॉर्म्स के बीच चैट हिस्ट्री को स्थानांतरित करने का कोई विकल्प नहीं है, किंतु 'संदेश' एप पर किये गए चैट का बैकअप उपयोगकर्त्ताओं के ईमेल पर लिया जा सकता है।
  - यदि उपयोगकर्त्ता एप पर अपने पंजीकृत ईमेल आईडी या फोन नंबर को बदलना चाहते हैं तो उन्हें नए उपयोगकर्त्ता के तौर पर पुन: पंजीकरण करना होगा।
  - इस एप के तहत उपयोगकर्त्ता को किसी भी संदेश को 'गोपनीय' संदेश के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी गई है, जिससे प्राप्तकर्त्ता उस संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने में सक्षम नहीं होगा।

महत्त्व

- सुरक्षित संचार
  - बीते वर्ष अप्रैल माह में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Cert-In) और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु आधिकारिक संचार के लिये ज़ूम (Zoom) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने से बचने के लिये एक सलाह जारी की थी।

नोट :

- स्वदेशी उत्पाद
  - यह एप भारत निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है, ताकि स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

महाराजा सुहेलदेव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक और उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में चित्तौरा झील के विकास कार्य का शिलान्यास किया है।

प्रमुख बिंदु

महाराजा सुहेलदेव के बारे में

- वे बहराइच ज़िले (उत्तर प्रदेश) के श्रावस्ती के पूर्व शासक थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था।
- उन्हें इतिहास में महमूद गज़नवी की विशाल सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने के लिये जाना जाता है।
- महाराजा सुहेलदेव, सोमनाथ मंदिर में महमूद गज़नवी द्वारा की गई लूट और हिंसा से काफी व्यथित थे, जिसके बाद उन्होंने गज़नवी के आक्रमण को रोकने के लिये थारू और बंजारा जैसे विभिन्न समुदायों के प्रमुखों और अन्य छोटे-छोटे राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया।
  - उनकी संयुक्त सेना ने बहराइच में महमूद गज़नवी के भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराया था।
- महाराजा सुहेलदेव का उल्लेख 'मिरात-ए-मसूदी' में भी है, जो कि 17वीं शताब्दी का फारसी-भाषा का एक ऐतिहासिक वृत्तांत है।
  - 'मिरात-ए-मसूदी' सालार मसूद गाजी की जीवनी है, जिसे मुगल सम्राट जहाँगीर के शासनकाल के दौरान 'अब्द-उर-रहमान चिश्ती' ने लिखा था।

चित्तौरा झील

- चित्तौरा झील, उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में चित्तौड़ गाँव के पास स्थित है।
- झील से निकलने वाली 'तेरी नदी' (Teri Nadi) नामक छोटी से नदी कई प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान मानी जाती है।
- हिंदू तीर्थ स्थल होने के नाते, कार्तिक पूर्णिमा और वसंत पंचमी के दिन इस झील के पास कई मेले लगते हैं।
- यहाँ एक आश्रम भी है, जहाँ मुनि अष्टावक्र निवास करते थे और यह स्थल वर्ष 1033 में सालार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव के बीच हुए युद्ध का भी साक्षी है।
- यहाँ राजा सुहेलदेव की प्रतिमा वाला एक मंदिर है और देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर भी है।

सीउलैकैंथ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं के एक समूह ने 'कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ' (Coelacanth) नामक विशाल मछली के जीवाश्मों की खोज की है, जिसे 'जीवित जीवाश्म' का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है।

- माना जाता है कि कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ तकरीबन 66 मिलियन वर्ष पुरानी है और क्रेटेशियस युग से संबंधित है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

परिचय

- 'कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ' समुद्र की सतह से 2,300 फीट नीचे गहराई में निवास करने वाला एक जीव है।
- माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले ये डायनासोर के साथ विलुप्त हो गए थे। वर्ष 1938 में इसकी खोज के साथ इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी कि ये लोब-फिन मछलियाँ किस प्रकार स्थलीय जानवरों के विकास के क्रम में उपयुक्त पाई जाती हैं।

दो प्रजातियाँ:

- 'कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ' की अब तक केवल दो ज्ञात प्रजातियाँ मौजूद हैं: पहली प्रजाति अफ्रीका के पूर्वी तट के कोमोरोस द्वीप समूह के पास और दूसरी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाई जाती है।

जीवित जीवाश्म:

- जीवित जीवाश्म ऐसे जीव होते हैं, जो प्रारंभिक भूगर्भीय काल से अपरिवर्तित रहे हैं और जिनके करीबी संबंधी जीव प्राय: विलुप्त हो चुके हैं। कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ के अलावा हॉर्सशू क्रैब और जिन्कगो वृक्ष भी जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं।
- हालाँकि एक नए अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ ने 10 मिलियन वर्ष पूर्व अन्य प्रजातियों के साथ मिलकर 62 नए जीन प्राप्त किये थे।
  - इससे पता चलता है कि वे वास्तव में विकास कर रहे हैं, हालाँकि विकास की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीमी है।

संरक्षण स्थिति

- IUCN स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)।
  - सुलावेसी कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ को 'सुभेद्य' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- CITES स्थिति: परिशिष्ट I

न्यूयॉर्क कन्वेंशन

हाल ही में केयर्न एनर्जी ने अमेरिका की एक ज़िला अदालत में न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत भारत के विरुद्ध 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक मध्यस्थता निर्णय को लागू करने के लिये मामला दायर किया है।

प्रमुख बिंदु

न्यूयॉर्क कन्वेंशन

- 'कन्वेंशन ऑन रिकॉगनिशन एंड एन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स' जिसे 'न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन' अथवा 'न्यूयॉर्क कन्वेंशन' के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रमुख उपकरणों में से एक है।
  - मध्यस्थता का आशय एक ऐसी प्रकिया से है, जिसके तहत समझौते के माध्यम से कोई विवाद एक या एक से अधिक मध्यस्थों (एक स्वतंत्र व्यक्ति/निकाय) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर मध्यस्थ बाध्यकारी निर्णय लेते हैं।
- इस कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा मई और जून 1958 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन के बाद अपनाया गया था और यह 7 जून, 1959 को लागू हुआ था।

कन्वेंशन के सदस्य

- वर्तमान में इस कन्वेंशन में कुल 166 देश शामिल हैं।
- भारत भी इस कन्वेंशन का हिस्सा है।

नोट :

उद्देश्य

- कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी और गैर-घरेलू मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को लागू करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।
- कन्वेंशन सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य करता है कि वे मध्यस्थता संबंधी सभी विदेशी निर्णयों को मान्यता दें और अपने अधिकार क्षेत्र में घरेलू निर्णयों की तरह ही विदेशी निर्णयों को भी लागू करें।
- यह सदस्य देशों को वैध मध्यस्थता समझौतों को बनाए रखने और जिन मामलों को अनुबंध के तहत मध्यस्थता से हल करने को लेकर पक्षों ने सहमति व्यक्ति की है, उन पर अदालती कार्यवाही न शुरू करने को अनिवार्य बनाता है।
  - कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश इस बात पर सहमत होते हैं कि वहाँ की अदालतें सभी पक्षों द्वारा मध्यस्थता के लिये किये गए समझौतों का सम्मान करेंगी और उन्हें लागू करेंगी, साथ ही वे देश अपने अधिकार क्षेत्र में मध्यस्थता से संबंधित किसी भी निर्णय को मान्यता देंगे और उसे लागू करेंगे।

मंदारिन बतख

हाल ही में असम के तिनसुकिया ज़िले में मगुरी-मोटापुंग बील में एक सदी के बाद मंदारिन बतख (Mandarin Duck) देखी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिक नाम: एक्स गलेरीक्युलेटा (Aix galericulata)
- खोज:
  - मंदारिन बतख की पहचान सबसे पहले वर्ष 1758 में स्वीडिश वनस्पतिशास्त्री, चिकित्सक और प्राणी विज्ञानी कार्ल लिनिअस (Carl Linnaeus) ने की थी।
- विशेषताएँ:
  - इसे दुनिया की सबसे सुंदर बतख माना जाता है।
  - नर मंदारिन की पीठ और गर्दन के पास विस्तृत नारंगी, रंगीन पंख होते हैं। नर मंदारिन अत्यधिक सुंदर होता है। मादा बतख नर मंदारिन की तुलना में कम सुंदर होती है, मादा मंदारिन के सिर का रंग 'ग्रे', भूरी पीठ और सफेद आँखें होती हैं।
- भोजन:
  - ये पक्षी बीज, बलूत, छोटे फल, कीड़े, घोंघे और छोटी मछलियों को खा सकते हैं।
- आवास:
  - ये पक्षी नदियों, धाराओं, पंक, कच्छ भूमि और मीठे पानी की झीलों सहित आर्द्रभूमि के समीप समशीतोष्ण वनों में निवास करते हैं।
  - यह पक्षी पूर्वी एशिया का मूल निवासी है लेकिन पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी पाया जाता है।
    - यह रूस, कोरिया, जापान और चीन के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में प्रजनन करती है।
- भारत में उपस्थिति:
  - ये बतख कभी-कभी ही भारत में आते हैं क्योंकि भारत उनके प्रवास मार्ग में नहीं आता है।
  - इस पक्षी को वर्ष 1902 में तिनसुकिया (असम) में रोंगागोरा क्षेत्र में डिब्रू नदी में देखा गया था।
  - इस बतख को वर्ष 2013 में मणिपुर की लोकटक झील में देखा गया तथा वर्ष 2014 में असम के बक्सा ज़िले में स्थित टाइगर रिज़र्व और मानस नेशनल पार्क में स्थित सातावोनी बील में देखा गया।
- IUCN रेड लिस्ट: कम संकटग्रस्त
- मगुरी-मोटापुंग बील
  - मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा घोषित एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो ऊपरी असम में डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के करीब स्थित है।

नोट :

- मई 2020 में 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' के स्वामित्व वाले गैस कुएँ में विस्फोट और आग के कारण इस बील पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
  - इस वजह से हुए तेल के फैलाव से कई मछलियों, साँपों के साथ-साथ लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु के मामले सामने आए।

विश्व का सबसे छोटा सरीसृप

वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पृथ्वी पर अब तक के सबसे छोटे सरीसृप की खोज की है। यह गिरगिट की एक उप-प्रजाति है जो कि बीज के आकार के बराबर है।

- मेडागास्कर में जर्मन-मेडागास्कन शोध दल द्वारा दो छोटी छिपकलियों की खोज की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

शोध के बारे में:

- इस दल ने वर्ष 2012 में एक अभियान के दौरान इस प्रजाति के एक नर और मादा को खोजा, इसे 'ब्रुकेशिया नाना' (Brookesia Nana) के नाम से जाना जाता है।
- नर 'ब्रुकेशिया नाना' या नैनो-गिरगिट का शरीर सिर्फ 13.5 मिमी. का होता है। सिर से पूँछ तक इसकी लंबाई 22 मिमी. होती है, जबकि मादा लगभग 29 मिमी. से अधिक बड़ी होती है।
- म्यूनिख के 'बवेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ ज़ूलॉज़ी' के अनुसार, नैनो-गिरगिट सरीसृपों की लगभग 11,500 ज्ञात प्रजातियों में यह प्रजाति सबसे छोटी है।
  - इससे पहले गिरगिट प्रजाति 'ब्रुकेशिया माइक्रा' को सबसे छोटा माना जाता था। इस प्रजाति के वयस्कों की औसत लंबाई 16 मिमी. (पूँछ के साथ 29 मिमी.) है, जबकि सबसे छोटे वयस्क नर की लंबाई 15.3 मिमी. दर्ज की गई है।
  - सबसे लंबा 'रेटिकुलेटेड पायथन' (Reticulated Python) जो कि लगभग 6.25 मीटर लंबा होता है, लगभग 289 ब्रुकेशिया नाना की लंबाई के बराबर होता है।
- यह नया गिरगिट केवल उत्तरी मेडागास्कर में एक निम्नीकृत पर्वतीय वर्षावन में पाया जाता है और इसके विलुप्त होने का खतरा भी है।
  - नैनो गिरगिटों को पहले वनोन्मूलन की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके आवास अब संरक्षित हैं।
- अपनी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि इस गिरगिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिये, जो इसकी और इसके निवास स्थान की सुरक्षा में मदद करेगा।

गिरगिट:

- गिरगिट 'कैमिलिओनिडाए' (Chamaeleonidae) परिवार का एक जीव है, जून 2015 में वर्णित एक तथ्य के अनुसार, यह 202 प्रजातियों के साथ 'ओल्ड वर्ल्ड लिज़ार्ड' का एक अद्वितीय और अत्यधिक विशिष्ट वंश है।
- गिरगिट आरोहण और दृश्य शिकार (Visual Hunting) के अनुकूल होते हैं। वे गर्म आवासों में रहते हैं जो कि वर्षावन से लेकर मरुस्थलों में पाए जाते हैं। वे शरीर का रंग बदलने की क्षमता के लिये जाने जाते हैं।
- भारतीय गिरगिट भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है।

हैदराबाद: '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड'

'आर्बर डे फाउंडेशन' और संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organisation- FAO) द्वारा हैदराबाद शहर (तेलंगाना की राजधानी) को '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता दी गई है।

- हैदराबाद ने आर्बर डे फाउंडेशन के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम में दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है।
  - इसमें अधिकांश शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हैं।
- हैदराबाद यह मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

'ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम:

- यह ऐसे शहरों और कस्बों को इस प्रकार की मान्यता देने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं कि उनमें स्थित 'अर्बन फॉरेस्ट्स' और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाए एवं लगातार उनका प्रबंधन किया जाए।
- इटली के मंटोवा में वर्ष 2018 के 'वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट्स' में वैश्विक नेताओं ने 'मंटोवा ग्रीन सिटीज़ चैलेंज' और एक 'कॉल-फॉर-एक्शन' जारी किया। इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग 'ट्री प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम' में शामिल होना भी था।
  - यह कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर वृक्षों और वनों के प्रबंधन के लिये सबसे सफल दृष्टिकोण को साझा करने और उसे अपनाने हेतु एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर के शहरों को जोड़ने का प्रयास करता है।
- शामिल संगठन:
  - यह कार्यक्रम 'आर्बर डे फाउंडेशन' और FAO की सहभागिता से चलाया जा रहा है।
- मूल्यांकन हेतु 5 मानक:
  - इसके अंतर्गत एक शहर का मूल्यांकन पाँच मानकों पर किया जाता है - उत्तरदायित्त्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना।

हैदराबाद को मान्यता:

- हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे उसके 'हरिता हरम कार्यक्रम' और 'अर्बन फॉरेस्ट्स पार्कों' के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा देने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिये चयनित किया गया है।
- हरिता हरम कार्यक्रम
  - लक्ष्य: यह राज्य के हरित क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्र के वर्तमान 25.16 से 33% तक बढ़ाने के लिये तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - उद्देश्य: इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नीकृत वनों का कायाकल्प करना, वनों को अतिक्रमण, आग, पशुचारण से बचाना और अधिक प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बहु-आयामी दृष्टिकोण से उनका संरक्षण किया जाना है।
  - अर्बन फॉरेस्ट पार्क (UFP): इस कार्यक्रम के तहत शहरों और आसपास के वनखंडों को UFP में विकसित किया गया है।
    - ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क न केवल स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, बल्कि राज्य में स्मार्ट, स्वच्छ, हरे, टिकाऊ और संपन्न शहरों के विकास में भी योगदान देंगे।

आर्बर डे फाउंडेशन

- आर्बर डे फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संरक्षण और शिक्षा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन रोसेनो द्वारा की गई थी।
- यह वृक्षारोपण के लिये समर्पित सबसे बड़ा गैर-लाभकारी सदस्य संगठन है।
- इसका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और वर्तमान में हमारे सामने आने वाले कई वैश्विक समस्याओं जैसे- वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, बदलती जलवायु, वनों की कटाई, गरीबी आदि के समाधान के रूप में वृक्षों की उपयोगिता सिद्ध करना।

नाथूला

हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर नाथूला में बर्फबारी में फँसे कई पर्यटकों को बचाया।

प्रमुख बिंदु:

- नाथूला जो कि दुनिया की सबसे ऊँची सड़कों में से एक है, समुद्र तल से 14450 फीट ऊपर भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है।

नोट :

- नाथू का अर्थ है 'कानों से सुनना', और ला का अर्थ है 'दर्रा'।
- यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा पोस्ट है।
- सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे हैं- जेलेप ला दर्रा, डोंकिया दर्रा, चिवाभंजंग दर्रा।

दर्रा	किससे-किसको जोड़ता है ?/विशेषताएँ
1. बनिहाल दर्रा	कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ।
2. बारा-लाचा-ला दर्रा	हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह ज़िले से।
3. फोटू-ला दर्रा	लेह को कारगिल से।
4. रोहतांग दर्रा	कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से।
5. शिपकी ला दर्रा	हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से।
6. जेलेप ला दर्रा	सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से।
7. नाथू ला दर्रा	सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से।
8. लिपूलेख दर्रा	भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से। यह उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई-जंक्शन पर स्थित है।
9. खार्दुंग ला	लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से। यह विश्व का सबसे ऊँचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है।
10. बोम-डि-ला दर्रा	यह अरुणाचल प्रदेश में है।

एपिलेप्सी

हाल ही में एक प्रमुख दवा निर्माता ने 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient- API) तैयार करके एपिलेप्सी (Epilepsy) के लिये एक दवा 'ब्रिवानेक्स्ट' (Brivanext) की खुराक तैयार की है।

प्रमुख बिंदु:

- एपिलेप्सी
  - एपिलेप्सी (मिर्गी) एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Neurological) संबंधी विकार है, इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएँ और कभी-कभी अभिज्ञता संबंधी हानि होती है।
  - एपिलेप्सी चौथा सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है।
  - हालाँकि कोई भी एपिलेप्सी से ग्रसित हो सकता है परंतु यह छोटे बच्चों और वयस्कों तथा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ा अधिक देखा जाता है।
- लक्षण:
  - स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण या स्पर्श में परिवर्तन आना, चक्कर आना, अंगों में सिहरन उत्पन्न होना, एकटक घूरना, एक ही कार्य को बार-बार करना।
  - इसमें जागरूकता या चेतना की हानि शामिल हो भी सकती है या नहीं भी।
- उपचार:
  - एपिलेप्सी का कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस विकार को दवाओं और अन्य रणनीतियों के साथ प्रबंधित किया जा सकता है।
  - जागरूकता बढ़ाने हेतु पहल: वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक रिपोर्ट 'एपिलेप्सी अ पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव' जारी की गई।
    - यह एपिलेप्सी पर उपलब्ध सबूतों और वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं का संक्षेपण करते हुए प्रस्तुत की गई एपिलेप्सी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट है।

नोट :

सक्रिय दवा सामग्री (APIs):

- APIs, जिसे बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है, दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। चीन का हुबेई प्रांत APIs विनिर्माण उद्योग का केंद्र है।
- भारत APIs के अत्यधिक आयात के लिये चीन पर निर्भर है। भारत का APIs आयात प्रतिवर्ष लगभग 3.5 बिलियन डॉलर है और यह कुल आयात के लगभग 70% (2.5 बिलियन डॉलर) के लिये चीन पर निर्भर है।

सिल्वर एंटिमनी टेल्युराइड: अपशिष्ट ऊष्मा के दोहन हेतु एक पदार्थ

बंगलूरू स्थित 'जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च' (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research) के वैज्ञानिकों ने एक नए पदार्थ सिल्वर एंटिमनी टेल्युराइड ($AgSbTe_2$) की खोज की है जो सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट ऊष्मा का दोहन करने में मदद कर सकता है और अन्य उपयोगी कार्यों को पूरा करने के लिये भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

- मूल रूप से यह पदार्थ थर्मो-इलेक्ट्रिक प्रभाव के लाभों का उपयोग करेगा। थर्मो-इलेक्ट्रिक प्रभाव में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसके द्वारा ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- परंपरागत रूप से थर्मो-इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रदर्शन दो अलग-अलग धातुओं का एक साथ उपयोग करके किया जाता है और इसके सिरों पर यांत्रिक रूप से दो अलग-अलग तापमान बनाए रखे जाते हैं लेकिन यह पदार्थ कुशल या किफायती समाधान प्रदान नहीं करता है।
  - इसके अलावा अधिकांश पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी अच्छे सुचालक होते हैं। इसका अर्थ है कि इस पदार्थ के दोनों सिरे के बीच बहुत लंबे समय तक तापमान में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं होगा।
- आज तक सबसे कुशल थर्मो-इलेक्ट्रिक पदार्थों में सीसा एक प्रमुख घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन सीसा का पर्यावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे- यह वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का भी कारण बनता है।

सिल्वर एंटिमनी टेल्युराइड ($AgSbTe_2$):

- यह सिल्वर, कॉपर और टेल्युरियम से संश्लेषित एक नैनोमैटेरियल यौगिक है।
- यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जो विद्युत प्रवाह को संचालित करने में मदद करते हैं लेकिन इसके लैटिस (परमाणु व्यवस्था) अनम्य होने के साथ-साथ काफी धीरे-धीरे कंपन करते हैं एवं ऊष्मा के प्रसार को रोकते हैं।
  - इस प्रकार यह विद्युत का अच्छा सुचालक होने के साथ ऊष्मा का कुचालक है जो कि थर्मो-इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिये अति महत्त्वपूर्ण गुण है।
- इसके विभिन्न प्रकार के संभावित अनुप्रयोग हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएँ, बिजली संयंत्र एवं सभी प्रकार के घरेलू उपकरण पर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट ऊष्मा का उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग महत्त्वपूर्ण कार्यों को करने में किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये लैपटॉप से निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिये किया जा सकता है या किसी फोन की ऊष्मा को एक छोटी घड़ी को चार्ज करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

चुनौती:

- ऊर्जा रूपांतरण अत्यधिक कुशल प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर अपशिष्ट ऊष्मा के 15-20% से अधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

नोट :

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020

नवीन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के सफल व्यावसायीकरण हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के लिये कुल 12 कंपनियों का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- ये पुरस्कार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board-TDB) द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
- हर साल TDB तीन श्रेणियों- स्वदेशी प्रौद्योगिकी (Indigenous Technology), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Small and Medium Enterprises Development- MSME) और स्टार्टअप्स (Startup) के तहत प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये आवेदन/प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है।

श्रेणी 1: स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यवसायीकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार:

- यह पुरस्कार ऐसी औद्योगिक इकाई को प्रदान किया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीक का सफलतापूर्वक विकास और व्यवसायीकरण किया हो।
- यदि प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला/ प्रदाता और प्रौद्योगिकी का व्यवसाय करने वाली कंपनी दो अलग-अलग संगठन हैं, तो प्रत्येक को 25 लाख रुपए और एक ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में दी जाती है।

श्रेणी 2: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) को राष्ट्रीय पुरस्कार:

- इस श्रेणी में चयनित उस प्रत्येक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया हो।

श्रेणी 3: प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार:

- यह पुरस्कार व्यावसायीकरण की संभावनाओं वाली तकनीक पर आधारित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को दिया जाता है।
- ट्रॉफी के अतिरिक्त पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।

विभिन्न उद्योगों को प्रदान किये गए ये पुरस्कार भारतीय उद्योगों और उनके प्रौद्योगिकी प्रदाता, जिन्होंने एक टीम के रूप में कार्य किया है, को बाज़ार में नवीनता लाने हेतु एवं आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण में योगदान के उद्देश्य से एक मंच प्रदान करते हैं।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:

- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी।
- यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और घरेलू अनुप्रयोगों हेतु आयातित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के लिये कार्य करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (11 मई) का आयोजन हर वर्ष TDB द्वारा आयोजित किया जाता है।

ओलिव रिडले कछुआ

हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय (High Court) ने ओडिशा के वन और मत्स्य विभाग (Forest and Fisheries Department) की लापरवाही के कारण लगभग 800 ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Olive Ridley Sea Turtle) की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है।

प्रमुख बिंदु

- ओलिव रिडले कछुओं की विशेषताएँ:
  - ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।

नोट :

- ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग (Olive Colored Carapace) का होता है जिसके आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।

- संरक्षण की स्थिति:
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
  - आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
  - CITES: परिशिष्ट- I
- पर्यावास:
  - ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
  - ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।
- अरीबदा:
  - ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, यहाँ अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।
  - ये कछुए इन घोंसलों में अपने अंडे को पाँच से सात दिनों की अवधि के लिये लगभग डेढ़ फीट मिट्टी के अंदर रखते हैं और इस समयावधि के बाद अपने पिछले पैरों से घोंसलों के ऊपर की मिट्टी हटाकर अण्डों को बाहर निकाल लेते हैं।
- संकट:
  - समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट।
  - मानव उपभोग: इन कछुओं के माँस, खाल, चमड़े और अंडे के लिये इनका शिकार किया जाता है।
  - प्लास्टिक कचरा: प्लास्टिक, मछली पकड़ने के जाल, पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों द्वारा फेंके गए अन्य कचरे का बढ़ता मलबा।
  - फिशिंग ट्रॉल: समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन की कोशिश में ट्रॉलर्स (Trawler- मछली पकड़ने वाले जहाज़) का उपयोग करके समुद्री अभयारण्य के आस-पास के 20 किलोमीटर क्षेत्र में मछली न पकड़ने के नियम का प्राय: उल्लंघन किया जाता है।
    - कई मृत कछुओं के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि ये मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों की चपेट में आ गए थे।

गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य

- गहिरमाथा (हिंद महासागर) का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है।
- ओडिशा सरकार ने वर्ष 1997 में समुद्री कछुओं को बचाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में गहिरमाथा को कछुआ अभयारण्य घोषित किया था।
- गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य (Gahirmatha Marine Sanctuary), भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में स्थित है। इस उद्यान के अन्य दो हिस्सों में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र शामिल हैं।

ब्लैक नेक्ड क्रेन

हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं (Buddhist) के एक समूह ने तवांग ज़िले में जलविद्युत परियोजनाओं (Hydropower Project) पर अरुणाचल प्रदेश सरकार का विरोध किया है।

प्रस्तावित परियोजनाएँ न केवल लुप्तप्राय ब्लैक नेक्ड क्रेन (Black Necked Crane) के घोंसलों के मैदानों को प्रभावित करेंगी, बल्कि इस क्षेत्र के कई पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों को भी खतरे में डाल देंगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ब्लैक नेक्ड क्रेन के विषय में:
  - नर और मादा दोनों का ही आकार लगभग समान होता है लेकिन नर, मादा से थोड़ा बड़ा होता है।
  - गर्दन, सिर, उड़ने वाले पंख और पूँछ पूरी तरह से काले होते हैं तथा शरीर का रंग हल्का भूरा/सफेद होता है।
  - एक विशिष्ट लाल रंग का मुकुट सिर को सुशोभित करता है।
  - बच्चों के सिर और गर्दन भूरे रंग के होते हैं तथा पंख वयस्क की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।
- विशेष महत्त्व:
  - इनको दलाई लामा के एक अवतार (Tsangyang Gyatso) के रूप में मोनपास (Monpas- अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख संस्कृति वाला बौद्ध समूह) समुदाय द्वारा परम पूजनीय माना जाता है।
    - मोनपास पश्चिम कामेंग और तवांग ज़िलों में निवास करने वाले बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समूह है।
- आवास और प्रजनन मैदान:
  - तिब्बती पठार, सिचुआन (Sichuan- चीन) और पूर्वी लद्दाख (भारत) के उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र इस प्रजाति के मुख्य प्रजनन स्थल हैं। ये सर्दियों की अवधि कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बिताते हैं।
  - ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश में केवल सर्दियों के दौरान आते हैं।
  - इन्हें अरुणाचल प्रदेश के तीन क्षेत्रों में देखा जा सकता है:
    - पश्चिम कामेंग ज़िले में संगति घाटी (Sangti Valley)।
    - तवांग ज़िले में ज़मीथांग (Zemithang)।
    - तवांग ज़िले में चुग घाटी (Chug Valley)।
- संकट:
  - जंगली कुत्ते इनके अंडों और चूजों को अत्यधिक नुकसान पहुँचाते हैं।
  - आर्द्रभूमि पर मानव दबाव (विकास परियोजनाओं) के कारण निवास स्थान का नुकसान।
  - सीमित चरागाहों की वजह से आर्द्रभूमियों पर चराई का दबाव बढ़ रहा है।
- इनके संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:
  - वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-India), जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग के सहयोग से लद्दाख क्षेत्र में ब्लैक नेक्ड क्रेन के साथ-साथ उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है।
  - डब्ल्यूडब्ल्यूएफ अरुणाचल प्रदेश में शीतकालीन ब्लैक-नेक्ड क्रेन की कम जनसंख्या के संरक्षण के लिये काम कर रहा है।
- संरक्षण की स्थिति:
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
  - आईयूसीएन रेड लिस्ट: निकट संकट (Near Threatened)
  - CITES: परिशिष्ट- I

झारखंड में एक प्राचीन बौद्ध मठ की खोज

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archeological Survey of India- ASI) ने झारखंड की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, जिसे कम-से-कम 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है।

- इस स्थल के नज़दीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टीले के नीचे दफन पाया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

प्राप्त पुरावशेष:

- वरद मुद्रा (हाथ से वरदान देने का इशारा) में देवी तारा की चार मूर्तियाँ ।
  - तारा देवी की प्रतिमा पर नागरी लिपि: नागरी देवनागरी लिपि का पूर्ववर्ती संस्करण था और इसके शब्द बौद्ध धार्मिक संबद्धता को दर्शाते हैं।
- बुद्ध की छह मूर्तियाँ भूमिस्पर्श मुद्रा में (दाहिने हाथ की पाँच अँगुलियों द्वारा पृथ्वी की ओर इशारा, जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक हैं) प्राप्त हुई हैं।
- एक मूर्ति कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ मिली है जो शैव देवता माहेश्वरी की प्रतीत होती है और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक समावेश का संकेत देती है।

प्राप्त पुरावशेषों का महत्व:

- देवी तारा की मूर्तियों की उपस्थिति इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रसार को दर्शाती है।

वज्रयान:

- वज्रयान का अर्थ है "वज्र का वाहन", जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है।
- यह बौद्ध शाखा भारत में लगभग 900 ई. में विकसित हुई।
- यह गूढ़ तत्त्वों पर आधारित है और बाकी बौद्ध शाखाओं की तुलना में एक बहुत जटिल क्रिया पद्धति पर आधारित है।

राजा कृष्णदेव राय

विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले के होन्नाहल्ली में खोजा गया है।

- आमतौर पर राजाओं की मृत्यु शिलालेखों में दर्ज नहीं की जाती थी परंतु यह शिलालेख दुर्लभ रिकॉर्डों में से एक था।

प्रमुख बिंदु:

- शिलालेख के अनुसार, भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा कृष्णदेव राय जिसने दक्षिण भारत में शासन किया, की मृत्यु 17 अक्तूबर, 1529 (रविवार) को हुई थी।
  - संयोग से इस दिन चंद्र ग्रहण की घटना हुई थी।
- यह शिलालेख तुमकुरु जिले के होन्नाहल्ली में गोपालकृष्ण मंदिर के उत्तर की ओर रखे एक पत्थर पर उकेरा गया है।
- यह शिलालेख तुमकुरु के देवता वीरपरासना हनुमंथा की पूजा करने के लिये तुमकुरु के गाँव होन्नाहल्ली द्वारा दिये जाने वाले उपहारों का भी वर्णन करता है।
- इस शिलालेख को कन्नड़ में लिखा गया है।

राजा कृष्णदेव राय:

- यह विजयनगर साम्राज्य (1509-29 ई.) के तुलुव वंश का शासक था।
- उसके शासन में विस्तार और समेकन संबंधी विशेषताएँ थीं।
- उसे कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्त्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है।
- उसने विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की, जिसे 'नागालपुरम' भी कहा जाता था।
- उन्होंने तेलुगू भाषा में शासन कला पर आधारित ग्रंथ 'अमुक्तमाल्यदा' की रचना की।

नोट :

विजयनगर साम्राज्य:

- विजयनगर या "विजय का शहर" एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था।
- इस साम्राज्य की स्थापना चौदहवीं शताब्दी (1336 ईस्वी) में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी।
  - उन्होंने हंपी को राजधानी शहर बनाया। वर्ष 1986 में हंपी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया।
- यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण तक फैला हुआ है।
- विजयनगर साम्राज्य पर निम्नलिखित चार महत्त्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया:
  - संगम
  - सुलुव
  - तुलुव
  - अराविडु

दृष्टि The Vision

नोट :

विविध

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिये संस्कृति मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के कूचबिहार ज़िले में तीन दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव-2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गीत तथा स्थानीय हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2019 में मध्य प्रदेश में किया गया था, जबकि 11वें संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे- लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प एवं पाक-कला के ज़रिये भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन के प्राथमिक उद्देश्यों में विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ाना, देश की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच परस्पर समझ और संबंधों को बढ़ावा देना और भारत की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना शामिल है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वाँ संस्करण इस लिहाज से भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि इसका आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है, जब भारत समेत संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला कर रहा है और जिसने विशेष तौर पर सांस्कृतिक क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है।

इसरो का स्वदेशी मैप

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और 'मैप माई इंडिया' ने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिये भागीदारी की है। इस परियोजना के तहत इसरो (ISRO) के उपग्रह चित्रों और 'मैप माई इंडिया' के डिजिटल मैप प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। 'मैप माई इंडिया' वेबसाइट के डेटाबेस को इसरो के हाई-एंड उपग्रह कैटलॉग और पृथ्वी अवलोकन डेटा के साथ जोड़ा जाएगा। उपयोगकर्त्ता इस नए स्वदेशी मैप के माध्यम से मौसम, कृषि उत्पादन, भूमि परिवर्तन आदि को ट्रैक करने में सक्षम होंगे, साथ ही आपदाओं के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह साझेदारी भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगी। इस सेवा के तहत इसरो द्वारा विकसित भारत के 'नाविक पोज़िशनिंग सिस्टम' का उपयोग किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) की स्थापना वर्ष 1969 में हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बंगलूरू में है। वहीं 'मैप माई इंडिया' वर्ष 1992 में स्थापित एक निजी कंपनी है, जो कि भारत की मानचित्र-निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।

यूएस-मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार निर्माण का आदेश रद्द

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण को लेकर जारी किये गए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। आँकड़ों की मानें तो अब तक इस दीवार के निर्माण में कुल 25 बिलियन डॉलर खर्च किये जा चुके हैं। अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर 2000 मील लंबा है तथा यह सीमा अमेरिका के चार राज्यों कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मेक्सिको और टेक्सास से लगी है। इस पर उचित तरीके से फेंसिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण कोई भी मेक्सिकन नागरिक अमेरिका में प्रवेश कर सकता है। अमेरिका में होने वाले इस अवैध प्रवासन को रोकने के लिये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाना पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा था। हालाँकि अमेरिकी कॉन्ग्रेस ने राष्ट्रपति की इस परियोजना का विरोध किया था, जिसके पश्चात् डोनाल्ड ट्रंप ने इस दीवार के निर्माण के लिये आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने की घोषणा की थी।

कोविड वॉरियर मेमोरियल

ओडिशा सरकार ने राज्य में 'कोविड वॉरियर मेमोरियल' स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह मेमोरियल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। इस मेमोरियल के निर्माण का उद्देश्य उन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान प्रदान करना और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गँवा दी। जो लोग इस संकट की स्थिति से लड़ते हुए शहीद हुए, उनका नाम इस स्मारक में उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिये अंकित किया जाएगा। राज्य के निर्माण विभाग को 'कोविड वॉरियर मेमोरियल' के लिये नोडल विभाग बनाया गया है। आँकड़ों की मानें तो ओडिशा में अब तक महामारी से मुकाबला करते हुए लगभग 60 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है।

नोट :

ई-छावनी पोर्टल

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ई-छावनी' नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश भर की कुल 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करना है। छावनी बोर्डों में रहने वाले नागरिक अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं और घर बैठे ही उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी बोर्डों में रहने वाले लोगों के लिये लीज़ के नवीनीकरण हेतु आवेदन, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा पानी और सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन करना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल को 'ई-गोव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), रक्षा संपदा महानिदेशक (DGDE) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। छावनी का आशय एक ऐसे स्थायी सैन्य स्टेशन से है, जहाँ सेना की इकाइयाँ लंबी अवधि के लिये तैनात की जाती हैं, हालाँकि छावनियाँ सेना स्टेशनों से अलग होती हैं, क्योंकि सेना स्टेशन पूरी तरह से सशस्त्र बलों के प्रयोग तथा आवास के लिये होते हैं, जबकि छावनी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका उपयोग सेना और आम नागरिकों दोनों द्वारा किया जाता है। देश में वर्तमान में कुल 62 छावनियाँ हैं, जो छावनी अधिनियम, 1924 (जिसका स्थान छावनी अधिनियम, 2006 ने ले लिया है) के अंतर्गत अधिसूचित हैं। अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी बोर्डों के पास है जो कि लोकतांत्रिक निकाय हैं।

दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस

16 फरवरी, 2021 को दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। देश के विभाजन के कारण दिल्ली में लाखों शरणार्थी आए, जो पहले से ही तमाम सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे, ऐसे में वर्ष 1948 में दिल्ली में अपराधों में तेज़ी आने लगी। इसी के मद्देनज़र तत्कालीन सरकार ने पूर्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पुलिस तंत्र को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। 16 फरवरी, 1948 को दिल्ली के पहले पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की नियुक्ति की गई थी और साथ ही दिल्ली पुलिस की कुल क्षमता को वर्ष 1951 तक बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया था, जिसमें एक पुलिस महानिरीक्षक और आठ पुलिस अधीक्षक शामिल थे। वर्ष 1966 में गठित दिल्ली पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1978 में दिल्ली पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुलिसकर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या तकरीबन 83,762 है। साथ ही दिल्ली के सभी 11 ज़िलों में कुल 180 पुलिस स्टेशन हैं।

एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला

नाइजीरिया की एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही वे विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रमुख बन गई हैं। उनके चार वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत 01 मार्च, 2021 से होगी। एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें वित्त और आर्थिक विषयों में लगभग चार दशक लंबा अनुभव है। इससे पूर्व ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की वित्त मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, वे इस पद पर पहुँचने वाली देश की पहली महिला थीं। इवेला को विश्व बैंक के साथ तकरीबन 20 से अधिक वर्ष तक काम करने का अनुभव है, जहाँ उन्होंने संगठन की प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य किया था। इवेला ने ऐसे समय में संगठन का पदभार संभाला है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ महामारी का मुकाबला कर रही हैं और जल्द-से-जल्द रिकवरी का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा वे ऐसे समय में संगठन का नेतृत्त्व करेंगी, जब विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपने अस्तित्व को लेकर चुनौती का सामना कर रहा है। वर्ष 1995 में गठित विश्व व्यापार संगठन, विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष

हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जूडिथ कार्ल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हुई थीं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) अल्पविकसित देशों के लिये संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। यह मुख्य तौर पर अल्प विकसित देशों में गरीबों के लिये सार्वजनिक और निजी वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

'माँ' कैंटीन

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिये रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये 'माँ' कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस नई योजना के तहत राज्य सरकार कैंटीन में प्रति व्यक्ति भोजन के लिये 15

नोट :

रुपए की सब्सिडी देगी, जबकि लोगों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इस माह की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट में इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। 'माँ' कैंटीन को शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग की मदद से राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि महामारी के बाद से भारत समेत संपूर्ण विश्व में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता और भी गंभीर हो गई है, ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना राज्य के गरीब और अपेक्षाकृत संवेदनशील लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

मारियो द्रागी

हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मारियो द्रागी को इटली की सिविल सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्र दोनों का ही लंबा अनुभव है। उन्होंने 2010 के दशक में उत्पन्न ऋण संकट से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व जनवरी माह में कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर हुई आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुईसेपे कोंटे ने इस्तीफा दे दिया, जिससे इटली में प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया था। इटली आपेननीनी (Apennine) प्रायद्वीप पर दक्षिणी यूरोप में स्थित है। विदित हो कि मारियो द्रागी ऐसे समय में पदभार संभाल रहे हैं, जब इटली महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रहा है, कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से इटली में लगभग 93,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, साथ ही महामारी का इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण इटली में उच्च बेरोज़गारी और सार्वजनिक ऋण जैसी स्थिति देखी जा रही है। ऑस्ट्रिया, फ्राँस, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ इटली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भूमध्यसागर में मौजूद सबसे बड़े द्वीपों में से दो द्वीप यथा- सिसीली और सार्डिनिया इटली से संबद्ध हैं।

वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना

कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में 'वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना' की शुरुआत की है। भारतीय पटसन निगम (JCI) ने वर्ष 2021-22 के लिये एक हज़ार मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीजों के वाणिज्यिक वितरण के लिये बीते वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। देश भर में पटसन किसानों की सहायता करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि किया जाना भी शामिल है। जहाँ एक ओर वर्ष 2014-15 में पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 4225 रुपए तक पहुँच गया है। वर्ष 1971 में गठित भारतीय पटसन निगम का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में पटसन की खेती में लगे लगभग 4.00 मिलियन परिवारों के हितों की रक्षा करना है। वहीं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSC) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। वर्तमान में यह अपने फार्मों एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 60 फसलों की 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रही है, जिसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, चारा, रेशा, हरी खाद एवं सब्ज़ियाँ आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अजय माथुर उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो वर्ष 2017 से महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे थे। अजय माथुर वर्तमान में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) के महानिदेशक और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा वे वर्ष 2006 से वर्ष 2016 तक भारत सरकार में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के महानिदेशक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत और फ्राँस द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिये आवश्यक संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पाद के लिये आवश्यक निवेश जुटाना तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिये उचित मार्ग तैयार करना है।

फ्राँस का एंटी-रेडिकालिज़्म बिल

हाल ही में फ्राँस की संसद के निचले सदन ने एंटी-रेडिकालिस्म बिल को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य फ्राँस को कट्टरपंथ से बचाना, फ्राँसीसी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु धार्मिक स्थानों, विद्यालयों और स्पोर्ट्स क्लबों की निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना है। इस बिल के तहत फ्राँस की सरकार ने तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये घरेलू शिक्षा पर रोक लगाते हुए उनके लिये विद्यालय जाना अनिवार्य कर दिया है। यह बिल किसी भी व्यक्ति के निजी, पारिवारिक या पेशेवर जीवन के बारे में जानकारी को प्रसारित करने, जिससे उसके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो, को अपराध घोषित करता है। इसके तहत धार्मिक संस्थानों, विशेषतौर पर उनके वित्तपोषण के संबंध में निगरानी बढ़ाना है, यदि यह कानून बन जाता

नोट :

है तो धार्मिक समूहों और संस्थानों को 10,000 यूरो से अधिक के किसी भी विदेशी दान का खुलासा अधिकारियों के समक्ष करना होगा। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को ऐसे किसी भी धार्मिक स्थान को अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार दिया गया है, जहाँ भेदभाव, घृणा और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। यह बिल सरकार को किसी भी धार्मिक संघ में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।

भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण

हाल ही में तकरीबन 10000 शब्दों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) द्वारा तैयार किये गए इस शब्दकोश में दैनिक उपयोग, अकादमिक, कानूनी एवं प्रशासनिक, चिकित्सा, तकनीकी एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्द शामिल हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का पहला संस्करण मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 3,000 शब्द शामिल थे, जबकि इसका दूसरा संस्करण फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया, जिसमें 6,000 शब्द शामिल थे। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है, जो भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण तथा अनुसंधान हेतु मानव शक्ति के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। इस केंद्र के गठन की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में की गई थी।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) को 'नवाचार' श्रेणी में एशिया एन्वायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड-2020 से सम्मानित किया गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) को भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिये प्रतिबद्धता हेतु बीते तीन वर्ष में दो बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भी ब्यूरो को इसी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। एशिया एन्वायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड एशियाई देशों में सरकारी संस्थाओं और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पर्यावरण संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु किये गए प्रयासों की पहचान करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु-अनुशासनिक इकाई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिनियमित किया जाता है।

रामकृष्ण परमहंस

18 फरवरी, 2021 को गृह मंत्री ने रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रामकृष्ण का जन्म 1836 में पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 12 वर्ष तक गाँव के स्कूल में पढ़ने के बाद रामकृष्ण ने पारंपरिक शिक्षा छोड़ दी और अध्यात्मिक शिक्षा की ओर मुड़ गए। रामकृष्ण ने भारतीय परंपराओं की आधुनिक व्याख्या करते हुए तंत्र, योग और अद्वैत वेदांत के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उनकी शिक्षाओं ने कई युवाओं को प्रभावित किया, जिसमें विवेकानंद सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात् रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोकोपकारी कार्यों जैसे- आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया। वर्ष 1886 में गले के कैंसर के कारण रामकृष्ण की मृत्यु हो गई, किंतु उनकी विरासत आज भी कायम है।

छत्रपति शिवाजी महाराज

19 फरवरी, 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई। पुणे की जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी, भोंसले-मराठा कबीले से थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने सैन्य संगठन, किला वास्तुकला, समाज और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किये। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग करते हुए दुश्मनों के आक्रमण का सामना किया और अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के समुद्री तटों की रक्षा के लिये छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही आधुनिक युग में भारत की पहली नौसेना का निर्माण किया था। मराठा नौसेना ने जयगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और महाराष्ट्र के तट के साथ-साथ अन्य किलों की रक्षा की। वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा था और विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करते थे। राजा के तौर पर छत्रपति शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक विचारों और न्यायिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया, साथ ही उन्होंने मराठी भाषा के उपयोग को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने उन्हें 2,000 सैनिकों की एक सेना सौंपी थी, शिवाजी ने अपनी प्रशासनिक कुशलता द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को 10,000 सैनिकों तक विस्तारित किया। औरंगज़ेब और उनके सेनापति ने शिवाजी की सैन्य कुशलता और रणनीति के कारण उन्हें 'माउंटेन रैट' के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि वे मुगल सैनिकों पर हमला करते थे और वापस पहाड़ों पर लौट जाते थे।

नोट :

विश्व सामाजिक न्याय दिवस

प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन, उचित कार्य स्थिति और लैंगिक समानता आदि के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। वर्ष 2021 के लिये 'डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिये आह्वान' को विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम चुना गया है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य देशों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विकास के लिये आवश्यक सिद्धांत से है, जो न केवल अंत:देशीय समानता अपितु अंतर्देशीय समानता की परिस्थितियों से भी संबंधित है। सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लिंग, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता आदि असमानताओं को समाप्त करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन' (ILO) के 'निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा' जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है। सामाजिक न्याय के 5 प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं- संसाधनों तक पहुँच, न्याय संगतता, सहभागिता, विविधता और मानवाधिकार।

स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द इयर अवार्ड

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को 'स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द इयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। स्कॉच समूह द्वारा घोषित इस पुरस्कार के लिये चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना-स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए स्कॉच समूह ने कहा कि 'वाईएसआर रैतु भरोसा केंद्र' जैसी योजनाओं ने ग्रामीण स्तर पर एक बेहतर मॉडल विकसित किया है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा की गई पहलों के वांछनीय परिणाम देखने को मिले हैं। इस पुरस्कार के चयन के लिये स्कॉच समूह द्वारा आंध्र प्रदेश की कुल 123 परियोजनाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह सामने आया है कि राज्य सरकार ने शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बीते दो वर्षों में कई क्रांतिकारी और अभिनय उपाय किये हैं।

ननकाना साहिब नरसंहार

हाल ही में ननकाना साहिब नरसंहार अथवा शक ननकाना साहिब की 100वीं शताब्दी पर आयोजित समारोह की शुरुआत हो गई है। वर्ष 1920 में अस्तित्व में आते ही 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (SGPC) ने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 'महंतों' की निजी संपत्ति बन चुके गुरुद्वारों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाना था। इस आंदोलन से भयभीत 'महंतों' द्वारा फरवरी 1921 में लाहौर में 'सिख सनातन सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक निहत्थे सिख जत्थे ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करने और अहिंसक तरीके से गुरुद्वारे पर कब्ज़ा करने की योजना बनाई। वहीं दूसरी ओर गुरुद्वारे के अंदर हथियारों से लैस सशस्त्र सेना के साथ निहत्थे सिख जत्थे का मुकाबला करने के लिये तैयार थे। दोनों के बीच मुठभेड़ में 60 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई। 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (SGPC) का आरोप था कि इस नरसंहार में ब्रिटिश प्रशासन भी शामिल था। ननकाना साहिब गुरुद्वारा (जिसे गुरुद्वारा जन्म स्थान भी कहा जाता है) उस जगह पर बनाया गया है जहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था।

खजुराहो नृत्य महोत्सव

हाल ही में मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) की अनुमति मिलने के बाद 44 वर्ष पश्चात् मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, हालाँकि महोत्सव के दौरान स्मारकों और मूर्तियों को नष्ट करने की घटनाओं के चलते भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 में मंदिर परिसर में महोत्सव का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा बीते 44 वर्षों के दौरान यह महोत्सव मंदिर के पास ही एक खुले बगीचे में आयोजित किया जाता रहा। खजुराहो को हाल ही में 19 प्रतिष्ठित विश्व पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसके चलते इस महोत्सव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त होगी एवं लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। नागर शैली में बने यहाँ के मंदिरों की संख्या अब केवल 20 ही रह गई है, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर दो धर्मों- जैन और हिंदू से संबंधित हैं।

'राष्ट्र प्रथम- 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा' पुस्तक

केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के स्वर्णिम इतिहास पर आधारित पुस्तक 'राष्ट्र प्रथम- 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा' का विमोचन किया है। यह पुस्तक CRPF में भर्ती होने वाले जवानों के लिये प्रेरणा का काम करेगी और इतिहास की रोंगटे खड़े

नोट :

कर देने वाली वीरता की गाथाएँ लोगों को बताएगी। इस संबंध में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल ने कहा कि यह पुस्तक बल और उसके सदस्यों की यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और बलिदानों का एक विस्तृत और गहन शोध है। इसके अलावा 19 फरवरी, 2021 को CRPF का पहला 'वेटरन्स डे' भी आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 से प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे शुक्रवार को CRPF के 'वेटरन्स डे' के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) एक ऐसा अर्द्ध-सैन्य बल है, जिसका प्राथमिक कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल 27 जुलाई, 1939 को रॉयल रिप्रेज़ेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, जो 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम लागू होने पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल बन गया।

स्मार्ट आँगनवाड़ी

केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आँगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ 'स्मार्ट' अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिये 9 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है। 'स्मार्ट आँगनवाड़ी योजना' के तहत राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आँगनवाड़ियों को नई इमारतों के निर्माण की मंज़ूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक, इन 'स्मार्ट आँगनवाड़ियों' को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिये आँगनवाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल-सुलभ बनाना है। 'स्मार्ट आँगनवाड़ियों' का डिज़ाइन और विकास 'एकीकृत बाल विकास योजना' (ICDS) के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इन 'स्मार्ट आँगनवाड़ियों' में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्टडी हॉल, किचन, डाइनिंग एरिया, स्टोर रूम, क्रिएटिव ज़ोन और गार्डन से लेकर स्विमिंग पूल तथा आउटडोर प्ले एरिया जैसी सुविधाएँ मौजूद होंगी।

'कार्बन वॉच' मोबाइल एप्लीकेशन

हाल ही में चंडीगढ़ ने 'कार्बन वॉच' नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश/राज्य बन गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उपयोगकर्त्ताओं को कुल चार श्रेणियों यथा- जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन से संबंधित विवरण प्रदान करना होगा, जिसके पश्चात् प्राप्त सूचना के आधार पर यह एप स्वयं एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर लेगा। इसके अलावा यह मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीकों का भी सुझाव देगा। कार्बन फुटप्रिंट एक का आशय किसी विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीनहाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से है।

होशंगाबाद का नाम परिवर्तन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 'होशंगाबाद' शहर का नाम बदलकर 'नर्मदापुरम' करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का यह अद्भुत और सुंदर शहर होशंगाबाद, मध्य नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस शहर को प्रारंभ में 'नर्मदापुरम' के नाम से ही जाना जाता था, हालाँकि बाद में शहर का नाम बदलकर 'मालवा' के पहले शासक होशंग शाह के नाम पर 'होशंगाबाद' कर दिया गया। होशंगाबाद ज़िला, मध्य प्रांत और बरार के नेरबुड्डा (नर्मदा) प्रभाग का हिस्सा था, जो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत (बाद में मध्य प्रदेश) का राज्य बन गया। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे अपने खूबसूरत घाटों के लिये प्रसिद्ध है, सेठानी घाट एक प्रमुख आकर्षण है। यह घाट तवा और नर्मदा नदियों के संगम से लगभग 7 किमी. की दूरी पर स्थित है। होशंगाबाद की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और यह सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दो मुख्य नदियाँ- नर्मदा और तवा होशंगाबाद ज़िले से होकर बहती हुई बांद्राभान गाँव में मिलती हैं।

नोवाक जोकोविच

सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। जोकोविच का जन्म 22 मई, 1987 को बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। नोवाक जोकोविच ने 4 वर्ष की आयु में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और 13 वर्ष की आयु में वे प्रशिक्षण के लिये जर्मनी चले गए। ज्ञात हो कि नोवाक जोकोविच अब तक कुल 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में से एक है, अन्य तीन ग्रैंड स्लैम- फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन हैं। इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स का संचालन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) द्वारा किया जाता हैं।

नोट :

महिलाओं को संपत्ति में सह-स्वामित्व

उत्तराखंड सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश जारी किया है। यह अध्यादेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से व्यापक पैमाने पर आजीविका की तलाश में पुरुषों के प्रवासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, जो प्राय: पुरुषों के प्रवासन के बाद पीछे छूट जाती हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड सरकार, अन्य राज्य सरकारों के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी, ताकि अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकें। भारतीय समाज के पारंपरिक ताने-बाने में पुरुष और महिला दोनों ही समान रूप से कृषि गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। हालाँकि महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बावजूद उन्हें संपत्ति में स्वामित्व नहीं दिया जाता है। स्वामित्व न होने के कारण प्राय: महिलाओं को कृषि संबंधी गतिविधियों के लिये ऋण भी नहीं मिल पाता है। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों की मानें तो उत्तराखंड के कुल 78.15 लाख मतदाताओं में से तकरीबन 37.40 लाख महिलाएँ हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय से काफी सहायता मिलेगी।

विश्व पैंगोलिन दिवस

पैंगोलिन के महत्त्व और वैश्विक स्तर पर इसकी मौजूदा स्थिति को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को विश्व पैंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैंगोलिन एक विशाल चींटीखोर (Anteater) स्तनपायी है, जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना बनी होती है। पैंगोलिन पृथ्वी पर सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी किये जाने वाले स्तनधारी जीव हैं, आँकड़ों की मानें तो प्रतिवर्ष 200,000 से अधिक पैंगोलिन का शिकार किया जाता है और उनकी अवैध रूप से तस्करी की जाती है। इनका वज़न लगभग 3 पाउंड से लेकर 75 पाउंड तक हो सकता है। वर्तमान में पैंगोलिन की केवल आठ प्रजातियाँ मौजूद हैं, हालाँकि अतीत में विलुप्त हो चुकी कई प्रजातियों के जीवाश्मों की खोज की गई है। इसमें से चार प्रजातियाँ उप-सहारा अफ्रीका और चार प्रजातियाँ एशिया में पाई जाती हैं।

असम इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने असम में विद्युत ट्रांसमिशन तंत्र की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिये 365 मिलियन डॉलर के 'असम इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट' हेतु एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत तकरीबन 365 मिलियन डॉलर है, जिसमें से 304 मिलियन डॉलर एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा प्रदान किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य 10 ट्रांसमिशन सब-स्टेशनों का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने, 15 मौजूदा सब-स्टेशनों को उन्नत करने एवं परियोजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान कर असम की विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली को मज़बूत करना है। यह कार्यक्रम असम के मौजूदा विद्युत नेटवर्क को मज़बूत करेगा जिससे सस्ती, सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना से ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार होगा और ट्रांसमिशन नुकसान में भी कमी आएगी। जनवरी 2016 में स्थापित AIIB एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में स्थित है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को संपूर्ण भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि माल निर्माण व्यवसाय में भ्रष्टाचार को रोकने के साथ-साथ उत्पाद शुल्क सेवाओं से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जा सके। यह दिवस 24 फरवरी, 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून लागू किये जाने के उपलक्ष में आयोजित किया जाता है। भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर (GST), केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर आदि के लिये उत्तरदायी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उद्ग्रहण भारत में विनिर्मित माल से किया जाता है। 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड', 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963' के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन गठित सांविधिक निकाय (Statutory Body) हैं।

कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र

कर्नाटक सरकार का बागवानी विभाग जल्द ही राज्य में 'इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बंगलूरू (IFAB) के सहयोग से न बिके हुए फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिये एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र फूलों को प्रसंस्करित कर उन्हें प्राकृतिक रंगों,

नोट :

फूलों से निर्मित कागज़, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक उपयोग हेतु पाउडर और पुष्प कला जैसे मूल्य-वर्द्धित उत्पादों में परिवर्तित कर देगा। यह केंद्र सभी प्रकार के फूलों को प्रसंस्करित करने में सक्षम होगा। यह केंद्र इस लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण है कि राज्य में फूलों का उत्पादन काफी अधिक होने अथवा किसी अन्य बाज़ार व्यवधान के कारण किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण लागू लॉकडाउन के कारण फूल उत्पादकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था तथा हज़ारों टन चमेली, गेंदा, रजनीगंधा, कनकंबरा और गुलाब आदि को फेंकना पड़ा था। कर्नाटक जहाँ तकरीबन 18,000 हेक्टेयर भूमि पर फूलों का उत्पादन किया जाता है, भारत में फूलों के कुल उत्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्र का कुल 14 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है।

भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार: चीन

भारत के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित हालिया आँकड़ों के मुताबिक, चीन ने वर्ष 2020 में एक बार पुन: भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत-चीन सीमा पर चल रहे संघर्ष के मद्देनज़र चीन के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के भारत के प्रयासों के बावजूद आयातित मशीनों पर भारत की निर्भरता ने चीन को यह स्थान दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आँकड़ों के मुताबिक, एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्ष 2020 में कुल 77.7 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यद्यपि यह आँकड़ा वर्ष 2019 (85.5 बिलियन डॉलर) की तुलना में काफी कम है, किंतु यह चीन द्वारा प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार के रूप में अमेरिका को विस्थापित करने के लिये पर्याप्त है, विदित हो कि वर्ष 2020 में भारत और अमेरिका के बीच कुल 75.9 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।

मेरीटाइम इंडिया समिट-2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-4 मार्च के मध्य आयोजित होने वाले दूसरे मेरीटाइम इंडिया समिट-2021 का उद्घाटन करेंगे। पहले मेरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन वर्ष 2016 में मुंबई में किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक, इस विशाल शिखर सम्मेलन में लगभग एक लाख प्रतिनिधि और 40 भागीदार देश हिस्सा लेंगे। फिक्की को इस शिखर सम्मेलन का उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ज्ञान और अवसरों के पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु भागीदार देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक शक्तिशाली मंच प्रदान करना है। मेरीटाइम क्षेत्र विभिन्न पहलुओं में निवेश के बेहतर अवसर प्रदान करता है, जिसमें विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास, मौजूदा बंदरगाहों में नए टर्मिनलों का आधुनिकीकरण और विकास, संपर्क परियोजनाओं (सड़क, रेल और अंतर्देशीय जल परिवहन), तटीय शिपिंग, क्रूज़ पर्यटन, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, जहाज़ निर्माण एवं जहाज़ मरम्मत, शिप ब्रेकिंग, स्मार्ट पोर्ट औद्योगिक शहरों का विकास आदि शामिल हैं। भारत के लिये समुद्री क्षेत्र के महत्त्व को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90 प्रतिशत (मात्रा में) तथा 70 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है।

क्रेमनथोडियम इंडिकम

वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इसे क्रेमनथोडियम इंडिकम (Cremanthodium indicum) नाम दिया गया है। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त माह तक पाई जाती है। अल्पाइन पौधे की यह नई प्रजाति तवांग ज़िले की पेंगा-टेंग त्सो झील में खोजी गई है, और यह उस स्थान के लिये स्थानिक है। इस संबंध में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, यह नई प्रजाति एक बारहमासी पौधा है और 16–24 सेंटीमीटर लंबा है। 'क्रेमनथोडियम इंडिकम' अल्पाइन झील के किनारे काई के बीच दलदली मिट्टी में उगता है। ज्ञात हो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में फूलों के पौधों का एक व्यापक और विशिष्ट समूह मौजूद है, जो कि विश्व भर के वनस्पतिविदों को आकर्षित करता है।

ग्रेटर टिपरालैंड

पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में 'ग्रेटर टिपरालैंड' के गठन को लेकर मांग तेज़ हो गई है। ग्रेटर टिपरालैंड दरअसल, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा की जा रही 'टिपरालैंड' की मांग का ही विस्तार है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये एक अलग राज्य का गठन करना है। 'टिपरालैंड' के विपरीत 'ग्रेटर टिपरालैंड' के प्रस्तावित मॉडल के तहत 'त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद' (TTAADC) के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गाँव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी को भी शामिल किया गया है। यह नया मॉडल केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों जैसे- असम और मिज़ोरम आदि में रहने वाले त्रिपुरा के विभिन्न आदिवासी समूहों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित 'ग्रेटर टिपरालैंड' में पड़ोसी देश बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों- बंदरबन, चटगाँव और खगराचारी आदि में रहने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।

नोट :

यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी-करप्शन चैंपियंस अवार्ड

पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता अंजलि भारद्वाज 'यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी-करप्शन चैंपियंस अवार्ड' से सम्मानित होने वाले 12 लोगों की सूची में शामिल हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है, जिन्होंने अपने देश में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के मुकाबले के लिये अथक परिश्रम किया है। सामाजिक कार्यकर्त्ता अंजलि भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से सूचना के अधिकार, लोकपाल, व्हिसलब्लोअर संरक्षण एवं शिकायत निवारण और भोजन के अधिकार आदि से संबंधित आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। वे 'सतर्क नागरिक संगठन' नामक एक गैर-सरकारी संगठन की भी संस्थापक है, जो कि आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए दिल्ली के आम नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

मन्नथु पद्मनाभन

25 फरवरी, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक और भारत केसरी मन्नथु पद्मनाभन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मन्नथु पद्मनाभन का जन्म 02 जनवरी, 1878 को केरल के पेरुन्ना (कोट्टायम ज़िले) में हुआ था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवनकाल में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नायर समुदाय के उत्थान के लिये उन्होंने 31 अक्तूबर, 1914 को नायर सेवा समाज (NSS) की स्थापना की। वर्ष 1924 में पिछड़े समुदायों को प्रसिद्ध वाईकॉम महादेव मंदिर से सटे रास्तों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये उन्होंने सक्रिय रूप से वायकोम सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वर्ष 1949 में मन्नथु पद्मनाभन, त्रावणकोर विधानसभा के सदस्य बने। वर्ष 1959 में उन्हें 'भारत केसरी' का खिताब दिया गया था। वहीं वर्ष 1966 में उन्हें पद्मभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका निधन 25 फरवरी, 1970 को हुआ था।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

25 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दूसरी वर्षगाँठ मनाई गई। दो वर्ष पूर्व 25 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1947, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्धों, वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध, वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध और श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। स्वतंत्र भारत में सीमा संघर्ष के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 25,942 सशस्त्र बल के जवानों के नाम स्वर्णाक्षरों में स्मारक की दीवारों पर अंकित किये गए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1960 में रखा गया था। वर्ष 2015 में कैबिनेट ने इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में युद्ध स्मारक के निर्माण के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी दी और वर्ष 2016 में स्मारक का डिज़ाइन तैयार करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के बाद वर्ष 2017 में स्मारक निर्माण का कार्य शुरू हो गया।

कोवैक्स (COVAX) कार्यक्रम

घाना, कोवैक्स (COVAX) कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कार्यक्रम के तहत पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की लगभग 600,000 खुराक घाना भेजी गई है। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन (जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है) को इसी माह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सीमित उपयोग हेतु आपातकालीन मंज़ूरी दी गई थी। कोवैक्स कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 के अंत तक कोरोना वायरस टीकों की 2 बिलियन से अधिक खुराक वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोवैक्स, 'एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (Access to COVID-19 Tools- ACT) एक्सेलरेटर' के तीन स्तंभों में से एक है। इसकी शुरुआत कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और फ्राँस के सहयोग से की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महामारी से निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।

वीर सावरकर

26 फरवरी, 2021 को वीर दामोदर सावरकर की 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वीर सावरकर का पूरा नाम 'विनायक दामोदर सावरकर' था। इनका जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के भागुर ग्राम में हुआ था। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। सावरकर द्वारा वर्ष 1909 में लिखी गई पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857' में उन्होंने यह विचार किया कि वर्ष 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय जन विद्रोह था। वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की, उन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन' का विरोध किया और बाद में भारत के विभाजन को लेकर कॉन्ग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई। 26 फरवरी, 1966 को सावरकर का निधन हो गया।

नोट :

गुरु रविदास जयंती

27 फरवरी, 2021 को संत गुरु रविदास की 644वीं जयंती मनाई गई। गुरु रविदास को रैदास और रोहिदास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रविदास 14वीं सदी के संत तथा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख सुधारकों में से एक थे। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, माघ माह में पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि गुरु रविदास का जन्म वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में एक मोची परिवार में हुआ था। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें प्रमुखता मिली। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिये समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा का खुले तौर पर विरोध किया। उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला और उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में शामिल किया गया है, जिन्हें 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। उन्होंने जन-जन तक यह संदेश प्रसारित किया कि 'ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, न कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है', इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य के जन्म का कारण ईश्वर है और इसलिये पृथ्वी पर सभी एक समान हैं, अत: किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

चंद्रशेखर आज़ाद

27 फरवरी, 2021 को भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर ज़िले के भाभरा गाँव में हुआ था। अपनी वीरता और नि:स्वार्थता के लिये प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद बहुत कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। जब उन्होंने वर्ष 1921 में गांधीजी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया उस समय वे मात्र 14 वर्ष के थे। उनके सर्वोच्च नेतृत्व कौशल एवं संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRA) को 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRSA) के रूप में पुनर्गठित करने और उसे मज़बूत बनाने में मदद की। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और फिर उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्त्व में 9 अगस्त, 1925 को काकोरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वे पुलिस के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ अफसरों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है।

सरस आजीविका मेला-2021

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में सरस आजीविका मेला-2021 का उद्घाटन किया गया। सरस आजीविका मेला-2021 का आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। इस मेले में लगभग 150 स्टॉल और 15 खानपान के स्टॉल लगाए गए हैं तथा 60 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग, डिज़ाइन, संचार संबंधी कौशल, सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार और 'बिज़नेस-टू-बिज़नेस' (B2B) विपणन संबंधी प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य इसमें शामिल विक्रेताओं को बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है।

यूसुफ पठान

हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। दाएँ हाथ के बल्लेबाज यूसुफ पठान ने अपने क्रिकेट कॅरियर की शुरुआत 2007 में ट्वेंटी-ट्वेंटी विश्व कप टूर्नामेंट से की। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच सितंबर 2007 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला। यूसुफ पठान ने 22 T20 मैचों में कुल 236 रन बनाए और 13 विकेट भी लिये। यूसुफ पठान वर्ष 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने भारत के लिये 57 एक-दिवसीय मैचों में 810 रन भी बनाए और कुल 33 विकेट प्राप्त किये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यूसुफ पठान ने अपना अंतिम मैच मार्च 2012 में खेला था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में यूसुफ पठान की मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स ने वर्ष 2008 और कोलकाता नाइटराइडर्स ने वर्ष 2012 तथा वर्ष 2014 में IPL का खिताब जीता था।

नोट :